



शहरी स्थानीय निकायों  
पर  
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन  
31 मार्च 2016 का समाप्त हुए वर्ष के लिए



कार्यालय प्रधान महालेखाकार  
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)  
उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	iii
विहंगावलोकन	-	v
<b>अध्याय 1</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जबाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन पर विहंगावलोकन</b>		
प्रस्तावना	1.1	1
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	1.3	2
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	3
लेखा परीक्षा व्यवस्था	1.5	3
लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रतिक्रिया	1.6	5
सम्पत्ति कर परिषद्	1.7	5
सेवा-स्तर मानक	1.8	6
आग से खतरे पर प्रतिक्रिया	1.9	6
उपभोग प्रमाण-पत्रों का प्रेषण	1.10	6
वित्तीय प्रतिवेदन	1.11	6
निष्कर्ष	1.12	12
<b>अध्याय 2</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
“शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2	13
<b>अध्याय 3</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
“म्यूनिसिपल बोर्डों द्वारा राजस्व संग्रह सहित निजी निधियों के प्रबन्धन पर शहरी स्थानीय निकायों” की लेखापरीक्षा	3.1	45
<b>अध्याय 3</b>		
<b>लेखापरीक्षा प्रस्तर</b>		
नगर निगम वाराणसी में निष्फल व्यय	3.2	59
नगर पालिका परिषदों खतौली एवं बॉगरमऊ में अलाभकारी व्यय	3.3	61
नगर निगम इलाहाबाद में अलाभकारी व्यय	3.4	62
नगर निगमों आगरा एवं लखनऊ में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन	3.5	63
नगर पालिका परिषद हाथरस में राजस्व की हानि	3.6	65
नगर निगम वाराणसी में राजस्व की हानि	3.7	66

परिशिष्टियाँ		
संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	शहरी स्थानीय निकायों के कार्य	69
1.2	शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा विशेष रूप से किये गये कार्य	69
1.3	शहरी स्थानीय निकायों एवं शासकीय अभिकरणों के मध्य कार्यों का विभाजन	70
1.4	शासकीय विभागों/अभिकरणों के द्वारा किये जाने वाले कार्य	70
1.5	अभिलेखों का रख-रखाव, सेवा-स्तर मानकों आदि का विवरण	71
1.6	आंकड़ों में अन्तर का विवरण	73
1.7	निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व	74
2.1	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की सूची	75
2.2	राज्य में नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा की स्थिति	76
2.3	मेसर्स ए 2जेड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को सौंपी गयी परियोजनाओं का विवरण	79
2.4	नगर निगम कानपुर में प्रसंस्करण संयंत्र पर गैर प्रतिबन्धित कचरे की स्थिति	80
2.5	दण्ड का अनारोपण	80
2.6	प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना	81
2.7	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 में खाद की गुणवत्ता के लिए उल्लिखित विशिष्टियाँ	81
3.1.1	चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची	82
3.1.2	लाइसेन्स शुल्क के 39 मदों की सूची	82
3.1.3	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति	83
3.1.4	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति	87
3.1.5	शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्तियों की वार्षिक किराया मूल्य में कमी किये जाने से राजस्व हानि	89
3.1.6	जल मूल्य के अन्तर्गत राजस्व की हानि	90
3.1.7	नगर निगम मुरादाबाद एवं झांसी में शराब की दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क न लगाये जाने से राजस्व हानि	93
3.1.8	चिकित्सीय गतिविधियों पर लाइसेन्स शुल्क न लागू किये जाने से नगर निगम झांसी को राजस्व की हानि	94
3.1.9	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में निजी स्रोतों की बकाया धनराशि	95
3.1.10	गृहकर और जलकर का बकाया	96
3.2	क्रय वाहनों का विवरण	100
3.3	पार्किंग स्थलों से राजस्व हानि	101
3.4	2014-16 में वसूली योग्य लाइसेन्स शुल्क	101

## i kDdFku

मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के उपबंधों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अन्तर्गत तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बन्धित विभागों सहित राज्य की शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल किये गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 2015-16 की अवधि हेतु की गयी नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ, पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आये प्रकरणों, जो विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

## fogxkoyksdu

इस प्रतिवेदन में शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित तीन अध्याय शामिल हैं। अध्याय 1 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र तथा वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। अध्याय 2 में "शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल किया गया है। अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रस्तारों को शामिल किया गया है। प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है:

v/; k; 1 dk; i z.kkyh] tokngh r= vk] foRrh; ifronu ij fogxkoyksdu  
ys[kki jh{kk i xU/ku

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता लेखापरीक्षा सौंपने की व्यवस्था जारी रखी गयी थी। लेखापरीक्षा के सौंपने की व्यवस्था (2011) के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को राज्य विधान मण्डल को प्रतिवेदित करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने तथा इस पर चर्चा हेतु एक समिति का गठन किया जाना था।

यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा इसका अब तक अनुपालन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक की अवधि के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वर्ष 2014-15 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधानमण्डल के पटल पर मार्च 2017 तक नहीं रखा गया था। वर्ष 2015-16 की अवधि में, राज्य के 636 में से 116 शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम: 7, नगर पालिका परिषद 40 तथा नगर पंचायत 69) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी थी।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के उपबंधों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं तथा प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने हेतु लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाना था। यद्यपि, यह प्रतिवेदन विधानमण्डल में वर्ष 2010-11 तक ही रखे गये थे तथा राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अनुपालन समिति में इनकी चर्चा की गयी थी। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 की अवधि में राज्य के 636 में से 570 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी थी

*ki Lrj 1-5-1, 1-5-2 , oa 1-6½*

'kgjh LFkkuh; fudk; k dks dk; k , oa fuf/k; k dk gLrkj . k

संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा प्रदत्त 18 में से 13 कार्यों का हस्तांतरण किया गया जिसके कारण शहरी स्थानीय निकायों की गतिविधियाँ सीमित होती हैं तथा संविधान में उल्लिखित शहरी क्षेत्रों के गरीबी उन्मूलन, आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक उत्थान में उनकी सक्रिय सहभागिता प्रभावित होती है।

वर्ष 2011-16 की अवधि में, शहरी स्थानीय निकायों की राज्य में कुल प्राप्तियाँ ₹ 36,321.31 करोड़ थी जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त अनुदान तथा निजी राजस्व सम्मिलित हैं। निजी राजस्व एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, जबकि राज्य वित्त आयोग के अनुदान में वर्ष 2013-15 की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा, शहरी स्थानीय निकायों को धनराशियाँ तीन दिनों के विलम्ब के साथ अवमुक्त की गई थी, परिणामस्वरूप, इसे ब्याज के भुगतान पर ₹ 33.35 लाख का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था, जो शासकीय अनुदान पर उनकी अधिक निर्भरता को प्रदर्शित करता है।

¶¶¶¶¶ 1-3, 1-11-1-1] 1-11-3-1 , 011-11-5¶

mi Hkks i æk. k&i =

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदान के आधार पर ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं शहरी स्थानीय निकायों से अवमुक्त धनराशियों के उपभोग के सम्बंध में कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

¶¶¶¶¶ 1-10¶

### लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अनुपालन

बड़ी संख्या में पिछले वर्षों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजी गयी, जिसके कारण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

¶¶¶¶¶ 1-6¶

v/; k; 2% 'kgjh LFkkuh; fudk; k }kjk buxjh; Bkd vif'ाष्ट प्रबंधन" ij  
निष्पादन ys[kki jh{kk

नगरीय टोस अपशिष्ट में खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के अतिरिक्त, परिष्कृत जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत टोस अथवा अर्ध टोस रूप में उत्पन्न आवासीय एवं व्यावसायिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा टोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन नियमावली 2000 बनायी गयी। नगरीय टोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राधिकरण नगरीय टोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी है।

दस जनपदों की 36 शहरी स्थानीय निकायों की वर्ष 2011-2016 की आच्छादित अवधि के लिए नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

राज्य की 636 में 604 शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें स्वीकृति नहीं थी। कुल शहरी स्थानीय निकायों के मात्र 1.4 प्रतिशत में ही यह सुविधायें क्रियाशील थी। नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र सात के लिए ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधायें स्वीकृत की गयी थी।

¶¶¶¶¶ 2-6-2¶

राज्य में नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लागत (₹505.30 करोड़) का 35 प्रतिशत (₹177.91 करोड़) अप्रयुक्त पड़ा हुआ था क्योंकि 19 नगरीय टोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना का कार्य विभिन्न कारणों से रूका हुआ था।

¶¶¶¶¶ 2-7-1¶

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 37.56 करोड़ एवं राज्य द्वारा ₹ 30.39 करोड़ की धनराशि उपयोग नहीं की गयी थी और राज्य स्तर पर अवरूद्ध थी।

¶i Lrj 2-7-3½

नगर पालिका परिषद सम्भल और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में कार्यदायी संस्था को क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ और ₹ 6.46 करोड़ के भुगतान के पश्चात् भी प्रसंस्करण संयंत्र आरम्भ नहीं हुआ था।

¶i Lrj 2-8-5-2½

नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर में परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पूर्व कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में अनियमित भुगतान क्रमशः ₹ 18.10 करोड़ और ₹ 19.87 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था।

¶i Lrj 2-8-6-1½

नगर निगम लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण परियोजना के स्थल के अनुपयुक्त चयन के फलस्वरूप समय एवं लागत में धनराशि ₹ 9.91 करोड़ की वृद्धि हुयी।

¶i Lrj 2-7-5½

परियोजनाओं में उपयोग के उद्देश्य से उपकरण एवं वाहनों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

¶i Lrj 2-8-6-3½

v/; k; 3 vuq kyu ys[ kki jh{kk

PE; fuf/ i y ckMZ }kjk jktLo l xg l fgr futh fuf/k; k ds izU/ku ij 'kgjh LFkkuh; fudk; k\* dhs ys[kk i jh{kk

कर एवं करत्तेर राजस्व का संग्रह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं था एवं निजी निधियों का संग्रहण प्रभावी एवं कुशल नहीं था। कई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उप-विधियों का अनुमोदन नहीं किया गया था।

¶i Lrj 3-1-4-1 , 00 3-1-4-2½

समुचित आकलन, संग्रहण एवं वसूली के माध्यम से निजी निधियों के लिए राजस्व सृजन का तंत्र कमजोर पाया गया जिससे नमूना जाँच किये गये शहरी निकायों में मार्च 2016 के अंत तक ₹109.81 करोड़ की वसूली बकाया थी।

¶i Lrj 3-1-4-4½

ys[ kki jh{kk i Lrj

रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन, वाराणसी में बिना व्यवहार्यता सुनिश्चित किए शुष्क सम्प पम्प की स्थापना और इसके अक्रियाशील हो जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ का अनुपयोगी व्यय।

¶i Lrj 3-2½

तकनीकी व्यवहार्यता का विश्लेषण किए बिना नगर निगम इलाहाबाद द्वारा लीक डिटेक्शन सिस्टम के क्रय तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षण पर ₹ 1.30 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

¶i Lrj 3-4½

वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति का उल्लंघन करके नगर निगम आगरा और नगर निगम लखनऊ ने बी.एस.-IV माडल वाहनों की जगह बी.एस.-III माडल वाहनों का ₹ 6.85 करोड़ का क्रय किया, जिस कारण वायु प्रदूषण के पर्यावरण मानकों का क्रियान्वयन विफल रहा।

*4/1 Lrj 3-5½*

निजी अस्पताल/नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क का निर्धारण न करने के कारण नगर निगम, वाराणसी को ₹41.50 लाख की राजस्व हानि।

*4/1 Lrj  
3-7½*



## अध्याय 1

### शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जबाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन

#### 1.1 प्रस्तावना

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिये शक्तियों के विकेन्द्रीकरण करने तथा उनको अधिक कार्य एवं निधियों का हस्तांतरण करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढाँचे के अन्तर्गत नगर निगम<sup>1</sup>, नगर पालिका परिषद<sup>2</sup> तथा नगर पंचायत<sup>3</sup> को और अधिक विविधता पूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गयीं। चौहत्तरवें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश शहरी स्वशासी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया।

तदन्तर, प्रचलित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 को संशोधित कर राज्य सरकार को राज्य में अन्तिम पायदान तक निधि, कार्य एवं पदाधिकारियों को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम बनाया गया। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना था।

तदनुसार, प्रत्येक पाँच वर्ष में नियमित चुनावों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित निकाय की स्थापना की गयी।

#### 1.1.1 राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश, देश का पाँचवा सबसे बड़ा प्रदेश है जो लगभग 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य में 636 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि के लिए चयनित सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होती हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों का अन्तिम निर्वाचन वर्ष 2012 में हुआ था। राष्ट्रीय मूल्य के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा सारणी 1 में दी गयी है।

सारणी 1: राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े

क्र० सं०	संकेतक	इकाई	राज्य मूल्य	राष्ट्रीय मूल्य
1	शहरी जनसंख्या	प्रतिशत	22.28	31.16
2	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	संख्या	636	3,842
3	नगर निगमों की संख्या	संख्या	14	139
4	नगर पालिका परिषदों की संख्या	संख्या	198	1,595
5	नगर पंचायतों की संख्या	संख्या	424	2,108
6	लिंग अनुपात (शहरी)	1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं	894	929
7	साक्षरता (शहरी)	प्रतिशत	75.14	84.11

(स्रोत: जनगणना प्रतिवेदन 2011 तथा तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

<sup>1</sup> वृहद शहरी क्षेत्र को निरूपित करता है।


<sup>2</sup> मध्य शहरी क्षेत्र को निरूपित करता है।

<sup>3</sup> संकमणीय क्षेत्र को निरूपित करता है।

## 1.2 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के सरकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि स्तर तक के रेखीय चित्र का विवरण चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

जहाँ नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों का प्रमुख अध्यक्ष होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जो कार्यों के क्रियान्वयन एवं निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण में निदेशक, स्थानीय निकाय सम्बन्धित निकायों का प्रमुख होता है।

## 1.3 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली

चौहतरवा संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, संविधान के 12वीं अनुसूची में सम्मिलित 18 कार्यों (परिशिष्ट 1.1) को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जाने का प्रावधान करता है। मार्च 2016 तक केवल आठ कार्य ही पूर्ण रूप से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे (परिशिष्ट 1.2), पाँच कार्य शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा साझा रूप से संपन्न किये जा रहे थे (परिशिष्ट 1.3) तथा पाँच कार्य सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे (परिशिष्ट 1.4)।

अतः राज्य सरकार द्वारा संविधान में वर्णित 18 कार्यों के विरुद्ध मात्र 13 कार्यों<sup>4</sup> का ही हस्तान्तरण किया गया था। इस प्रकार आंशिक रूप से निधियों, कार्यों एवं पदाधिकारियों का हस्तान्तरण शहरी स्थानीय निकायों के क्रियाकलापों को बाधित करता है एवं

<sup>4</sup> शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा साझा रूप से निष्पादित कार्यों को सम्मिलित करते हुये।

संविधान में उल्लिखित शहरी क्षेत्रों के गरीबी उन्मूलन, आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक उत्थान में उनके सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करता है।

## 1.4 विभिन्न समितियों का गठन

### 1.4.1 शहरी स्थानीय निकायों में स्थायी समितियाँ

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 88 से 105 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 से 112 के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु कई स्थायी समितियों के गठन की आवश्यकता थी। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों में गठित समितियों की संख्या तथा उनके क्रियाशीलता की स्थिति सम्बन्धी सूचना मांगे जाने पर शासन द्वारा भी कोई सूचना नहीं प्रदान की गई (जुलाई 2016)।

### 1.4.2 जिला योजना समितियाँ

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड जी प्राधिकृत करता है कि "प्रत्येक राज्य में जनपद स्तर पर, जनपद में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकित करने और सम्पूर्ण जनपद के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा"।

उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त संशोधन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 (जुलाई 1999) पारित किया। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जनपद में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित कर सम्पूर्ण जनपद के लिये जिला विकास योजना तैयार करने तथा खण्ड एवं उपखण्ड हेतु जिला विकास योजना की रूपरेखा के अनुसार निधियों का आवंटन करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा अवगत (जुलाई 2016) कराया गया कि जिला योजना समितियाँ गठित एवं क्रियाशील थी।

## 1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

### 1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा सम्पन्न करने हेतु अधिकार प्राप्त हैं। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 की अवधि में राज्य के 636 शहरी स्थानीय निकायों में से 570 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की गयी।

अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने हेतु, लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को अग्रसारित करता है। यद्यपि, ये प्रतिवेदन केवल 2010-11 तक के ही प्रस्तुत किये गये थे। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ने अवगत कराया (जुलाई 2016) कि वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया था तथा अवधि 2012-16 के प्रतिवेदन का कार्य प्रगति में है। राज्य सरकार द्वारा निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा तैयार किये गये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर

विधान मण्डल में चर्चा हेतु स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अनुपालन समिति का गठन किया गया। अवधि 1999-2011 के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही है।

यद्यपि उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि अवधि 2012-16 के प्रतिवेदन किन कारणों से निर्धारित समय में तैयार नहीं किये गये थे।


### 1.5.2 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य में शहरी स्थानीय निकायों हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता सौंपे जाने की व्यवस्था जारी रखने की अनुशंसा की गयी थी। इसमें अतिरिक्त घटक निष्पादन अनुदान प्रदान करने के लिए यह शर्त जुड़ी थी कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को विधान मण्डल के पटल पर रखा जाएगा। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शित करता है। प्राधिकार पत्र (अक्टूबर 2011) के अनुसार, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि को अपने विवेक के आधार पर लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य विधान मण्डल को प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा। साथ ही, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा संपन्न करने हेतु कार्य-क्षेत्र, प्रक्रिया एवं सीमा का निश्चय किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों/निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत प्रदान की जाती है। लेखापरीक्षा के परिणाम/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार, निदेशक स्थानीय निकाय एवं निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को अनुपालन एवं कार्यवाही के अनुसरण हेतु प्रेषित किया जाता है।

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया को **चार्ट 2** में प्रदर्शित किया गया है।

#### चार्ट 2: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया



यद्यपि कि प्राधिकार पत्र (अक्टूबर 2011) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने का प्रावधान करता है, किन्तु मार्च 2017 तक अवधि 2004-05 से 2013-14 की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वर्ष 2014-15 की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

## 1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 2011-16 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा व्यय के नियमानुसार होने, प्रक्रिया एवं उद्देश्य, जिसके लिये व्यय सम्पन्न हुआ, की जाँच करने हेतु सम्पन्न की गयी थी। अनुपालन लेखापरीक्षा के लम्बित आपत्तियों का विवरण, धनराशि सहित सारणी 2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2: 31 मार्च 2016 को अनुपालन लेखापरीक्षा के लम्बित आपत्तियों का विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तारों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹ करोड़ में)	निस्तारित प्रस्तारों की संख्या	लम्बित प्रस्तारों की संख्या	लम्बित प्रस्तारों की धनराशि (₹ करोड़ में)
2011-12	43	194	297.29	शून्य	194	297.29
2012-13	88	480	3,832.23		480	3,832.23
2013-14	131	756	4,107.19		756	4,107.19
2014-15	121	730	2,701.09		730	2,701.09
2015-16	116 <sup>5</sup>	627	1,836.25		627	1,836.25

(स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका)

सारणी 2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 से सम्बंधित 756 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ (मूल्य: ₹ 4,107.19 करोड़), वर्ष 2014-15 से सम्बंधित 730 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ (मूल्य: ₹ 2,701.09 करोड़) तथा वर्ष 2015-16 से सम्बंधित 627 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ (मूल्य: ₹ 1,836.25 करोड़) शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयाध्यक्षों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को प्रेषित की गयी थी यद्यपि मार्च 2016 तक कोई भी लेखापरीक्षा आपत्ति निस्तारित नहीं हुई।

## जबाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन

### जबाबदेही तंत्र

#### 1.7 सम्पत्ति कर परिषद्

सम्पत्ति कर के समुचित अधिरोपण और वसूली से संबन्धित विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए सम्पत्ति कर परिषद् का गठन किया जाना था। यद्यपि कि सम्पत्ति कर परिषद् का गठन मार्च 2011 में किया गया था, लेकिन यह निष्प्रभावी बना रहा क्योंकि सम्पत्ति कर परिषद् के गठन का मूल उद्देश्य कर अधिरोपण और वसूली की प्रक्रिया को युक्तियुक्त बनाना था, जो नहीं किया जा सका।

निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अपने उत्तर (जुलाई 2016) में बताया गया कि वर्ष 2016-17 हेतु सम्पत्ति कर परिषद् का गठन किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 3.1.4.1 में दिया गया है।

<sup>5</sup> कुल 116 निरीक्षण प्रतिवेदनों में नगर निगमों: सात, नगर पालिका परिषदों: 40, नगर पंचायतों: 69।

## 1.8 सेवा स्तर मानक

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के प्रस्तर 6.4.10 के अनुसार राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों द्वारा प्रत्येक चार सेवा क्षेत्रों यथा जलापूर्ति, सीवरेज निस्तारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी में प्रदत्त सुविधाओं में सुधार हेतु निर्दिष्ट न्यूनतम स्तर की सेवा प्रस्तावित कर अधिसूचित करना था।

निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा बताया (अगस्त 2016) गया कि नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर के मानदण्ड की अधिसूचना (मई 2015) निर्गत की गयी थी। किन्तु नगर पंचायतों को इस सम्बंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। नमूना जाँच में सम्मिलित शहरी स्थानीय निकायों में चार मुख्य सेवा क्षेत्रों के सम्बंध में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि के मानकों की स्थिति **परिशिष्ट 1.5** में दर्शायी गयी है।

## 1.9 आग से खतरे पर प्रतिक्रिया

एक लाख से अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना) के सभी नगर निगमों को अपने क्षेत्राधिकार में आग से खतरे पर प्रतिक्रिया एवं शमन योजना स्थापित करना था। जबकि नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में आग से खतरे पर प्रतिक्रिया एवं शमन योजना तैयार नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट 1.5**)।

## 1.10 उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के सम्बंध में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से व्यय की गयी धनराशियों का उपयोगता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मात्र शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदान के आधार पर ही भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं शहरी स्थानीय निकायों से अवमुक्त धनराशियों के उपभोग के सम्बंध में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।


## 1.11 वित्तीय प्रतिवेदन

### 1.11.1 निधियों का स्रोत

अनुरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों का आधारभूत संसाधन, निजी प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त अनुदान से हैं।

शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के प्रवाह का रेखाचित्र **चार्ट 3** में दिया गया है:

**चार्ट 3: शहरी स्थानीय निकायों में निधियों का प्रवाह**



(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ)

### 1.11.1.1 राजस्व प्रवाह

ग्यारहवें वित्त आयोग के गठन के साथ शहरी स्थानीय निकायों को पहली बार वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि में वृद्धि कर शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति करना था। तदनुसार, आगामी वित्त आयोगों ने राज्य सरकारों के लिए अनुदान अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की, जिन्हें आगे भी शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को अवमुक्त करना था। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोतों में सम्मिलित हैं:

- बारहवें/तेरहवें/चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सौंपे गये अनुदान;
- केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्राप्त निधियाँ;
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार के कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का हस्तान्तरित 7.5 प्रतिशत अंश;
- शहरी स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदत्त निधियाँ और
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से अर्जित राजस्व जैसे—कर, किराया, शुल्क आदि।

शहरी स्थानीय निकायों के 2011-16 की अवधि में सकल प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति सारणी 3 में दी गयी है।

#### सारणी 3: वर्ष 2011-16 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	राजस्व के स्रोत			कुल प्राप्तियाँ	व्यय		
		निजी राजस्व (कर+करेत्तर राजस्व)	13वें/14वें केन्द्रीय वित्त आयोग से हस्तान्तरण	हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग)		राजस्व	पूँजीगत	योग
1	2011-12	1,089.19	517.51	3,354.37	4,961.07	4,207.63	2,457.61	6,665.24
2	2012-13	1,307.02	756.49	3,993.98	6,057.49	5,049.15	2,949.13	7,998.28
3	2013-14	1,269.11	760.01	6,160.69	8,189.81	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4	2014-15	1,413.69	821.98	6,948.17	9,183.84	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5	2015-16	1,483.07	983.60	5,462.43	7,929.1	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	<b>योग</b>	<b>6,562.08</b>	<b>3,839.59</b>	<b>25,919.64</b>	<b>36,321.31</b>			

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

(अनुपलब्ध: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये)

राज्य सरकार द्वारा अवधि 2013-16 के व्यय के आकड़े प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया। विगत वर्षों में उपभोग की गयी वास्तविक धनराशियों एवं प्रत्येक वर्ष के अन्त में अंतिम अवशेष का विवरण भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। निजी राजस्व एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, जबकि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान में वर्ष 2015-16 में अधिक कमी होने से पूर्व, 2013-15 की अवधि में भारी वृद्धि हुई थी। 2011-16 की पूर्ण अवधि में निजी राजस्व, कुल व्यय के 14 तथा 18 प्रतिशत के बीच रहा।

यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि शहरी विकास विभाग (शहरी विकास विभाग का निदेशालय) द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग अनुदान के जो आँकड़े लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे उसमें, राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत आँकड़ों की तुलना में, दोनों ही केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के 2011-12 से 2015-16 (परिशिष्ट 1.6) के वर्षों में, काफी भिन्नता थी। यह शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के रूप में हस्तांतरित धनराशियों के लेखांकन में राज्य सरकार के अनुश्रवण एवं नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।


केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदान में दुर्विनियोग और या व्यावर्तन रोकने हेतु राज्य सरकार को इन आकड़ों की जाँच पड़ताल एवं त्वरित मिलान सम्पन्न करना चाहिए।

### 1.11.2 राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ

तृतीय एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा यह संस्तुति की गयी कि राज्य सरकार के कुल कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित होना चाहिए। 2011-16 की अवधि में हस्तान्तरित निधियों का विवरण चार्ट 4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4: शुद्ध कर राजस्व की तुलना में राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ)

चार्ट 4 से स्पष्ट है कि निधियों का वास्तविक हस्तान्तरण अनिश्चित था क्योंकि 2013-15 की अवधि में यह संस्तुति मूल्य से काफी अधिक था, वहीं 2011-13 तथा 2015-16 की अवधि में यह कम था।

### 1.11.3 केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियाँ

वर्ष 2011-16 की अवधि में राज्य में शहरी स्थानीय निकायों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान की स्वीकृति एवं अवमुक्त की गई धनराशि की स्थिति सारणी 4 में दर्शायी गयी है।



**सारणी 4: केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान की स्वीकृति एवं अवमुक्ति का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	सामान्य बुनियादी अनुदान		सामान्य निष्पादन अनुदान		योग		कुल स्वीकृत से कम (-)/अधिक (+)
		स्वीकृत	अवमुक्त	स्वीकृत	अवमुक्त	स्वीकृत	अवमुक्त	
1.	2011-12	318.83	344.60	109.02	172.91	427.85	517.51	(+) 89.66
2.	2012-13	372.61	391.47	255.72	365.01	628.33	756.48	(+) 128.15
3.	2013-14	441.50	451.62	301.63	308.39	743.13	760.01	(+) 16.88
4.	2014-15	451.55	493.63	292.92	328.35	744.47	821.98	(+) 77.51
5.	2015-16	983.60	983.60	-	-	983.60	983.60	-

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

**सारणी 4** से स्पष्ट है कि अतिरिक्त निष्पादन अनुदान की प्राप्ति के कारण शहरी स्थानीय निकायों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा 2011-15 की अवधि में अवमुक्त अनुदान, स्वीकृत अनुदान से अधिक था। इस सम्बन्ध में, निदेशक, स्थानीय निकाय ने बताया (जुलाई 2016) कि इसका कारण 13वें वित्त आयोग की नौ शर्तों को पूर्ण न करने एवं निष्पादन न करने वाले राज्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों की अवमुक्ति थी।

यद्यपि, विभिन्न महत्वपूर्ण शर्तें यथा: दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखाओं का रख-रखाव, राज्य विधान मण्डल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सम्पत्ति कर परिषद का गठन, राज्य स्तरीय मानदण्डों पर निष्पादन का मूल्यांकन तथा आग से खतरे पर प्रतिक्रिया एवं शमन योजना की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण नहीं की गयी थी, जैसा कि पूर्व के प्रस्तारों में वर्णित है।

**1.11.3.1 शहरी स्थानीय निकायों को विलम्बित हस्तांतरण के कारण ब्याज का भुगतान**

केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके खाते में जमा किये जाने के पाँच दिनों के भीतर नगर पालिकाओं को अनुदान अवमुक्त करना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में, राज्य सरकार को किश्त के साथ अनिवार्यतः भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर पर ब्याज अवमुक्त करना था। वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को धनराशियाँ तीन दिनों के विलम्ब के साथ अवमुक्त की गयी थी परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान पर ₹ 33.35 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ द्वारा बताया (अगस्त 2016) गया कि विलम्ब सरकार के स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करने में हुआ।

**1.11.4 प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत व्यय**

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की शुरुआत (दिसम्बर 2005) सुधारों को प्रोत्साहित करने एवं प्रमुख शहरों के विकास को तीव्र गति प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी जिसमें शहरी आधारभूत ढाँचा तथा सेवा वितरण तंत्र, सामुदायिक सहभागिता एवं शहरी स्थानीय निकायों की जबाबदेही पर विशेष बल दिया गया था। निदेशक, स्थानीय निकाय/राज्य नोडल एजेन्सी, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी

नवीनीकरण मिशन योजना के अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी था। इस योजना के अन्तर्गत 2011-16 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों में किये गये व्यय को सारणी 5 में दिया गया है।

**सारणी 5: जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	आवंटन	व्यय
1.	2011-12	1,512.43	1,512.43
2.	2012-13	1,279.38	1,279.38
3.	2013-14	1,107.75	1,107.75
4.	2014-15	299.10	299.10
5.	2015-16	126.48	126.48
योग		<b>4,325.14</b>	<b>4,325.14</b>

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)


सारणी 5 से स्पष्ट है कि 2011-16 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित पूर्ण धनराशि उपभोग कर ली गयी थी। निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा सूचित किया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गई धनराशि को अन्तिम व्यय माना गया। इसके अतिरिक्त, कायाकल्प एवं शहरी रूपान्तरण के लिए अटल मिशन योजना हेतु ₹ 320.81 करोड़ आवंटित था। तथापि शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर सम्पन्न वास्तविक व्यय का सरकार द्वारा आकलन नहीं किया गया था।

**1.11.5 निजी संसाधनों से वसूला गया राजस्व**

शहरी स्थानीय निकायों को स्थापना एवं अनुवर्ती व्यय के लिए कर, किराया व शुल्क आदि के संग्रहण द्वारा राजस्व अर्जन करना आवश्यक था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2011-16 की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति चार्ट 5 एवं परिशिष्ट 1.7 में दिया गया है।

**चार्ट 5: निजी स्रोतों से वसूला गया राजस्व।**

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ) (न.नि.: नगर निगम; न.प.प.: नगर पालिका परिषद; न.पं.: नगर पंचायत)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि लगातार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुयी थी। अग्रेतर देखा गया कि वर्ष 2015-16 के लक्ष्य, पूर्व वर्ष से कम किये गये थे तथा यहाँ तक कि कम किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में वर्ष 2015-16 में नहीं हुयी थी। प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है।

इस सम्बन्ध में विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3.1 में दिया गया है।

#### 1.11.6 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों का अनुरक्षण

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख पूर्णतया अनुरक्षित नहीं किये गये:

- सड़क पंजिका जो निर्मित/अनुरक्षित सड़कों का इतिहास दर्शाता है;
- ठेकेदार-बही जो कि ठेकेदार को समय-समय पर किये गये भुगतान को दर्शाता है;
- संविदा अनुबन्ध पंजिका जो कि निष्पादित अनुबन्धों के विवरण को दर्शाता है;
- कार्य पंजिका जो कि कार्यों के विवरण एवं उनके सापेक्ष किये गये भुगतान को प्रदर्शित करता है;
- भविष्य निधि पंजिका एवं ब्राडशीट जो कि पदाधिकारियों के नामे एवं जमा की धनराशि को दर्शाता है;
- अनुदान पंजिका जो कि अनुदानों की स्वीकृति एवं प्राप्ति को दर्शाता है;
- यात्रा दैनिकी (लाग-बुक) जो कि वाहनों के परिचालन की स्थिति को दर्शाता है; तथा
- संपत्ति पंजिका जो कि शहरी स्थानीय निकायों की संपत्तियों का विवरण दर्शाता है।

यह भी देखा गया कि उपरोक्त अभिलेखों के अनुरक्षण नहीं किये जाने के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण भी आंशिक रूप से ही किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दिया गया है।

#### 1.11.7 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखाओं का अनुरक्षण

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से उपार्जन आधार पर लेखाओं के अनुरक्षण हेतु राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल का विकास (नवम्बर 2004) किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली के क्रियान्वयन से शहरी स्थानीय निकायों में लोक-निधियों के उपभोग में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी।

यद्यपि, यह देखा गया कि 12 वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल को अनुपालन नहीं किया गया था (अगस्त 2016)।

21 नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम: 2, नगर पालिका परिषदे: 8, नगर पंचायते: 11) में देखा गया कि 17 शहरी स्थानीय निकायों में उपार्जन आधारित लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर तैयार नहीं किये गये थे तथा चार शहरी स्थानीय निकायों में आंशिक रूप से ही तैयार किये गये थे (**परिशिष्ट 1.5**)। अग्रेतर, अभिलेखों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के मानदण्डों का निश्चय नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल एवं दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर वार्षिक लेखों का क्रियान्वयन न किये जाने के उत्तर में निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ द्वारा बताया (जुलाई 2016) कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 2012 तैयार कर लिया गया है तथा इसके अनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित किया गया है।

### **1.12 निष्कर्ष**

तेरहवें वित्त आयोग के संस्तुतियों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखने तथा उस पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अभी तक इसका अनुसरण नहीं किया गया है।

संविधान में वर्णित 18 कार्यों के सापेक्ष मात्र 13 कार्यों<sup>6</sup> का ही हस्तांतरण सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को किया गया, जिससे कि शहरी स्थानीय निकायों की गतिविधिया सीमित हुयी तथा शहरी क्षेत्रों हेतु गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु नियोजन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी प्रभावित हुयी।

गत वर्षों के लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजी गयी जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रस्तारों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

राजस्व की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त नहीं किए गये जो शासकीय अनुदान पर उनकी अधिक निर्भरता को प्रदर्शित करता है।

---

<sup>6</sup> पाँच कार्य जोकि शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा साझा किये जा रहे थे को सम्मिलित करते हुये।

## अध्याय-2

“शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

### कार्यकारी सारांश

नगरीय ठोस अपशिष्ट में खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के अतिरिक्त, किन्तु परिष्कृत जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अथवा अर्ध ठोस रूप में उत्पन्न आवासीय एवं व्यावसायिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व हथालन नियमावली 2000 बनायी गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए प्रत्येक प्राधिकारी उत्तरदायी है।

वर्ष 2011-16 की अवधि के लिये 10 जनपदों की 36 शहरी स्थानीय निकायों का आच्छादन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर एवं नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर के अतिरिक्त अन्य किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नगर योजना नहीं बनायी गयी थी।

**प्रस्तर 2.6.1**

- राज्य की 604 शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें स्वीकृति नहीं थी। कुल शहरी स्थानीय निकायों के मात्र 1.4 प्रतिशत में ही सुविधायें उपलब्ध थीं। नमूना जांच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र सात के लिए ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा स्वीकृत की गयी थी जबकि इनमें से मात्र तीन ही परिचालन में थीं।

**प्रस्तर 2.6.2**

- राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत लागत (₹505.30 करोड़) का 35 प्रतिशत (₹177.91 करोड़) अप्रयुक्त पड़ा हुआ था क्योंकि 19 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना का कार्य विभिन्न कारणों से रुका हुआ था।

**प्रस्तर 2.7.1**

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 37.56 करोड़ एवं राज्य द्वारा अवमुक्त ₹30.39 करोड़ की धनराशि का उपभोग नहीं किया गया था और राज्य स्तर पर अवरुद्ध बनी रही।

**प्रस्तर 2.7.3**

● नगर पालिका परिषद इटावा, नगर पालिका परिषद कन्नौज, नगर पालिका परिषद मैनपुरी एवं नगर निगम कानपुर में अपशिष्ट निस्तारण संयंत्र के संचालन हेतु कन्सेस्नायर अथवा संचालकों द्वारा निष्पादन जमानत एवं अतिरिक्त निष्पादन जमानत की धनराशि ₹ 9.12 करोड़ जमा नहीं की गयी थी।

**प्रस्तर 2.7.4**

● नगर निगम लखनऊ में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण परियोजना हेतु अनुपयुक्त स्थल चयन के फलस्वरूप समय एवं लागत में धनराशि ₹ 9.91 करोड़ की वृद्धि हुई।

**प्रस्तर 2.7.5**

● मात्र पांच शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद कन्नौज, नगर पालिका परिषद इटावा, नगर पालिका परिषद मिर्जापुर) द्वारा आंशिक रूप से घर-घर अपशिष्ट संग्रहण लागू किया गया था।

**प्रस्तर 2.8.1.2**

● नमूना जाँच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकायों में स्रोत पर कूड़े का पृथक्कीकरण जैसा कि आवश्यक था, नहीं किया जा रहा था।

**प्रस्तर 2.8.2.1**

● नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कूड़े के प्रभावी परिवहन हेतु वाहनों की आवश्यक संख्या के सम्बंध में कोई आकलन नहीं किया गया था। यहाँ तक कि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में, नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर के अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों द्वारा किया जा रहा था।

**प्रस्तर 2.8.4**

● नगर पालिका परिषद सम्भल और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में कार्यदायी संस्था को क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ और ₹ 6.46 करोड़ के भुगतान के पश्चात् भी प्रसंस्करण संयंत्र आरम्भ नहीं किया गया था।

**प्रस्तर 2.8.5.2**

● नगर निगम कानपुर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण फरवरी 2014 से बंद था जबकि नगर निगम लखनऊ और नगर पालिका परिषद इटावा में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र पूर्ण क्षमता से नहीं चलाया जा सका था। नगर पालिका परिषद कन्नौज में संयंत्र की क्षमता अपर्याप्त पायी गयी थी।

**प्रस्तर 2.8.5.3, 2.8.5.4 एवं 2.8.5.5**

● नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर ने परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पूर्व कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 18.10 करोड़ और ₹ 19.87 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

**प्रस्तर 2.8.6.1**

● नगर निगम लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल परिवर्तन के कारण टिपिंग शुल्क में 285 प्रतिशत की वृद्धि की गयी जो कि समुत्पन्न परिस्थितियों के समानुपातिक नहीं थी और इसलिए अनियमित थी।

**प्रस्तर 2.8.6.2**

- परियोजना में उपभोग के उद्देश्य से उपकरणों एवं वाहनों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

**प्रस्तर 2.8.6.3**

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2011-15 की अवधि में वांछित वार्षिक रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित नहीं की गयी थी।

**प्रस्तर 2.9.2**

- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति नहीं की गयी थी जिसके कारण संयंत्र की संचालन प्रक्रियाओं का आवश्यक अनुश्रवण, नहीं किया गया था।

**प्रस्तर 2.9.4**

## 2.1 परिचय

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम् एस डब्लू) में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के अतिरिक्त, किन्तु परिष्कृत जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस अथवा अर्ध ठोस रूप में आवासीय एवं व्यावसायिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वो सभी संक्रियाएं सम्मिलित हैं जो ठोस अपशिष्ट के स्वास्थ्य, पर्यावरण, एवं सौंदर्यात्मक प्रभाव को तलाश कर न्यूनतम कर सकें। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य हानि को रोकने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियमावली 2000 (एमएसडब्लू रूल्स 2000) बनाई गयी जिससे कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन को विनियमित किया जा सके। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए प्रत्येक नगरीय प्राधिकारी उत्तरदायी है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत संग्रहण, परिवहन, पुनः उपयोग योग्य पदार्थों की पुनः प्राप्ति तथा अपशिष्ट का निस्तारण सम्बन्धी संक्रियाओं का पर्यवेक्षण व निस्तारण स्थल की पश्च देखभाल आता है। नियमावली यह भी कहती है की अपशिष्ट से अधिकतम व्यावहारिक लाभ लिए जाने को प्राथमिकता, अपशिष्ट रोकथाम एवं अपशिष्ट अल्पीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

## 2.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर सचिव, नगर विकास विभाग नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के प्रावधानों को लागू करने व क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी है। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा अनुदानों के अवमुक्ति, शहरी स्थानीय निकायों के बजट का परीक्षण, समीक्षा बैठकों सम्बन्धी डाटा का संकलन आदि के लिए राज्य सरकार की सहायता की जानी थी। इसके अतिरिक्त सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी पर नगर निगम के लिये नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों के लिए अधिशाषी अधिकारी की सहायता से क्षेत्रीय सीमा में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् प्राधिकार जारी करने एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय इकाई में स्थानीय निकाय के प्रबंधन एवं नीति निर्णय के लिए विभिन्न निर्वाचित सदस्यों द्वारा मेयर/चेयरमैन की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया गया।

संगठनात्मक ढांचा एवं निधि प्रवाह इस प्रतिवेदन के अध्याय एक के प्रस्तर 1.2 में दिया गया है।

### 2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि;

- सभी नगरीय क्षेत्रों से कूड़े के सुव्यवस्थित व नियमित संग्रहण हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक योजना बनाई गयी थी तथा समयोचित तरीके से कूड़े के सुरक्षित व समुचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए धन आवंटन को पर्याप्त प्राथमिकता दी गयी थी तथा उपलब्ध धनराशि का मितव्ययी, दक्ष व प्रभावी तरीके से उपभोग किया गया था;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, भण्डारण एवं परिवहन, पृथक्करण, प्रसंस्करण व वैज्ञानिक निस्तारण किये जाने के लिये पर्याप्त आधारभूत संरचना सृजित एवं प्रभावी ढंग से परिचालित थी;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में प्रदूषण मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा था; और
- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुपालन हेतु प्रभावी अनुश्रवण प्रक्रियाएं लागू की गयी थीं।

### 2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे:

- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986;
- नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन तथा सम्बंधित स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र;
- वार्षिक प्रतिवेदन तथा बजट अभिलेख;
- भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी सेवा-स्तर मानदण्ड की हस्तपुस्तिका;
- वित्तीय नियमों के प्रावधान;



- विभाग द्वारा प्रतिवेदित एवं अनुरक्षित विभिन्न प्रतिवेदन तथा विवरणी; एवं
- नगर निगम अधिनियम 1959 व नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916।

## 2.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र तथा क्रियाविधि

उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में कुल 636 शहरी स्थानीय निकाय हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग विथआउट रिप्लेसमेन्ट विधि से कुल 10 जनपदों की 36 शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया था। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों का विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में मार्च से जुलाई 2016 की अवधि में चयनित नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के नगर आयुक्त व अधिशाषी अधिकारियों व प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालकों (रियायत ग्राही) के कार्यालयों के मूल अभिलेखों, पंजिकाओं व पत्रावलियों की जाँच, सूचनाओं का संग्रह, लेखापरीक्षा पूछ-ताछ, इकाई के उत्तरों का संकलन एवं कर्मचारियों से पारस्परिक विचार-विमर्श आदि सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त चयनित प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में कूड़ा-भरण स्थलों, प्रसंस्करण संयंत्रों व भराव स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था। सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई के सम्बन्ध में प्रत्येक चयनित शहरी स्थानीय निकाय में लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया था।

नियोजन, बजट निरूपण, अनुदानों की अवमुक्ति, संस्वीकृतियां तथा नगरीय टोस अपशिष्ट नियम 2000 लागू किए जाने सम्बन्धी सूचनाओं आदि को निदेशक, स्थानीय निकाय और सचिव, नगर विकास विभाग से एकत्रित किया गया था।

सचिव, नगर विकास विभाग के साथ मार्च 2016 में प्रारंभिक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र तथा कार्य विधि की व्याख्या की गयी थी। क्षेत्र लेखापरीक्षा समापन के बाद प्रारूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के साथ समापन बैठक (फरवरी 2017) में परिचर्चा की गई जहाँ प्रारूप के तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया गया। यद्यपि समापन बैठक में दिए गए आश्वासन के पश्चात् भी निष्पादन लेखापरीक्षा के बिन्दुवार उत्तर प्रतिवेदन के अन्तिमीकरण होने तक प्राप्त नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा विभाग निष्पादन लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में नगर विकास विभाग, शहरी स्थानीय निकाय एवं उनके कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार ज्ञापित करता है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.6 नियोजन

टोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए और उसे सतत् आगे ले जाने के लिए एक सुपरिभाषित नीति की आवश्यकता होती है। नीति में अन्य बातों के साथ साथ अपशिष्ट का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग व अपक्षय हेतु रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि अपशिष्ट के अंतिम निस्तारण के लिए अपशिष्ट की मात्रा कम से कम हो और अंततः निस्तारण लागत कम से कम आए।

### 2.6.1 नगर योजना का तैयार किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अध्याय 26 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक निश्चित समय सीमा में गतिविधियों को शामिल करते हुए एक लिखित अभिलेख "नगर योजना" के रूप में तैयार की जानी चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, अंतरण व परिवहन, प्रसंस्करण, पुनः प्राप्ति एवं ठोस अपशिष्ट का निस्तारण सम्बन्धी गतिविधियाँ शामिल हैं जो कि मितव्ययिता के सिद्धान्त, सौन्दर्यबोध, उर्जा एवं संरक्षण को ग्रहण करते हुए सतत पर्यावरणीय रूप से लम्बे समय तक चल सकने वाला हो।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जाँच किये गये दस जनपदों के शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम लखनऊ व कानपुर एवं नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के अतिरिक्त किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने नगर योजना तैयार नहीं की थी। परिणामस्वरूप, कोई भी शहरी स्थानीय निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम ठीक से लागू नहीं कर पाया जिनका वर्णन आगे के प्रस्तरो में किया गया है।


### 2.6.2 अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की क्रियाशीलता की स्थिति

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राधिकारी को उनके प्राधिकार क्षेत्र में उत्सर्जित अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु सुविधाओं की स्थापना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार लेने के उपरान्त नियत तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2003 अथवा उसके पूर्व किया जाना चाहिए था।

निदेशालय स्थानीय निकाय के लेखा अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया की माह मार्च 2016 तक राज्य में कुल 636 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 32 में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत थी। इसके अतिरिक्त नियमावली के अनुरूप कोई भी परियोजना नियत तिथि तक स्थापित नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के राज्य में लागू होने के 16 साल बाद भी सभी शहरी स्थानीय निकायों को 604 शहरी स्थानीय निकायों (95 प्रतिशत), में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित नहीं की जा सकी थी। यहाँ तक कि 32 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र नौ परियोजनाएं (राज्य की कुल शहरी स्थानीय निकाय का 1.4 प्रतिशत) ही मार्च 2016 तक क्रियाशील हो पाई थीं (**परिशिष्ट 2.2**)।

नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र सात शहरी स्थानीय निकायों में ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा स्वीकृत थी। जबकि मार्च 2016 तक कुल नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन में ही परियोजनाएं क्रियाशील की जा सकी थी।

राज्य की सभी 32 परियोजनाओं के साथ ही साथ नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में परियोजनाओं की स्थिति **चार्ट 1 व 2** में सारांशिकृत है:



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

### 2.6.3 बिना प्राधिकार के सुविधाओं का संचालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुपालन हेतु म्युनिसिपल प्राधिकारी अथवा सुविधादाता संचालक (कन्सेस्नायर) को अपशिष्ट प्रसंस्करण व भूमि भराव सहित निस्तारण सुविधा की स्थापना हेतु निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन करना था। तथापि अभिलेखों की जाँच में पाया गया की राज्य में स्वीकृत 32 परियोजनाओं में से 2011-16 की अवधि में मात्र पाँच शहरी स्थानीय निकायों ने ही प्राधिकार प्राप्त किये थे जैसा की सारणी 1 में वर्णित है।

**सारणी 1: 2011-16 की अवधि में प्राधिकार प्राप्ति की स्थिति**

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष जिसमें प्राधिकार प्राप्त किया गया				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	नगर पालिका परिषद रायबरेली	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त नहीं
2	नगर निगम बरेली	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
3	नगर पालिका परिषद बाराबंकी	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त नहीं
4	नगर निगम लखनऊ	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
5	नगर निगम इलाहाबाद	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त
योग		एक ने प्राप्त किया	तीन ने प्राप्त किया	तीन ने प्राप्त किया	तीन ने प्राप्त किया	दो ने प्राप्त किया

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

सारणी 1 से स्पष्ट है कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय अथवा प्रचालक द्वारा नियमित प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया था। अग्रेतर पाया गया की नगर निगम लखनऊ के प्रचालक को प्रदत्त प्राधिकार मात्र दिसम्बर 2015 तक ही वैध था जिसका अभी (जुलाई 2016) तक नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

### 2.6.4 अपशिष्ट का अप्रमाणिक आकलन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के सही नियोजन व सफल क्रियान्वयन हेतु उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा एवं लक्षण का समुचित आकलन आवश्यक है। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में उत्सर्जित अपशिष्ट के सही आकलन एवं वार्षिक आख्या में प्रतिवेदित करने हेतु निस्तारण स्थल पर तौलने की सुविधा होनी चाहिए। जबकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नमूना

जाँच हेतु चयनित 36 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन नगर पालिका परिषद<sup>1</sup> व दो चयनित नगर निगम<sup>2</sup> में ही अपशिष्ट को तौलने की सुविधा उपलब्ध थी।

### 2.6.5 मानव-शक्ति प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संगत प्रबंधन के लिए पर्याप्त मानवशक्ति का नियोजन किया जाना चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षण स्टाफ के रूप में सफाई निरीक्षकों को भी नियोजित किया जाना था। जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-16 की अवधि में जांच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई निरीक्षकों के 144 स्वीकृत पद के सापेक्ष 39 से 41 संख्या में सफाई निरीक्षकों की कमी थी।

इस प्रकार शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पर्यवेक्षण स्टाफ की तैनाती के उचित नियोजन में विफलता के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संचालन प्रभावित हुआ।

**अनुशंसा :** राज्य सरकार को राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का अनुश्रवण करने के लिए योजनाएं बनायी जानी चाहिए।

### 2.7 वित्तीय प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग व अन्य योजना निधि/निजी निधियों का उपयोग किया गया था। वर्ष 2011-16 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य की शहरी स्थानीय निकायों व नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गए व्यय की स्थिति सारणी 2 में दी गई है।

**सारणी 2:** राज्य की शहरी स्थानीय निकायों व नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किये गए व्यय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य में व्यय			चयनित शहरी स्थानीय निकायों में व्यय		
	योग	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय का प्रतिशत	योग	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय का प्रतिशत
2011-12	3,050.74	167.86	5.50	1,623.98	65.61	4.04
2012-13	2,874.32	203.09	7.07	1,559.38	66.06	4.24
2013-14	3,853.77	244.26	6.34	1,841.10	94.16	5.11
2014-15	5,324.68	344.68	6.47	2,200.30	104.58	4.75
2015-16	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2,420.65	144.66	5.98
<b>योग</b>	<b>15,103.51</b>	<b>959.89</b>		<b>9,645.41</b>	<b>475.07</b>	

(स्रोत: विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन "कार्यविवरण" में प्रकाशित सूचना और चयनित शहरी स्थानीय निकाय)

सारणी 2 से स्पष्ट है की नगरीय ठोस अपशिष्ट कार्यों के प्रबंधन के लिए राज्य की शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वांछित प्राथमिकता नहीं दी गयी क्योंकि कुल व्यय के सापेक्ष मात्र 5.5 व 7.07 प्रतिशत के मध्य ही नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर व्यय किया गया था। नमूना जाँच की गई 36 शहरी स्थानीय निकायों में भी कुल व्यय के सापेक्ष बहुत कम व्यय प्रतिशत 4.04 से 5.98 के बीच रहा जो कि प्रदर्शित करता है कि

<sup>1</sup> इटावा, कन्नौज और मैनपुरी।

<sup>2</sup> कानपुर और लखनऊ।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वांछित महत्व नहीं दिया गया जबकि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक था और इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता थी।

### 2.7.1 योजनाओं के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की स्वीकृतियां

भारत सरकार द्वारा कुल 29 परियोजनाएं व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन परियोजनाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत थीं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 29 परियोजनाओं में से ₹ 419.61 करोड़ की 27 परियोजनाएं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना के अंतर्गत तथा ₹ 27.38 करोड़ की दो परियोजनाएं<sup>3</sup> एयर फील्ड टाउन योजना के अंतर्गत थीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन परियोजनाओं<sup>4</sup> हेतु ₹ 58.31 करोड़ की निधियां स्वीकृत की गयी थीं। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत, अवमुक्त धनराशि और उसके सापेक्ष व्यय का विवरण सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3: मार्च 2016 में राज्य में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	कुल अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत के सापेक्ष अप्रयुक्त धनराशि		
					धनराशि	प्रतिशतता	
भारत सरकार	युआईडीएस एसएमटी <sup>5</sup>	19 <sup>6</sup>	169.03	138.46	99.71	69.33	41.02
	युआई एण्ड जी <sup>7</sup>	07 <sup>8</sup>	241.60	227.44	202.77	38.82	16.07
	सेटेलाईट टाउन स्कीम	01 <sup>9</sup>	8.98	4.49	4.44	4.54	50.56
	एयर फील्ड टाउन स्कीम	02	27.38	26.62	20.47	6.91	25.24
उत्तर प्रदेश सरकार	स्टेट सेक्टर स्कीम	03	58.31	13.80	0.00	58.31	100
योग		32	505.30	410.81	327.39	177.91	35.21

(स्रोत: विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन "कार्य विवरण" में प्रकाशित सूचना)

उपरोक्त सारणी 3 से स्पष्ट है कि राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत का 35 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ी रही क्योंकि 19 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण व निस्तारण सुविधाओं का स्थापना कार्य विविध कारणों जैसे ठेकेदार और उप-ठेकेदार के मध्य विवाद, भूमि विवाद, उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता आदि से बाधित रहा।

### 2.7.2 अपूर्ण व परित्यक्त परियोजनाओं पर अलाभकारी व्यय

निदेशक स्थानीय निकाय के लेखाभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया की कार्यदायी संस्था (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेस, उत्तर प्रदेश जल निगम) ने 15 परियोजनाओं

<sup>3</sup> नगर निगम, बरेली और नगर निगम, गाजियाबाद।

<sup>4</sup> नगर पालिका परिषद, भदोही, नजीबाबाद और रामपुर।

<sup>5</sup> लघु एवं मध्यम कस्बों के आधारभूत संरचनात्मक विकास की शहरी योजना।

<sup>6</sup> अलीगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, लोनी, मैनपुरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और सम्भल।

<sup>7</sup> शहरी आधारभूत संरचना और संचालन।

<sup>8</sup> आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी।

<sup>9</sup> पिलखुआ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

(परिशिष्ट 2.3) के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सयंत्र की स्थापना व आगामी 30 वर्षों तक सयंत्र के संचालन का कार्य एक फर्म मेसर्स ए टू जेड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (कन्सेस्नायर) को सौंपा था। कन्सेस्नायर ने जहाँ भूमि उपलब्ध थी, 11 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया (सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2010) किंतु मात्र दो परियोजनाएं (मुजफ्फरनगर व मेरठ) ही पूर्ण की जा सकी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण कन्सेस्नायर ने कार्य अचानक बंद कर दिया और परियोजनाओं को अन्य फर्म को उप-ठेका करने का अनुरोध किया (जुलाई 2013)। कार्यदायी संस्था से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के पश्चात् कन्सेस्नायर ने नौ परियोजनाओं<sup>10</sup> को जुलाई 2013 में मेसर्स एकोर्ड हाइड्रोएअर प्राइवेट लिमिटेड (उप-निविदा फर्म) को सौंप दिया। कन्सेस्नायर व उप-निविदा फर्म दिसम्बर 2013 तक मात्र तीन<sup>11</sup> परियोजनाओं को ही पूर्ण कर सकी थी। शेष छः परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका और अभी तक अपूर्ण रहा। अग्रेतर पाया गया कि चार<sup>12</sup> पूर्ण परियोजनाएं एक से तीन साल तक ही संचालित रहीं जब कन्सेस्नायर ने शहरी स्थानीय निकाय से टिपिंग शुल्क के विवाद के कारण इनका संचालन रोक दिया।

इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर कन्सेस्नायर फर्म का चयन किये जाने के कारण दस शहरी स्थानीय निकाय में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं असफल हो गयीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 156.22 करोड़ व्यय धनराशि निरर्थक/अलाभकारी रही (परिशिष्ट 2.3)।

### 2.7.3 स्वच्छ भारत मिशन की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना

स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देश के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन, अनुदान के रूप में अनुमन्य हैं। राज्य सरकार को अपना राज्यांश शहरी स्थानीय निकाय को केन्द्रांश के अवमुक्त होने के 30 दिनों के भीतर देना था। भारत सरकार के शहरी विकास विभाग ने मार्च 2015 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट परियोजना के लिए ₹ 37.56 करोड़ की पहली किश्त जारी की। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 महीनों (सितम्बर 2016) तक किसी परियोजना की स्वीकृति नहीं दी। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 116.49 करोड़ की कार्य योजना की स्वीकृति दी एवं निदेशालय, स्थानीय निकाय को धनराशि ₹ 50.70 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 20.39 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 30.39 करोड़) अवमुक्त किये (अक्टूबर 2016) परन्तु निदेशक द्वारा उक्त धनराशि जनवरी 2017 तक शहरी स्थानीय निकायों को नहीं दी गई। इस प्रकार भारत सरकार (₹ 37.56 करोड़) और राज्य सरकार (₹ 30.39 करोड़) से अवमुक्त धनराशि राज्य स्तर पर (22 माह)/निदेशालय स्तर पर (चार माह) अवरुद्ध रही।

### 2.7.4 निष्पादन जमानत/अतिरिक्त निष्पादन जमानत प्राप्त किया जाना

कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार कन्सेस्नायर द्वारा अनुबन्ध में सहमत दर/धनराशि के अनुसार कन्सेशन अवधि तक के लिए निष्पादन जमानत के रूप में बैंक गारंटी जमा किया जाना था। नमूना जाँच किए गए जनपदों में परियोजना के सापेक्ष कन्सेस्नायर द्वारा जमा की गयी निष्पादन जमानत की स्थिति का सार सारणी 4 में निम्नवत है:

<sup>10</sup> न0नि0 अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद एवं वाराणसी; न0पा0प0 बदायूं, बलिया, फतेहपुर, मिर्जापुर और सम्भल।

<sup>11</sup> फतेहपुर, कानपुर और मुरादाबाद।

<sup>12</sup> फतेहपुर, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद।

**सारणी 4: निष्पादन जमानत की स्थिति**

परियोजना का नाम	कन्सेसनेयर का नाम	वसूली योग्य बैंक गारंटी की धनराशि (₹ लाख में)	निष्पादन जमानत की स्थिति
नगर निगम कानपुर	ए 2 जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	766.25	नगर निगम द्वारा निष्पादन जमानत नहीं ली गयी।
नगर पालिका परिषद इटावा	एकार्ड हाइड्रोएयर प्राइवेट लिमिटेड	19.70	नगर पालिका परिषद द्वारा निष्पादन जमानत नहीं ली गयी।
नगर पालिका परिषद मैनपुरी	एकार्ड हाइड्रोएयर प्राइवेट लिमिटेड	अनुपलब्ध	कन्सेशन अनुबन्ध की धाराओं एवं अनुसूचियों के विवरण की प्रति एवं निष्पादन जमानत/बैंक गारंटी का विवरण नगर पालिका परिषद के पास उपलब्ध नहीं।
नगर पालिका परिषद कन्नौज	एकार्ड हाइड्रोएयर प्राइवेट लिमिटेड	28.22	निष्पादन जमानत के रूप में जमा की गयी बैंक गारंटी को नवम्बर 2015 से नवीनीकृत नहीं कराया गया था।
<b>योग</b>		<b>814.17</b>	

(स्रोत: नमूना जाँच किए गए स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सूचनायें)

उपरोक्त **सारणी 4** से स्पष्ट है कि दो नगरीय निकायें (नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद इटावा) निष्पादन जमानत प्राप्त करने में असफल रहीं जबकि नगर पालिका परिषद मैनपुरी के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

नगर पालिका परिषद-कन्नौज में कन्सेसनायर ने निष्पादन जमानत के रूप में चार्टर्ड मरकैन्टाइल एम0 बी0 लि0 लखनऊ द्वारा निर्गत ₹ 28.22 लाख की बैंक गारण्टी नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत की (नवम्बर 2011)। लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद द्वारा न तो बैंक गारण्टी को बैंक से सत्यापित किया गया और न ही निर्गतकर्ता बैंक की स्थिति का सत्यापन कराया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा बाद में अवगत कराया गया कि यह बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत नहीं था। इस प्रकार, बैंक गारण्टी जाली साबित हुयी परन्तु नगर पालिका परिषद द्वारा कन्सेसनायर के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही उसे काली सूची में डाला गया। निष्पादन जमानत के रूप में जमा की गयी बैंक गारण्टी को नवम्बर 2015 से नवीनीकृत भी नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार, नियुक्ति तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने पर कन्सेसनायर द्वारा बैंक गारण्टी के माध्यम से अनुबन्ध में प्राविधानित धनराशि की एक अतिरिक्त निष्पादन जमानत भी जमा करायी जानी थी। उपरोक्त चार नगरीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में विदित हुआ कि उनमें से तीन<sup>13</sup> के द्वारा धनराशि ₹ 97.99 लाख की अतिरिक्त निष्पादन जमानत प्राप्त नहीं की गयी थी। नगर पालिका परिषद मैनपुरी में अतिरिक्त निष्पादन जमानत/बैंक गारण्टी के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

**2.7.5 गलत स्थल चयन के कारण ₹ 9.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय**

नगर निगम लखनऊ में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा के विकास के लिए भारत सरकार ने (मार्च 2007) में ₹ 42.92 करोड़ स्वीकृत किये थे। इस

<sup>13</sup> नगर पालिका परिषद इटावा, कन्नौज और नगर निगम कानपुर ने अतिरिक्त निष्पादन जमानत क्रमशः ₹15.00 लाख, ₹15.00 लाख और ₹67.99 लाख नहीं जमा किया।

उद्देश्य के लिए प्रारम्भ में स्थल का चयन वर्ष 2010 में ग्राम दशहरी किया गया था जिसे बाद में फलपट्टी<sup>14</sup> क्षेत्र घोषित किया गया और इस कारण से उसमें निर्माण कार्य प्रतिबन्धित था। बाद में ग्राम शिवरी एवं पल्लेन्दा सड़क पर नया स्थल चिन्हित कर कन्सेस्नायर को अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि में हस्तगत कराया गया। इस प्रकार समय की वृद्धि के कारण लागत में ₹ 9.91 करोड़ की वृद्धि हुई जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और अतिरिक्त धनराशि का भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से किया गया (अगस्त 2014)। इस प्रकार गलत स्थल चयन के कारण ₹ 9.91 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

## 2.8. क्रियान्वयन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक म्युनिसिपल प्राधिकारी अपने क्षेत्र में कूड़े के संग्रहण, पृथक्कीकरण, भण्डारण, परिवहन, पुनर्चक्रीकरण एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी थे। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय झाड़ू लगवाने, गलियों की सफाई, कूड़ा-करकट को हटवाने, कूड़ादान लगवाने और गंदगी को हटवाने के लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था हेतु उत्तरदायी थे।

### 2.8.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

#### 2.8.1.1 अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के प्रावधानों में नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत उत्सर्जित अपशिष्ट संग्रहण की प्रक्रिया जैसे घर-घर से व्यवस्थित रूप में एकत्र करना, होटल, भोजनालयों, कार्यालय भवनों, व्यवसायिक क्षेत्र सहित अनाधिकृत क्षेत्रों में बसने वाले स्लमों आदि की व्याख्या की गयी है। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम लखनऊ को छोड़कर, किसी भी स्थानीय निकाय, में कूड़ा संग्रहण अभिलेखों, जैसे नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण में लगे हुए वाहनों की लाग-बुकों का रख-रखाव, संग्रहण स्थलों की सूची, संग्रहण की समय सारणी आदि, का रख-रखाव नहीं किया गया था। अग्रेतर, नगर निगम लखनऊ के 110 वार्ड में से 55 वार्ड से सम्बन्धित अभिलेख, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण ऑपरेटर फर्म द्वारा किया जा रहा था, उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि शहरी स्थानीय निकायों में निर्दिष्ट प्रणाली नियमित रूप से कूड़ा संग्रहण हेतु क्रियान्वित थी।

#### 2.8.1.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 36 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 31 शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर से कूड़े का संग्रहण नहीं किया जा रहा था शेष पाँच शहरी स्थानीय निकायों<sup>15</sup> में नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर से संग्रहण की आंशिक प्रणाली थी।

घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रणाली कार्यान्वयन में विफलता के फलस्वरूप खुले स्थानों पर सड़कों के किनारे कूड़ों का ढेर लगा था और प्राथमिक संग्रहण स्थलों पर खुले कूड़ेदानों में कूड़ा ऊपर तक चढ़ा हुआ था।

<sup>14</sup> फलपट्टी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ का सूक्ष्म वातावरण फलों के उत्पादन के लिए अच्छी दशा प्रदान करता है।

<sup>15</sup> नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद इटावा, नगर पालिका परिषद कन्नौज एवं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर।



### 2.8.1.3 उपभोग शुल्क की वसूली/पुनः प्राप्ति न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जून 2014) के अनुसार सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित दरों पर प्रारम्भ द्वारा प्रथम तीन वर्ष तक प्रयोक्ता शुल्क की वसूली उपभोक्ताओं से की जानी थी। इस प्रकार वसूल किये गये प्रयोक्ता शुल्क से घर-घर कूड़ा संग्रहण एवं उसे प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन करने के लिए निजी प्रचालकों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था।

तथापि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के विपरीत नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा घर-घर कूड़ा संग्रहण हेतु उपभोगताओं से प्रयोक्ता शुल्क वसूल किये बिना ही प्रचालक को टिपिंग शुल्क ₹ 1.24 करोड़ (अवधि अगस्त 2014 से जनवरी 2016 तक) का भुगतान राज्य वित्त/निजी स्रोत से किया गया।

अग्रेतर, 36 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, नगर निगम लखनऊ एवं नगर निगम कानपुर को छोड़कर, प्रयोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी। नगर निगम लखनऊ ने 55 वार्डों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण मई 2010 में प्रारम्भ किया। किन्तु नगर निगम द्वारा उपभोग शुल्क की वसूली जाने वाली दरों की अधिसूचना सितम्बर 2013 में जारी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के विरुद्ध नगर निगम लखनऊ द्वारा गृह स्वामियों को कोई बिल निर्गत नहीं किया गया था, परन्तु बिल का निर्गमन निजी प्रचालक द्वारा किया जा रहा था। यह भी संज्ञान में आया कि नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों (वार्डों का विवरण, घरों की संख्या, गृह स्वामियों को निर्गत किये गये बिलों, प्रयोक्ता शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि, वसूल की गई उपभोग शुल्क की धनराशि) का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में प्रयोक्ता शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि, वसूल की गई प्रयोक्ता शुल्क की धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### 2.8.1.4 वाणिज्यिक संस्थानों एवं कार्यालयों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण न किया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को मलिन बस्तियों एवं अवैध क्षेत्रों अथवा होटल, रेस्टोरेण्ट, कार्यालय परिसर एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की योजना बनानी चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 36 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से केवल आठ शहरी स्थानीय निकायों<sup>16</sup> द्वारा इन क्षेत्रों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का नियमित संग्रहण किया जा रहा था। किन्तु इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी शेष 28 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन क्षेत्रों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण केवल सड़कों पर झाड़ू लगाकर किया जा रहा था।

### 2.8.1.5 जैविक क्षरणशील अपशिष्टों का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के अनुसार पशु वधशाला, मांस एवं मछली, फल एवं सब्जी बाजार से निकलने वाले ठोस अपशिष्टों को, जो स्वभाव से जैविक क्षरणशील होते हैं, पुनः उपयोग होने के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जांच में

<sup>16</sup> नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बिल्हौर, इटावा, जसवन्तनगर, सुल्तानपुर, नगर पंचायत बकेवर, बिदूर, शिवराजपुर।

पाया गया कि नगर निगम लखनऊ को छोड़कर, 35 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा फल एवं सब्जी बाजार से निकलने वाले जैविक क्षरणशील अपशिष्टों के संग्रहण की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

### 2.8.1.6 ठोस अपशिष्टों का जलाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के अनुसार सूखी पत्तियों एवं अन्य कचरों को जलाना नहीं चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को पेड़ की पत्तियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा एकत्रित किये गये अन्य सूखे कचरों को जलाने से रोका जाना चाहिए एवं सफाई कर्मियों को यह निर्देशित किया जाना चाहिए कि समस्त अपशिष्टों को केवल सामुदायिक अपशिष्ट संग्रहण डिब्बों अथवा कूड़ा संग्रहण स्थल में ले जायें।

हालांकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्टों को 18 शहरी स्थानीय निकायों<sup>17</sup> में विभिन्न स्थानों पर खुले में जलाया जा रहा था जबकि नगर पालिका परिषद कन्नौज एवं नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर में जलाया जा रहा था जिसकी अनुमति नहीं थी।

	
<p>नगर पालिका परिषद कन्नौज के प्रसंस्करण संयंत्र के परिसर में जलता हुआ नगरीय ठोस अपशिष्ट</p>	<p>नगर पालिका परिषद सम्मल में चिकित्सालय के बाहर कूड़ेदान में जलता हुआ नगरीय ठोस अपशिष्ट</p>

नगरीय ठोस अपशिष्टों का जलना न केवल नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों का उल्लंघन है बल्कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक है।

### 2.8.1.7 अपर्याप्त सामुदायिक कूड़ेदान का प्रावधान

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय स्थिति के आधार पर सड़क की लम्बाई के 25 मीटर से 250 मीटर की तर्कसंगत दूरी पर सामुदायिक कूड़ा डिब्बों को प्रदान किया जाना चाहिए था। नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यक सामुदायिक कूड़ादानों एवं स्थापित कूड़ादानों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है:

<sup>17</sup> नगर पालिका परिषद चन्दौसी, छिबरामऊ, देवरिया, इटावा, गौरा बरहज, जसवन्तनगर, कन्नौज, मिर्जापुर, पडरौना, सम्मल, नगर पंचायत बकेवर, भारतपार रानी, भोगाँव, हाटा, कारखाना, लखना, रामपुर, रामकोला एवं समधन।

सारणी: 5 सामुदायिक कूड़ादानों का विवरण

(संख्या में)

वर्ष	36 नगरीय स्थानीय निकायों की कुल सड़कों की लम्बाई (मीटर में)	आवश्यक सामुदायिक कूड़ेदानों की संख्या <sup>18</sup>	प्रदान किये गये कूड़ेदान	कमी	कमी का प्रतिशत
2011-12	83,88,309	33,553	4,041	29,512	87.95
2012-13	84,36,784	33,747	4,190	29,557	87.58
2013-14	84,96,413	33,985	1,865	32,120	94.51
2014-15	85,57,199	34,228	2,970	31,259	91.32
2015-16	86,09,571	34,438	3,344	31,094	90.29
<b>योग</b>	<b>4,24,88,276</b>	<b>1,69,951</b>	<b>16,410</b>	<b>1,53,542</b>	<b>90.35</b>

(स्रोत: सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि समस्त नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2011-16 तक सामुदायिक कूड़ेदान की कमी 88 से 95 प्रतिशत थी। इसके परिणामस्वरूप कूड़ा सड़कों के किनारे और नगरीय नालियों में फेंके जा रहे थे जो जल बहाव को रोक रहा था:



2.8.1.8 गलियों/सड़कों में झाड़ू लगाया जाना

शहरी स्थानीय निकायों के लिए नियमों की बाध्यता है कि लोक मार्ग/गलियों/अन्य सार्वजनिक स्थलों की प्रतिदिन सफाई एवं झाड़ू लगाना तथा घर-घर से कूड़ा संग्रहण एवं सड़कों से झाड़ू लगाकर एकत्रित कूड़ों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रयोजन के लिए टोस अपशिष्ट प्रबन्धन मैनुअल के अनुसार निर्धारित मानदण्ड के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों एवं गलियों की उनकी लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ सूची तैयार की जानी चाहिए तथा उनकी प्रतिदिन की सफाई के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों की सफाई हेतु प्रतिदिन अथवा नियतकालिक समय-सारणी इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वे स्थल कूड़ा एकत्रण स्थल न बनने पायें और साफ रहें।

<sup>18</sup> उच्च विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 250 मीटर पर एक कूड़ादान।

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12 शहरी स्थानीय निकायों (33 प्रतिशत) द्वारा सार्वजनिक स्थलों की ऐसी सूची नहीं बनाई गई थी। अग्रेत्तर 11 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक स्थलों की सफाई एवं झाड़ू लगाने के लिए समय-सारणी नहीं बनाई गई थी। इस प्रकार लेखापरीक्षा में अभिलेखों के माध्यम से इस दिशा में प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

#### **अनुशंसा:**

- **सभी गृहस्वामियों, कार्यालयों, वाणिज्यिक परिसरों और घर-घर से कूड़ा संग्रहण एवं जैविक क्षरणशील अपशिष्टों का संग्रहण समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली/उगाही के लिए उचित नीति बनायी जानी चाहिए।**
- **प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु पर्याप्त संख्या में कूड़ादान प्रदान किया जाना चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्टों को जलाया जाना, कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।**

### **2.8.2 नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्कीकरण**

#### **2.8.2.1 सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना**

नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के प्रावधानों के अनुपालन कसौटियों यह प्रावधानित करती हैं कि म्युनिसिपल प्राधिकारियों को सार्वजनिक जागरुकता कार्यक्रम, गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय आवासीय कल्याणकारी संस्थाओं के साथ बैठक करके विभिन्न प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण हेतु और पृथक् किये गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को पुनः उपयोग में लाये जाने हेतु अथवा चक्रीय प्रक्रिया को प्रोन्नत करने हेतु नागरिकों एवं सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 36 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से केवल नौ<sup>19</sup> शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रैलियों, होर्डिंग्स, बैनर्स, पर्चों के माध्यम से स्थानीय जनता को प्रेरित करने हेतु जागरुकता अभियान चलाया गया था। फिर भी किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्रोत पर विभिन्न प्रकार के नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय आवासीय कल्याणकारी संस्थाओं के साथ बैठक नहीं की गयी। इस प्रकार, जनसामान्य में जागरुकता के अभाव के परिणामस्वरूप स्रोत पर नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। अभिलेखों की आगे जांच में पाया गया कि उन चार<sup>20</sup> नमूना जाँच की गई स्थानीय निकायों, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कार्य कर रहे थे, में भी नगरीय ठोस अपशिष्टों का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार किसी भी नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकाय में किसी भी प्रसंस्करण स्तर पर कूड़ों के अन्तिम निस्तारण के लिए परिवहन से पूर्व विभिन्न प्रकार के नगरीय ठोस अपशिष्टों को पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। उदाहरण के लिए नगर पालिका परिषद चन्दौसी एवं नगर पंचायत नरौली

<sup>19</sup> नगर पालिका परिषद अहरौरा, इटावा, जसवन्तनगर, मिर्जापुर, पडरौना, सुल्तानपुर; नगर पंचायत: बकेवर, कछवों एवं लखना।

<sup>20</sup> नगर पालिका परिषद: इटावा, कन्नौज, मैनपुरी एवं नगर निगम कानपुर।

में जनसामान्य में जागरुकता के अभाव में कूड़ेदानों की स्थापना के पश्चात् भी उसका उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति का चित्रण नीचे के फोटोग्राफ में किया गया है:



नगर पंचायत नरौली में कूड़ादान जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था।

नगर पालिका परिषद चन्दौसी में कूड़ादान जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

### 2.8.2.2 नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ अन्य अपशिष्टों की मिलावट

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बागवानी एवं निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट तथा मलबों को पृथक-पृथक संग्रहित एवं उचित मानकों के अनुसार निस्तारित किया जाना चाहिए। फिर भी लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियमों का उल्लंघन कर ये अपशिष्ट पृथक-पृथक संग्रहीत नहीं किये जा रहे थे।



नगर निगम लखनऊ में निर्माण मलबा एवं अन्य नगरीय ठोस अपशिष्टों का खुले कचरे के स्थान पर मिला जुला मलबा

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण नियमों में यह भी प्राविधानित है कि जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलाया जाना चाहिए और इस प्रकार के अपशिष्टों का निस्तारण पृथक से बताये गये नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। फिर भी, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा एवं संयुक्त स्थलीय भौतिक सत्यापन में पाया गया कि जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ मिलाया जा रहा था जो वातावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था।

**अनुशंसा:** विभिन्न प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्टों के पृथक्कीकरण हेतु शहरी स्थानीय निकायों को स्थानीय आवासीय कल्याणकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ नियमित जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए।

### 2.8.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार म्युनिसिपल प्राधिकारी द्वारा भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस तरीके से करना चाहिए, कि वे इसके चारों ओर गंदगी अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न करे। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि सभी नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के विरुद्ध खुले कूड़ेदान पाये गये थे। पुनः, नमूना जाँच में 36 शहरी स्थानीय निकायों में से 26<sup>21</sup> ने स्वीकार किया कि वे कूड़ेदानों की उचित और नियमित सफाई सुनिश्चित नहीं कर रहे थे।



मैनपुरी में कूड़ेदान के बाहर बिखरे नगरीय ठोस अपशिष्ट से फैली गंदगी

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों में यह भी व्यवस्था है कि शहरों में नगरीय ठोस अपशिष्ट को बिखरने से रोकने के लिए, नगरीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संग्रहित और पृथक्कृत अपशिष्ट उचित रूप से इस प्रकार भंडारण हो, जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए या पर्यावरण को हानि न हो और कूड़ा भण्डारण स्थल के चारों ओर अवारा जानवरों की रोकथाम हेतु कदम उठायेगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्यस्तरीय कूड़ा संग्रहण केन्द्र, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में छः<sup>22</sup> के अतिरिक्त, विकसित अथवा नियमित अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार ये 30 शहरी स्थानीय निकाय, नगरीय ठोस अपशिष्ट को अस्वास्थ्यकर डम्पयार्ड, सड़क के किनारे, निचली भूमि आदि में इकट्ठा कर रहे थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया था कि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मध्य स्तरीय कूड़ा संग्रहण केन्द्रों का प्रभावी रूप से प्रबन्ध नहीं किया जा रहा था और कूड़े का नियमित उठान सुनिश्चित नहीं किया गया था जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था।



नगर पालिका परिषद चंदौसी में एक मध्य स्तरीय संग्रहण केन्द्र के बाहर बिखरा कूड़ा



नगर निगम लखनऊ के अविकसित संग्रहण केन्द्र के बाहर बिखरा कूड़ा

<sup>21</sup> नगर निगम लखनऊ; नगर पालिका परिषद: अहरौरा, चन्दौसी, छिबरामऊ, देवरिया, गौरा बरहज, जसवंतनगर, कन्नौज, मैनपुरी, मिर्जापुर, पडरौना, सुल्तानपुर; नगर पंचायत: बबराला, बकेवर, बक्शी का तालाब, भाटपार रानी, भोगाँव, हाटा, कछवा, लखना, महोना, नरोली, रामकोला, रामपुर कारखाना, समधन, तालग्राम।

<sup>22</sup> नगर निगम लखनऊ; नगर पालिका परिषद: चन्दौसी, जसवंतनगर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर और नगर पंचायत: लखना।

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों में यह भी परिकल्पित है कि जैव क्षरणशील अपशिष्ट हरे रंग, पुनः चक्रण योग्य अपशिष्ट सफेद रंग और अन्य अपशिष्ट काले रंग के कूड़ेदान में संग्रहीत किये जायें। लेकिन यह पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के विपरीत किसी भी चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कूड़ेदान क्रय में कलर कोडिंग प्रावधान का पालन नहीं किया गया था अथवा एक स्थान पर विभिन्न रंगों के कंटेनर नहीं रखा गया था ।

**अनुशंसा: राज्य सरकार को कूड़ा भण्डारण केन्द्र स्थापित करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, खुले को ढके भण्डारण में परिवर्तित किया जाना चाहिए।**

#### 2.8.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार अपशिष्टों के परिवहन के लिए बन्द वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अपशिष्ट, लोगों को न तो दिखाई देना चाहिए और बिखरने से बचाने के लिए इसे न ही वातावरण में खुला ही होना चाहिए। परिवहन वाहनों की संरचना ऐसी की जायेगी कि अपशिष्ट के अंतिम निपटान के पूर्व हथालन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नमूना जांच में नगर निगम लखनऊ एवं कानपुर को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन में खुले वाहनों का उपयोग किया जा रहा था।



नगर पालिका परिषद चंदौसी में नगरीय ठोस अपशिष्ट का खुली ट्राली द्वारा परिवहन

नगर पालिका परिषद सम्भल में नगरीय ठोस अपशिष्ट का खुली ट्राली द्वारा परिवहन

अग्रेतर संवीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रभावी परिवहन हेतु आवश्यक वाहनों का आकलन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा परिवहन वाहनों का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था।

यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों में विविध ठोस अपशिष्ट का एक साथ ही हथालन समान रूप से किया जा रहा था। यद्यपि नगर निगम कानपुर और नगर पालिका परिषद सम्भल ने बताया कि वहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का अलग-अलग परिवहन सुनिश्चित किया जाता है लेकिन ये दोनों शहरी स्थानीय निकाय अपने तर्क के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रदान नहीं कर सके। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय, वाहनों से ठोस अपशिष्ट सड़क मे बिखरने तथा विस्तृत क्षेत्र में दुर्गंध फैलने से रोकने

में असफल रहे और विविध ठोस अपशिष्ट के एक साथ हथालन की पुनरावृत्ति को भी नहीं रोका जा सका।

**अनुशंसा: शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था ढके हुए वाहनों से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करना चाहिए।**

### 2.8.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निस्तारण

नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि गड्डों में ठोस अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था पर बोझ कम करने के लिए नगरीय निकाय अपशिष्टों के उपयोग में लाने हेतु उपयुक्त तकनीक अथवा संयुक्त तकनीकों को अपनायेंगे। इस क्रम में जैव क्षरणशील अपशिष्ट का प्रसंस्करण खाद निर्माण, कृमि खाद निर्माण, वात रहित जीवाणु के अवशोषण अथवा अपशिष्ट के स्थायीकरण के लिए अन्य किसी उपयुक्त विधि के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद अथवा अन्य कोई अंतिम उत्पाद नियमों में वर्णित मानकों के अनुरूप होंगे।

#### 2.8.5.1 अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थिति

नमूना जाँच किये गए 36 शहरी स्थानीय निकायों में से वर्ष 2015-16 तक मात्र सात स्थलों पर ही अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं का कार्य स्वीकृत किया गया था। इन सात नगरीय ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति **सारणी 6** में दी गयी है।

**सारणी 6: नमूना जाँच किए गए सात शहरी नगरीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं की स्थिति**

शहरी स्थानीय निकायों के नाम (परियोजना स्थल)	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	प्रारम्भ की तिथि	पूर्ण किए जाने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविक लागत (₹ करोड़ में)	क्रियाशील होने की तिथि	वर्तमान स्थिति
न.पा.परि. मिर्जापुर	11.01	फरवरी 2011	31.03.2014 (संशोधित)	अपूर्ण	6.46	अपूर्ण	अक्रियाशील
न.पा.परि. सम्भल	6.55	01.04.2008	31.03.2009	अपूर्ण	3.22	अपूर्ण	अक्रियाशील
नगर निगम. कानपुर	56.24	07.08.2008	अप्रैल 2009	12.11.2011	56.02	11.05.2012	परित्यक्त
नगर निगम. लखनऊ	42.92	08.04.2011	07.12.2011	अपूर्ण	39.38	अपूर्ण	आंशिक रूप से क्रियाशील
न.पा.परि. इटावा	5.82	11.08.2010	30.06.2012	31.10.2012	5.42	08.02.2013	क्रियाशील
न.पा.परि. कन्नौज	4.62	01.01.2009	31.03.2011	30.04.2011	4.57	17.11.2011	क्रियाशील
न.पा.परि. मैनपुरी	4.28	10.06.2010	उपलब्ध नहीं	30.06.2012	3.74	29.12.2012	क्रियाशील

(स्रोत: सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

**सारणी 6** से यह परिलक्षित होता है कि इन नगरीय निकायों में किसी भी परियोजना को नियत समय में पूर्ण नहीं किया जा सका। सभी सात परियोजनाओं की स्थिति की चर्चा इसके पश्चात् की गयी है।



### 2.8.5.2 निष्फल व्यय एवं निधि का अवरोधन

नगर पालिका परिषद, सम्भल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की अधिष्ठापना के लिए कन्सेस्नायर<sup>23</sup> और कार्यदायी संस्था के मध्य फरवरी 2012 में गठित अनुबंध के अनुसार कन्सेस्नायर को नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली मोटर वाहन, चलने योग्य सड़क उपलब्ध कराना था और सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना कन्सेस्नायर का दायित्व नहीं था। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद, सम्भल को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा परिसर तक उच्च वोल्टता वाली विद्युत लाइन उपलब्ध कराना था।

तथापि, संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, सम्पर्क मार्ग और नगरीय लाइन फीडर से उच्च वोल्टता वाली कनेक्शन उपलब्ध कराने में विफल रहा और इसलिए जून 2012 में कन्सेस्नायर ने नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा निर्माण कार्य को ₹ 3.22 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी अपूर्ण छोड़ दिया। नगर पालिका परिषद द्वारा उत्तर में बताया गया कि सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए प्रशासन/उत्तर प्रदेश सरकार से पत्राचार किया गया फिर भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सका।

नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर में, कन्सेस्नायर<sup>24</sup> द्वारा उसकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण संयंत्र अधिष्ठापन का कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया और निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सका और ₹ 6.46 करोड़ व्यय के उपरान्त भी आज तक कार्य अपूर्ण था। नगर पालिका परिषद द्वारा उत्तर में तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि कन्सेस्नायर और उप-विनिदा फर्म के मध्य विवाद होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

अग्रेतर, सम्भल और मिर्जापुर के कार्य स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि कार्य स्थल पर सभी उपकरण और संयंत्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े थे और बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य भी मार्च 2016 तक अपूर्ण था।



नगर पालिका परिषद-सम्भल में अपूर्ण एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र

नगर पालिका परिषद-मिर्जापुर में अपूर्ण एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र

इस प्रकार, इन नगर निकायों द्वारा ₹ 9.68 करोड़<sup>25</sup> व्यय के उपरान्त भी नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र के अधिष्ठापन/संचालन का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

<sup>23</sup> मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (सम्भल) प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>24</sup> मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट (मिर्जापुर) प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>25</sup> नगर पालिका परिषद सम्भल और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ और ₹ 6.46 करोड़।

इसके अतिरिक्त, ₹ 6.42 करोड़<sup>26</sup> नगर पालिका परिषदों द्वारा अवरूद्ध किया गया था और ₹ 1.46 करोड़<sup>27</sup> इन नगर निकायों के कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवरूद्ध किया गया था, क्योंकि निर्माण कार्य परित्यक्त था और सुविधायें मार्च 2016 तक भी अपूर्ण थीं।

### 2.8.5.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा का क्रियाशील न होना

नगर निगम-कानपुर में कार्यदायी संस्था द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करके मई 2012 में नगर निगम को हस्तगत करा दी गयी थी। लेखापरीक्षा की जाँच में यह पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्कीकरण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी कन्सेस्नायर<sup>28</sup> अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा था क्योंकि नगर निगम द्वारा कई नोटिसें (सितम्बर 2014 से मार्च 2015) जारी किये जाने के पश्चात् भी प्लांट पर प्रसंस्करण का कार्य फरवरी 2014 से बंद था। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की स्थिति वर्ष 2013-14 और 2014-15 में धीरे-धीरे खराब होती गयी (**परिशिष्ट 2.4**) जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती गयी। इसके अतिरिक्त, कन्सेस्नायर द्वारा बिना कोई कारण बताये काम अचानक छोड़ दिया गया (अप्रैल 2015)।

संयंत्र स्थल पर संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि अप्रसंस्कृत कचरे के विशाल ढेर, स्थल पर पड़े थे।



नगर निगम, लखनऊ में, अक्टूबर 2010 के कन्सेशन अनुबंध के अनुसार, नये चिन्हित स्थल पर भूमि को कन्सेस्नायर<sup>29</sup> को हस्तांतरित (अप्रैल 2011) करने के आठ महीने के अंदर (अर्थात् दिसम्बर 2011 तक) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा (संयंत्र) को पूर्ण किया जाना था। कन्सेस्नायर को संयंत्र और लखनऊ के चार विभिन्न केन्द्रों पर चार ट्रांसफर स्टेशन का अधिष्ठापन किया जाना था। लेकिन, मई 2016 तक भी कन्सेस्नायर द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की समस्त इकाइयों के सुचारु रूप से संचालन के लिए 1500 केवीए के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी, जिसे कन्सेस्नायर द्वारा प्रबन्ध किया जाना था। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कन्सेस्नायर द्वारा मात्र 500 केवीए का कनेक्शन प्राप्त किया जा सका, क्योंकि कन्सेस्नायर द्वारा अतिरिक्त विद्युत

<sup>26</sup> नगर पालिका परिषद सम्मेलन और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा क्रमशः ₹ 2.40 करोड़ और ₹ 4.02 करोड़।

<sup>27</sup> नगर पालिका परिषद सम्मेलन और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा क्रमशः ₹ 93.24 लाख और ₹ 52.72 लाख।

<sup>28</sup> मे0 ए टु जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।

<sup>29</sup> मेसर्स ज्योति इन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड।

कनेक्शन के लिए आवश्यक धनराशि ₹ 2.12 करोड़ विद्युत विभाग में जमा नहीं की गयी थी। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं किया जा सका।

अग्रेतर, भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि हरदोई रोड पर स्थित ट्रांसफर स्टेशन में चाहारदीवारी, गेट, कार्यालय स्थल और स्थल समतलीकरण का अभाव था जबकि सीतापुर रोड स्थित एक और ट्रांसफर स्टेशन बिना गेट के चल रहा था। अग्रेतर, शिवरी में लैण्डफिल साइट का कार्य अपूर्ण था।



#### 2.8.5.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधा का पूर्ण क्षमता से संचालित न होना

नगर पालिका परिषद इटावा के कामेत स्थल में स्थापित किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का संचालन अगस्त 2014 में प्रारम्भ किया गया परन्तु, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण यह अपनी पूर्ण क्षमता (2250 मीट्रिक टन प्रति माह) पर संचालित नहीं था।

लेखापरीक्षा जाँच में विदित हुआ कि अनुबन्ध के अनुसार, संयंत्र के सुचारु रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कन्सेस्नायर<sup>30</sup> उत्तरदायी था। परन्तु, कन्सेस्नायर द्वारा यह व्यवस्था नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव में निकाय क्षेत्र में प्रति माह कुल जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट 1675 मीट्रिक टन में से मात्र 825 मीट्रिक टन ही प्रसंस्कृत किया जा रहा था और शेष संयंत्र स्थल पर अप्रसंस्कृत अवस्था में ढेर किया जा रहा था। नगर पालिका



<sup>30</sup> मे0 एकार्ड हाइड्रोएयर प्रा0 लि0।

परिषद द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुये बताया गया कि विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता संयंत्र स्थल पर मात्र तीन से चार घंटे के लिए ही थी।

### **2.8.5.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट संयंत्र की अपर्याप्त क्षमता**

नगर पालिका परिषद, कन्नौज में वर्ष 2015–16 में नगरीय ठोस अपशिष्ट की प्रतिमाह उत्पन्न औसत मात्रा 984 मीट्रिक टन थी। जबकि, नगर पालिका परिषद, कन्नौज में स्थापित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र की क्षमता मात्र 750 मीट्रिक टन प्रतिमाह थी। अनुबंध के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट में वास्तविक वृद्धि और प्रसंस्करण की आवश्यकता को दृष्टिगत कर नगर निकाय और कन्सेस्नायर के मध्य आपसी सहमति से इस टन भार को आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए था। तथापि, नगर पालिका परिषद द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट की उत्पन्न मात्रा में वृद्धि की आवश्यकताओं के अनुरूप संयंत्र पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की मात्रा को पुनरीक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाया था और इसलिए अवशेष 234 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रति माह अपसंस्कृत था और सड़क किनारे ढेर किया जा रहा था।

### **2.8.5.6 अनुचित स्थानों पर नगरीय ठोस अपशिष्टों की डम्पिंग किया जाना**

उपर चर्चा किए गये सात प्रकरणों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि 29 नमूना जाँचे गये शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और समुचित डम्पिंग स्थल उपलब्ध नहीं था। नमूना जाँच की गई 31 शहरी स्थानीय निकायों (उन दो शहरी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए जिसमें संयंत्र अधिस्थापित नहीं हो सके थे) में उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्टों (वर्ष 2011 से 2016 के मध्य औसतन 9007 मीट्रिक टन प्रति माह) को सड़कों के किनारों पर, कम गहराई वाली भूमि आदि पर ढेर किया जा रहा था। चूँकि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बिना वैज्ञानिक उपचार के कचरे को खुले वातावरण में रखा जा रहा था, इसलिए मिट्टी और भूजल के प्रदूषित होने के कारण मनुष्यों के लिए अधिक जोखिम बना हुआ है।

अग्रेतर, जून 2012 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए और भरावक्षेत्र पर निस्तारण के लिए, उन समस्त शहरी स्थानीय निकायों जिसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, को 10 एकड़ भूमि को चिन्हित करने का आदेश दिया। लेकिन मार्च 2016 तक, शेष 29 शहरी स्थानीय निकायों में से (सात शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर जिसमें क्रियाशील/निष्क्रिय संयंत्र थे), नगर पालिका परिषद, छिबरामऊ को छोड़कर, किसी ने भी उक्त के लिए आवश्यक भूमि को चिन्हित नहीं किया था।

## **2.8.6 अन्य विविध मुद्दे**

### **2.8.6.1 टिपिंग शुल्क का अनियमित भुगतान**

नगर निगम कानपुर एवं लखनऊ में कन्सेस्नायर अनुबन्ध के अनुसार, रख-रखाव और संचालन के लिए चयनित निविदादाता द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव में उद्धृत दरों के अनुसार व्यावसायिक संचालन की तिथि (सी.ओ.डी.)<sup>31</sup> से कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाना था।

<sup>31</sup> कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार सीओडी का आशय परियोजना के व्यावसायिक संचालन की उस तिथि से है जिस पर निर्माण पर्यवेक्षक द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया हो।

लेखापरीक्षा जाँच में विदित हुआ कि नगर निगम कानपुर ने दिसम्बर 2010 से ही कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क का भुगतान करना प्रारम्भ कर दिया था जबकि संयंत्र की सी.ओ.डी. मई 2012 थी। इस प्रकार, नगर निगम द्वारा कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में ₹ 19.87 करोड़ (दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2012) का भुगतान अनियमित था।

अपने उत्तर में नगर निगम कानपुर द्वारा बताया गया कि कन्सेस्नायर से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन का कार्य अक्टूबर 2010 से ही लिया जा रहा था एवं तदनुसार टिपिंग शुल्क का भुगतान किया गया था। निकाय द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कृत्य अनुबन्ध के उपबन्धों के विपरीत था।

इसी प्रकार, नगर निगम लखनऊ में भी परियोजना के अपूर्ण रहते हुये भी, जैसा कि प्रस्तर 2.8.5.3 में दिया गया है, व्यावसायिक संचालन घोषित हुये बिना कन्सेस्नायर को टिपिंग शुल्क के रूप में ₹ 18.10 करोड़ (वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के लिए) का अनियमित भुगतान किया गया था।

### **2.8.6.2 टिपिंग शुल्क की दरों में अनियमित वृद्धि**

नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अपने वित्तीय प्रस्ताव में, चार निविदादाताओं के मध्य टिपिंग शुल्क की दरों को न्यूनतम उद्धृत किये जाने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा कन्सेस्नायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और टिपिंग शुल्क की दरों को कन्सेशन अनुबंध में सम्मिलित किया गया था।

कन्सेशन अनुबंध के अनुसार, पहले तीन वर्षों के लिए टिपिंग शुल्क की दरें ₹ 562 प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया और उसके पश्चात अगले तीस वर्षों के लिए निश्चित प्रतिशत<sup>32</sup> में मूल्यवृद्धि को जोड़ते हुए दरों की गणना की गयी थी। जैसा कि प्रस्तर 2.7.5 में चर्चा की गयी है, नयी भूमि की पहचान की गयी थी और पूर्व साइट की तुलना में 12 किलोमीटर की दूरी बढ़ गयी थी। इसे ध्यान में रखते हुए कन्सेस्नायर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना/संचालन के लिए एक पुनरीक्षित व्यापार योजना (फरवरी 2014) प्रस्तुत किया गया, जिसमें टिपिंग शुल्क की दरों का पुनरीक्षण प्रस्तावित किया गया था। इस योजना की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति (मार्च 2014 में) द्वारा टिपिंग शुल्क की, दरों का विश्लेषण करते समय विभिन्न घटकों<sup>33</sup> को जोड़ा गया और पहले तीन वर्षों के लिए पुनरीक्षित दर ₹ 1,604 प्रति मीट्रिक टन की संस्तुति की गयी और उसके पश्चात टिपिंग शुल्क की दरों में 285 प्रतिशत की वृद्धि, दरों को निश्चित प्रतिशत<sup>34</sup> में मूल्य वृद्धि को जोड़ते हुये गणना करके, की गयी थी।

संवीक्षा में पाया गया कि मात्र एक परिवर्तन (साइट की दूरी में वृद्धि) हुआ था जिसने टिपिंग शुल्क के दरों को प्रभावित किया था, लेकिन पुनरीक्षित व्यापार योजना में टिपिंग शुल्क की दरों का विश्लेषण करते समय, समिति ने विभिन्न घटकों को टिपिंग शुल्क की दर विश्लेषण में जोड़ा। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के अनुसार ये घटक कन्सेस्नायर के दायित्व से संबंधित थे। इस प्रकार, दरों में 285 प्रतिशत की वृद्धि साइट के परिवर्तन से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के अनुपातिक नहीं थी और इसलिए अनियमित थी।

<sup>32</sup> चौथे से 30वें वर्ष के लिए दरें 2.60 प्रतिशत से 1.68 प्रतिशत बढ़ रही थीं।

<sup>33</sup> दस प्रतिशत टेकेदार लाभांश, तीन प्रतिशत आकस्मिकता, तीन प्रतिशत प्रशासनिक व्यय, संयंत्र के संचालन में शुद्ध हानि, वाहन ट्रेकिंग और जीपीएस मोबाइल फोन के लिए, आईईसी और शिकायत निवारण प्रणाली आदि।

<sup>34</sup> चौथे से 30वें वर्ष के लिए दरें 2.60 प्रतिशत से 1.68 प्रतिशत बढ़ रही थीं।

### 2.8.6.3 उपकरण और वाहनों का अनावश्यक क्रय

नगर पालिका परिषदों सम्भल, मिर्जापुर, कन्नौज और मैनपुरी के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में नगरीय ठोस अपशिष्ट को प्रसंस्करण एवं निस्तारण संयंत्र स्थल तक संग्रहण एवं परिवहन के लिए उपकरण एवं वाहनों के क्रय का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, सम्भल में, कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के अनुरोध (जून 2008) पर, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना हेतु निविदा के अंतिम रूप देने से पूर्व ही ₹ 1.19 करोड़ के उपकरण एवं वाहनों का क्रय एव आपूर्ति (अगस्त 2008 से नवम्बर 2008 के मध्य) किया गया। इसकी न तो नगर पालिका परिषद के भण्डार पंजिका में प्रविष्टि की गयी और न ही इसे उपयोग में लाया गया, जैसा कि भण्डार के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया था। वर्ष 2008 के बाद से ही उपकरण और वाहन जीर्ण-शीर्ण दशा में अनुपयोगी पड़े थे।



नगर पालिका परिषद, सम्भल में विगत आठ वर्षों से अप्रयुक्त पड़े यंत्र एवं उपकरण के फोटोग्राफ

इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद, कन्नौज में, कार्यदायी संस्था द्वारा कुल ₹ 21.70 लाख की लागत वाली दोहरी व्हील ट्राली पर रखे जाने वाले दो रिफ्यूज कलेक्टर क्रय किये गये एवं नगर पालिका परिषद को आपूर्ति किये गये (फरवरी 2010 और जून 2011)। आपूर्तिकर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद के वाहन चालकों को रिफ्यूज कलेक्टरों को चलाने के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जबकि यह आपूर्ति आदेश की एक पूर्व शर्त थी।



नगर पालिका परिषद कन्नौज में शिथिल पड़े रिफ्यूज कलेक्टर।

अग्रतर, इन रिफ्यूज कलेक्टरों को क्रियाशील बनाने के लिए नगर पालिका परिषद के पास पर्याप्त क्षमता के ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, क्रय के बाद से ही दोनों रिफ्यूज कलेक्टरों का उपयोग नहीं किया गया था और वे बेकार पड़े थे। इसी तरह, क्रय किये गये एवं नगर पालिका परिषद को आपूर्ति किये गये (फरवरी 2010 से अक्टूबर 2011) अन्य तीन वाहनों में से, दो वाहनों जिनकी लागत ₹ 5.70 लाख थी, पाँच वर्षों से अनुपयोगी पड़े थे।

नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश सरकार के मई 2009 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बिना आवश्यक सहमति/माँग प्राप्त किये और संयंत्र के निर्माण के काफी पूर्व ही कार्यदायी संस्था द्वारा ₹ 1.26 करोड़ के उपकरण और वाहनों का क्रय किया गया और फरवरी 2011 में नगर पालिका परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया। अग्रेतर, संयंत्र के अधिष्ठापन का कार्य मध्य में ही स्थगित (अगस्त 2012) कर दिया गया और कार्य अपूर्ण रहा, परिणामस्वरूप उपकरण<sup>35</sup> और वाहन<sup>36</sup> अनुपयोगी पड़े रहे और लेखापरीक्षा में देखा गया कि वे जीर्ण हो चुके थे।

इस प्रकार, उपकरण एवं वाहनों के अनावश्यक क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जिससे कि परियोजना के लिए इसके प्रयोग किये जाने का उद्देश्य विफल रहा।

आगे, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी में, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा नगर पालिका परिषद के अनुरोध पर ₹ 17.80 लाख की लागत वाले 100 एम.एस. कन्टेनरों का क्रय (मार्च 2013) किया गया। जबकि, नगर पालिका परिषद के पास, इन कन्टेनरों के उपयोग का विवरण अथवा स्टॉक लेखे में प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं थीं। स्टॉक प्रविष्टियों और इन कन्टेनरों के उपयोग के विवरण के अभाव में, वास्तविक क्रय की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

#### **2.8.6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट के कम संग्रहण के विरुद्ध दण्ड का अधिरोपण**

नगर निगम—कानपुर में अनुबन्ध के अनुसार, कन्सेस्नायर को प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) की आवश्यकता के अनुसार संचालन अवधि के दौरान जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट की 80 प्रतिशत मात्रा का आगणन करते हुये मासिक आधार पर न्यूनतम आगत कचरे की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। किसी माह में आगत कचरे की सकल मात्रा न्यूनतम आगत से कम होने की दशा में कन्सेस्नायर को (अ) न्यूनतम आगत की मात्रा में कमी के लिए देय टिपिंग शुल्क के 50 प्रतिशत अथवा (ब) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और सैनिटरी लैंडफिल के ओ0 एण्ड एम0 के लिए समझौते के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा ऑपरेटर को उसके गलतियों के लिए नगरीय निकाय द्वारा देय धनराशि का 120 प्रतिशत, दोनों में से जो अधिक हो, के बराबर दण्ड का भुगतान करना था।

तथापि, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा मई 2012 से जनवरी 2015 की अवधि में न्यूनतम आगत नहीं बनाए रखा गया परन्तु नगर निगम द्वारा फर्म की टिपिंग शुल्क की राशि से ₹ 14.60 करोड़ (परिशिष्ट 2.5) की दण्ड अधिरोपित नहीं की गयी थी, यद्यपि, ₹ 37.42 लाख की राशि रोकी गयी थी और नगर निगम द्वारा फर्म को भुगतान नहीं की गयी थी। इस प्रकार, रोकी गयी धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त भी धनराशि ₹ 14.23 करोड़ की दण्ड का अधिरोपण नहीं किया गया था।

नगर निगम कानपुर द्वारा कन्सेस्नायर से धनराशि ₹ 14.23 करोड़ वसूल किये जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर पर कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया।

#### **2.8.6.5 अपशिष्ट निर्मित ईंधन सुविधा स्थापित न होना**

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि तीनों शहरी स्थानीय निकायों जिसमें प्रसंस्करण केन्द्र परिचालित थे, कार्यदायी संस्था ने अपने हस्तांतरण रिपोर्ट में अपशिष्ट निर्मित

<sup>35</sup> रिक्शा, ट्रॉली और मेटैलिक कन्टेनर।

<sup>36</sup> रिफ्यूज कलेक्टर, हैण्ड कार्ट, डम्पर प्लेसर एवं ट्रेक्टर ट्रॉली।

ईंधन<sup>37</sup> सुविधा स्थापित होना सूचित किया। इसके अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय को वार्षिक रूप से उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा स्तर बेंचमार्किंग की रिपोर्ट में इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट निर्मित ईंधन सुविधा स्थापित होना सूचित किया गया था। जबकि, तीनों शहरी स्थानीय निकायों के प्रसंस्करण एवं निस्तारण केन्द्रों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि इस प्रकार की कोई सुविधा स्थल पर उपलब्ध नहीं थी, परिणामस्वरूप, अपशिष्ट की प्राप्ति के पश्चात अग्रेत्तर कोई प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा था।

#### 2.8.6.6 बफर जोन का विकास नहीं किया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम उल्लिखित करता है कि भराव क्षेत्र के आसपास विकास रहित क्षेत्र का बफर जोन बनाया जायेगा और नगर नियोजन विभाग की भूमि के उपयोग की योजना में सम्मिलित किया जायेगा। हालांकि, लेखा परीक्षा की जांच में पाया गया कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/राज्य सरकार द्वारा निर्गत किया गया कोई अधिसूचना अथवा सेनेटरी भराव क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को विकास रहित क्षेत्र का बफर जोन घोषित करने वाला, कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था और बस्तियाँ संयंत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। यह देखा गया कि नगर निगम कानपुर में भराव क्षेत्र के ठीक बगल में एक विद्यालय संचालित किया जा रहा था।



नगर निगम, कानपुर में भराव क्षेत्र के ठीक बगल में संचालित विद्यालय

#### 2.8.6.7 वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली

नगर निगम लखनऊ में, अनुबंध के अनुसार, कन्सेस्नायर को स्वयं की लागत और व्यय पर नगर निगम द्वारा प्रदान किये गये वाहनों को सम्मिलित करते हुये ठोस-अपशिष्टों के संग्रहण में कन्सेशनार्यर द्वारा प्रयोग किये जा रहे समस्त वाहनों में, वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली स्थापित करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में, यद्यपि, पता चला कि किसी भी वाहन, जिसके द्वारा नगर निकाय अथवा कन्सेस्नायर द्वारा ठोस अपशिष्टों का परिवहन किया जाता था, में वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं थी।

#### 2.8.6.8 संदेहास्पद निविदा प्रक्रिया एवं अधोमानक कूड़ेदानों की आपूर्ति

ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण के लिए, जुलाई 2014 में, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी ने 30 लीटर क्षमता वाली 2,500 कूड़ेदानों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि निविदा की बिक्री, जमानत जमा और खोलने की तिथि एक ही (11 जुलाई 2014) थी। आगे यह भी पाया गया कि शपथ-पत्र<sup>38</sup> जो कि सफल निविदादाता द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने (11 जुलाई 2014) के बाद प्रस्तुत किया जाना था, से एक दिन पूर्व (10 जुलाई 2014) प्रस्तुत किया गया था, जो कि निविदा प्रक्रिया पर संदेह का संकेत देता है।

<sup>37</sup> अपशिष्ट निर्मित ईंधन ठोस अवशिष्टों से निर्मित छोटे घनाकार अथवा बेलनाकार टुकड़े को इंगित करता है।

<sup>38</sup> निविदादाता और नगर पालिका परिषद के मध्य ₹100 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध के निष्पादन के संबंध में।



अग्रेतर, जांच में पाया गया कि स्वीकृति टिप्पणी, निविदा सूचना, निविदा अभिलेखों और कार्यादेश में कूड़ेदानों की सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके पश्चात् भी, निविदादाताओं ने अपनी दरें उद्धृत की और चयनित निविदादाता द्वारा मार्च 2015 में प्लास्टिक के कूड़ेदानों की आपूर्ति की गयी और आपूर्तिकर्ता द्वारा ₹ 10 लाख का बिल बिना किसी बिल-बुक संख्या अथवा क्रमांक के एक सामान्य लेटरहेड पर प्रस्तुत किया गया। इस बिल के सापेक्ष, ₹ 8.75 लाख का भुगतान, अधोमानक कूड़ेदानों की आपूर्ति के लिए ₹ 50 प्रति कूड़ेदान की कटौती कर, किया गया था। इस प्रकार, ₹ 8.75 लाख का व्यय, अधोमानक कूड़ेदानों के क्रय के लिए और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जो कि पारदर्शी नहीं थी, किये गये थे।

### 2.8.6.9 लाभार्थियों का संयुक्त सर्वेक्षण

निष्पादन लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गये 36 शहरी स्थानीय निकायों के 1688 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। उठाये गये विभिन्न मुद्दे और लाभार्थियों की प्रतिक्रियायें और सर्वेक्षण के परिणाम का सारांश सारणी 7 में दिया गया है:

सारणी 7: लाभार्थियों के सर्वेक्षण का परिणाम

क्र० सं०	उठाये गये मुद्दे	लाभार्थियों की स्वीकारोक्ति	
		संख्या में	प्रतिशत में
1.	वार्ड में गलियों में नियमित रूप से सफाई नहीं किया जा रहा था।	347	21
2.	वार्ड में सड़को/गलियों से नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था।	386	23
3.	वार्ड में घर-घर से कूड़ा एकत्रित नहीं किया जा रहा था।	422	25
4.	वार्ड में पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध नहीं थे।	769	46
5.	वार्ड में अलग-अलग प्रकार के कूड़ा को एकत्र करने हेतु अलग अलग रंग के कूड़ेदान उपलब्ध नहीं थे।	1,636	97
6.	वार्ड में विभिन्न प्रकार के कूड़ा को अलग-अलग करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये थे।	1,537	91
7.	कूड़े का परिवहन ढके हुए वाहनों से नहीं किया जा रहा था।	1,235	73
8.	शहरी स्थानीय निकाय के कार्यों से लाभार्थी संतुष्ट नहीं थे।	341	20
9.	अपशिष्ट निस्तारण सम्बंधित शिकायतों पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गयी थी।	363	22

### अनुश्रवण

#### 2.9.1 अनुश्रवण का अभाव

भारत सरकार के नगरीय ठोस अपशिष्ट मैनुअल के अनुसार, राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को निर्देशित करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ तैयार करनी चाहिए और निकायों को उनके अनिवार्य कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रेरित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नियमों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। निकाय प्राधिकरण को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों की अनुसूची-1 में दी गयी कार्यान्वयन अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए और प्रत्येक छः महीने में अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के निष्पादन का अनुश्रवण करना चाहिए।

हालांकि, यह पाया गया कि राज्य स्तर पर अनुश्रवण संबंधी कोई अभिलेख जैसे समेकित अनुश्रवण रिपोर्ट और निकाय वार कार्यान्वयन की स्थिति, इत्यादि नहीं बनायी

गयी थी। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण और निरीक्षण के मानक एवं अवधि भी राज्य द्वारा निर्धारित नहीं की गयी थी। जाँच हेतु चयनित उप-नगरीय स्थानीय निकायों, जहाँ अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधायें स्थापित थी, में भी उनके निष्पादन की नियमित आवधिक निगरानी संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

### 2.9.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट की वार्षिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 4(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक नगर निकाय हर साल 30 जून तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, और इसकी एक प्रति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर हर साल 15 सितम्बर तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि चयनित 36 नगरीय स्थानीय निकायों में से 2011-15 की अवधि में किसी ने भी अपनी रिपोर्ट उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं की थी। इसके पश्चात् भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के मानकों के अनुसार तैयार वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दिया। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में आंकड़ों की प्रामाणिकता की लेखापरीक्षा द्वारा पुष्टि नहीं हो सकी।

### 2.9.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण की प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मानक

नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण की प्रक्रिया के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किसी भी नमूना जाँच वाले शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये गये पाँच<sup>39</sup> शहरी स्थानीय निकायों में से नगर निगम कानपुर को छोड़कर किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट को मिट्टी से नहीं ढका गया था अथवा लीचेट संग्रहण सिस्टम का विकास नहीं किया गया। भूमिगत जल संदूषण और वायु प्रदूषण के नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु इनमें किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लैण्डफिल साइट का आवधिक अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था। पुनः, शेष 31 शहरी स्थानीय निकायों, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित अथवा क्रियाशील नहीं था, में नगरीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय क्षेत्र में जहाँ सम्भव था, फेंका गया था जो मानव जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न कर रहा था।

### 2.9.4 अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के लिए स्वतंत्र अभियंता का नियुक्त न होना

अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के कार्यों की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वतंत्र अभियंता नियुक्त किया जाना था। जबकि, नगर पालिका परिषद कन्नौज, नगर पालिका परिषद मैनपुरी और नगर पालिका परिषद इटावा में, जहाँ संयंत्र परिचालन में थे, परियोजनाओं पर अभियंताओं की नियुक्ति नहीं की गयी थी और इसलिए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन की आवश्यक समीक्षा/निगरानी, नहीं की जा रही थी जैसा कि परिकल्पना की गयी थी।

<sup>39</sup> नगर पालिका परिषद-इटावा, कन्नौज और मैनपुरी; नगर निगम कानपुर एवं लखनऊ।

### 2.9.5 खाद गुणवत्ता की विशिष्टियाँ

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम खाद के सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करता है, और इसलिए अनुसूची-4 में वर्णित खाद की गुणवत्ता की विशिष्टियों का पालन होना चाहिए था (परिशिष्ट 2.7)।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नमूना जाँच किये गये तीन<sup>40</sup> शहरी स्थानीय निकायों, जहाँ संयंत्र परिचालन में था, में खाद एक उत्पाद के रूप में एकत्र किया गया था और वहाँ उत्पादन की मात्रा, किसानों को इसकी बिक्री, निर्धारित मापदंडों पर खाद की गुणवत्ता का परीक्षण सत्यापित करने, खाद के सुरक्षित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित विधि सम्बन्धी कोई अभिलेख नहीं थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट संचालकों का कार्य करने वालों के स्वास्थ्य की जाँच नहीं की जा रही थी।

### 2.9.6 सेवा स्तर बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (जुलाई 2008) में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सेवा स्तर बेंचमार्क एस0एल0बी0) हस्तपुस्तिका में आठ निष्पादन संकेतक इंगित किये गये थे। भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट में निर्धारित सेवा स्तर बेंचमार्क के आठ निष्पादन संकेतकों और उनके विरुद्ध चयनित 36 शहरी स्थानीय निकायों में से 17 निकायों (2 नगर निगमों और 15 नगर पालिका परिषदों) की उपलब्धि सारणी 8 में दर्शायी गयी। शेष शहरी स्थानीय निकायों (19 नगर पंचायतों) ने एस0एल0बी0 रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी थी।

**सारणी 8: वर्ष 2012-16 की अवधि में भारत सरकार के सेवा स्तर बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि**

सेवा स्तर बेंचमार्क संकेतक	राष्ट्रीय बेंचमार्क (प्रतिशत)	सेवा स्तर बेंचमार्क को प्राप्त करने वाले न0नि0/न0पा0प0 की संख्या	सेवा स्तर बेंचमार्क प्राप्त प्रतिशत का स्तर (प्रतिशत में)
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का परिवार स्तर तक विस्तार	100	शून्य	सात शहरी स्थानीय निकायों में 02 से 82 प्रतिशत, 10 नगर पालिकाओं की उपलब्धि शून्य है।
नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण में दक्षता	100	नौ	केवल आठ शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्धि 79 से 99 प्रतिशत।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण विस्तार	100	एक	केवल 02 शहरी स्थानीय निकायों में 11 से 68 प्रतिशत, 14 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
रिकवर किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार	80	एक	चार शहरी स्थानीय निकायों में 47 से 73 प्रतिशत, 12 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण का स्तर	100	दो	शेष 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण की दक्षता	80	16	एक शहरी स्थानीय निकाय में 79 प्रतिशत उपलब्धि।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु लागत की वसूली का विस्तार	100	शून्य	दो शहरी स्थानीय निकायों में 59 से 82 प्रतिशत उपलब्धि, 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली में दक्षता	90	एक	एक शहरी स्थानीय निकाय में 80 उपलब्धि, 15 शहरी स्थानीय निकायों में शून्य उपलब्धि है।

(स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित सूचना)

<sup>40</sup> नगर पालिका परिषद-इटावा, कन्नौज और मैनपुरी।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 17 नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में से कोई भी संग्रहण, पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण सेवाओं हेतु लागत की वसूली आदि से सम्बंधित राष्ट्रीय बेंचमार्क को प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे।

**अनुशंसा: नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों को भी अनुश्रवण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।**

## 2.10 निष्कर्ष

- राज्य सरकार ने राज्य के 95 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण की सुविधा को मंजूरी नहीं दी थी। राज्य की मात्र 1.4 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में ही यह सुविधा क्रियाशील की जा सकी थी।
- शहरी स्थानीय निकायों में उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में एक सुपरिभाषित नीति, आकस्मिक योजना और विश्वसनीय/पूर्ण डाटा का अभाव होने से अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम अप्रभावी रहे जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट का गैर-वैज्ञानिक निस्तारण होता रहा।
- सभी घरों, कार्यालयों और वाणिज्यिक परिसरों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रह और जैव अपशिष्ट क्षरणशील अपशिष्ट का संग्रह सभी नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उचित नहीं था। नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर को छोड़कर नमूना जाँच वाले किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया गया था।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रह केन्द्र खुले हुए थे और ठीक से विकसित नहीं थे। अपशिष्ट संग्रहण कूड़ादानों के लिए रंग कोड मानदंड का पालन नहीं किया गया था।
- अपशिष्ट संग्रहण कूड़ादानों की कमी नमूना जाँच किये गये सभी शहरी स्थानीय निकायों में पायी गयी थी। जाँच किये गये अधिकांश निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट जलता हुआ देखा गया था।
- नमूना जाँच वाले किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में अंतिम निस्तारण के लिए संचरण के पूर्व स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण के किसी भी चरण पर नहीं किया जा रहा था।
- नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन बिना ढके किया जा रहा था।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुश्रवण प्रणाली में राज्य स्तर पर और जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की कमी थी।

प्रकरणों की सूचना शासन को प्रेषित की गयी (अक्टूबर 2016), उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2017)।

## अध्याय 3

### अनुपालन लेखापरीक्षा

#### 3.1 “म्यूनिसिपल बोर्डों द्वारा राजस्व संग्रह सहित निजी निधियों के प्रबन्धन पर शहरी स्थानीय निकायों” की लेखापरीक्षा।

##### 3.1.1 प्रस्तावना

राज्य विधान मण्डल ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के अधीन राज्य के कानून के अनुसार नगरीय निकायों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर योजना बनाने, नगरीय निकायों को स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिये आवश्यक विकासपरक योजनाओं को लागू करने के अतिरिक्त करारोपण और कर्तव्यों के निर्वहन, राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को इस प्रकार के करों और कर्तव्यों को सौंपने तथा राज्य के नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों को सहायता अनुदान देने हेतु, नगर निकायों को शक्ति एवं दायित्वों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। शहरी स्थानीय निकायों की विकेन्द्रीकृत योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने, कार्यात्मक हस्तांतरण में सुधार तथा सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने में सुधार लाने के लिये सक्षम बनाने हेतु चौदहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व वसूली को मजबूत बनाने की सिफारिश की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 14 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद, और 424 नगर पंचायतें हैं।

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, यह आंकलन करने के लिये की गयी कि क्या नगर निकाय बोर्डों द्वारा राजस्व के संग्रह सहित निधियों का प्रबन्धन कुशल एवं प्रभावी था। नमूना जाँच के लिये आठ जिलों के 23 शहरी स्थानीय निकायों (02 नगर निगमों, 10 नगर पालिका परिषदों और 11 नगर पंचायतों) (परिशिष्ट 3.1.1) का चयन सिम्पल रैण्डम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेन्ट विधि से किया गया और उनकी वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लेखाओं की जाँच की गई।

##### 3.1.2 लेखापरीक्षा अवरोध

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जाँच शहरी स्थानीय निकायों में कर व करेत्तर राजस्व को एक ही मद “बोर्ड फण्ड” के अन्तर्गत रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मात्र दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत कर राजस्व के उपयोग की ही जाँच की गयी क्योंकि अन्य कर एवं करेत्तर राजस्व के व्यय के सम्बन्ध में नमूना जाँच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अलग से कोई अभिलेख नहीं बनाया गया था।

##### 3.1.3 वित्तीय प्रबन्धन

###### 3.1.3.1 शहरी स्थानीय निकायों के निजी निधियों के स्रोत

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (नगर निगम अधिनियम)<sup>1</sup> एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (नगर पालिका अधिनियम)<sup>2</sup> के प्रावधानों के अनुसार

<sup>1</sup> अध्याय 9 धारा 172 से 227 तक।

<sup>2</sup> अध्याय 5 धारा 128 से 164 तक।

शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न कर व करेत्तर राजस्व संसाधनों से स्वयं की निधि इकट्ठा करते हैं। कर एवं करेत्तर राजस्व के विवरण नीचे दिए गये हैं:

### कर राजस्व

शहरी स्थानीय निकाय, करों जैसे सम्पत्ति कर (गृहकर, जलकर, जल निकासी कर और स्वच्छता कर), विज्ञापन कर, प्रेक्षागृह कर, पशुकर, वाहन कर, सम्पत्ति हस्तांतरण कर और अन्य कर जो उत्तर प्रदेश सरकार एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमों एवं उपविधियों द्वारा अनुमोदित किये गये हो, का आकलन एवं आरोपण करते हैं। गृहकर एवं जलकर का आरोपण व संग्रहण भवनों/भूमि के वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर प्रदेश सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है। विज्ञापन कर किसी भूमि, भवन, दीवाल आदि पर प्रदर्शित होर्डिंग अथवा विज्ञापनों पर निर्धारित एवं संग्रहीत किया जाता है। शेष करों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के आधार पर दरें तय की जाती हैं।

### करेत्तर राजस्व

शहरी स्थानीय निकाय, जल मूल्य, किराया, तहबाजारी, वधशाला, लाइसेन्स शुल्क आदि के माध्यम से करेत्तर राजस्व अर्जित करते हैं। जल की आपूर्ति के लिये कनेक्शन धारकों से जलमूल्य का निर्धारण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों की किराये की दुकानों एवं भवनों से किराये का संग्रहण किया जाता है जबकि **परिशिष्ट 3.1.2** में इंगित 39 मदों पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार नगर निकायों द्वारा लाइसेन्स जारी करने हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाया जाता है।

### 3.1.3.2 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

कर एवं करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत राज्य के समग्र राजस्व प्राप्ति की स्थिति अध्याय 1 में दी गयी है। नमूना जाँच किये गये 23 शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति **सारणी 1** एवं **चार्ट 1** में दी गयी है। शहरी स्थानीय निकाय वार प्राप्तियों का विवरण **परिशिष्ट 3.1.3** में दिया गया है।


#### सारणी 1: नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

(₹ लाख में)

नमूना जाँच किये गये स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का सारांश				
वर्ष	निजी निधियाँ	शासकीय अनुदान	कुल प्राप्ति	कुल प्राप्ति के सापेक्ष निजी निधियों का प्रतिशत
2011-12	5,323.74	18,637.13	23,960.87	22.22
2012-13	4,917.22	25,872.66	30,789.88	15.97
2013-14	9,087.75	40,502.69	49,589.91	18.32
2014-15	7,360.12	45,618.88	52,979.00	13.89
2015-16	8,877.22	53,139.49	62,016.71	14.31

चार्ट 1: नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

(₹ लाख में)



जाँच में देखा गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में कुल प्राप्तियों की तुलना में निजी निधियों की हिस्सेदारी 14 से 22 प्रतिशत थी जो यह प्रदर्शित करती है कि शहरी स्थानीय निकाय मुख्यतः शासकीय अनुदान पर निर्भर थे।

### 3.1.3.3 बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति

नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति एवं कमी का सारांश सारणी 2 एवं चार्ट 2 में दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय वार विवरण परिशिष्ट 3.1.4 में दिया गया है।


सारणी 2: बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति

(₹ लाख में)

बजट प्रावधान, राजस्व प्राप्ति एवं कमी का सारांश					
वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	कमी	
2011-12	11	8,154.33	4,329.22	3,825.11	
2012-13	12	7,732.10	4,188.86	3,543.24	
2013-14	8	4,557.42	2,114.79	2,442.63	
2014-15	14	11,734.19	6,678.73	5,055.46	
2015-16	13	12,028.83	8,133.76	3,895.07	
योग		44,206.87	25,445.36	18,761.51	

चार्ट 2: बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति एवं कमी

(₹ करोड़ में)



जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में बजट प्रावधान (₹442.07 करोड़) के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति (₹254.45 करोड़) मात्र 58 प्रतिशत थी। यह भारी कमी इंगित करती है कि बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व संग्रह प्रभावी रूप से नहीं किया गया था।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा परिणाम

#### 3.1.4.1 कर राजस्व

##### सम्पत्ति कर

सम्पत्ति कर के अन्तर्गत गृहकर, जलकर, जल निकासी कर एवं स्वच्छता कर सम्मिलित है जो कि भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर एकत्र किया जाता है। लेखापरीक्षा परिणाम आगामी प्रस्तारों में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

##### सम्पत्ति कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

नगर निगम अधिनियम की धारा 207 से 211 एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 141 से 145 शहरी स्थानीय निकायों को किराये की दर तय करने, सम्पत्ति कर निर्धारण सूची को तैयार करने एवं इसका नियमित अन्तराल में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।

नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों (02 नगर निगम, 10 नगर पालिका परिषद और 11 नगर पंचायत) की लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर मूल्यांकन सूची नहीं तैयार की गयी थी। नगर निगम मुरादाबाद एवं झांसी पुराने सर्वेक्षण के आधार पर सम्पत्ति कर संग्रहीत कर रहे थे जबकि नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा सम्पत्ति कर पांच वर्षों के अन्तराल पर तैयार किये गये कर निर्धारण पंजिका के आधार पर संग्रहीत किया जा रहा था।

##### स्व-कर निर्धारण प्रणाली का क्रियान्वयन

शासकीय आदेश<sup>3</sup> (मार्च 2011) एवं नगर पालिका अधिनियम में किये गये संशोधनों, द्वारा स्व-कर निर्धारण प्रणाली के आधार पर सम्पत्ति कर लगाने व संग्रह करने का अधिकार प्रदान किया गया था।

नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़, बिजनौर, नजीबाबाद, गाजीपुर एवं नगर पंचायत हरिहरपुर द्वारा वर्ष 2011-14<sup>4</sup> की अवधि में शासकीय आदेश (मार्च 2011) के अनुसार उपविधि को मंजूरी दी गयी थी। जबकि यह पाया गया कि सम्पत्ति कर का संग्रह लेखापरीक्षा की तिथि तक पुराने सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा था। अग्रेतर जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत हरिहरपुर द्वारा केवल वर्ष 2013-14 में ही स्व कर निर्धारण प्रणाली के आधार पर सम्पत्ति कर की वसूली के लिये उप-विधि को मंजूरी दी गयी थी। जबकि इसके द्वारा वर्ष 2013-14 से लेखापरीक्षा तिथि तक सम्पत्ति कर की कोई माँग जारी नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद बिलारी और नगीना तथा आठ नमूना जाँच की गयी नगर पंचायतों उमरीकला, नरौली, मोंट,

<sup>3</sup> सो 135/9-9-11-190-द्वितीय एस0एफ0सी0/04, नगर विकास अनुभाग-9।

<sup>4</sup> नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ 2011-12; बिजनौर 2012-13; नजीबाबाद 2012-13; गाजीपुर 2011-12; और नगर पंचायत हरिहरपुर 2013-14।



रानीपुर, कुरारा, सैदपुर, प्रतापगढ़ सिटी एवं पट्टी ने शासन के आदेशों के अनुसार उपविधियों को अनुमोदित नहीं किया था। इस प्रकार सम्पत्ति कर निर्धारण सूची तैयार करने एवं स्व-कर निर्धारण प्रणाली लागू करने हेतु प्रणाली के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सभी सम्पत्तियाँ वास्तव में कर दायरे में लाई गयी थी।

इन शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

### **वार्षिक किराया मूल्य की दर कम किया जाना**

नगर निगम अधिनियम की धारा 174 एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 140(1) शहरी स्थानीय निकायों को वार्षिक किराया मूल्य को असाधारण परिस्थितियों में ही सीमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नमूना जाँच की गयी नौ शहरी स्थानीय निकायों (02 नगर निगमों, 05 नगर पालिका परिषदों और 2 नगर पंचायतों) की सम्पत्ति कर निर्धारण पंजिका की जाँच में पाया गया कि सर्वेक्षण के आधार पर परिकल्पित वार्षिक किराया मूल्य ₹12.83 करोड़ को बिना कारण अभिलिखित किये घटाकर ₹3.58 करोड़ कर दिया गया। वार्षिक किराया मूल्य में कमी की अवधि का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया कि वार्षिक किराया मूल्य में अनियमित रूप से ₹9.25 करोड़ की कमी करने से नमूना जाँच की गयी नौ शहरी स्थानीय निकायों के कुछ चयनित प्रकरणों में गृहकर एवं जलकर में ₹1.35 करोड़ प्रतिवर्ष राजस्व की हानि हो रही थी (*परिशिष्ट 3.1.5*)। इसी प्रकार नगर पंचायत मोंठ द्वारा चार वार्डों के 773 भवनों का गृहकर ₹4.03 लाख से घटाकर ₹1.36 लाख कर दिया गया जिसके कारण गृहकर में ₹2.67 लाख प्रतिवर्ष की क्षति हुई। इस प्रकार नियमानुसार बिना कोई औचित्य दर्शाये वार्षिक किराया मूल्य में कमी किया जाना वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु मजबूत प्रणाली की विफलता को दर्शाता था।

अग्रेतर नगर पालिका परिषद खलीलाबाद की नमूना जाँच की गयी 80 आवासीय भवनों के वार्षिक किराया मूल्य की जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा इन भवनों का वार्षिक किराया मूल्य, भवनों की आयु के आधार पर, आयु के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त किये बिना, ₹2.35 लाख से घटाकर ₹1.47 लाख कर दिया गया जिस कारण भवन कर राजस्व में प्रतिवर्ष ₹0.09 लाख की हानि हुई। इस प्रकार वार्षिक किराया मूल्य में अनियमित कमी के कारण 11 शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष राजस्व की भारी क्षति उठानी पड़ी।

उत्तर में इन शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी प्रमुखों ने बताया कि गृह स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर कमी की गई थी। अधिशाषी अधिकारी खलीलाबाद ने बताया कि 80 आवासीय भवनों का वार्षिक किराया मूल्य इन भवनों की आयु के आधार पर घटाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था।

### **गृहकर एवं जल-कर अधिरोपित नहीं किया जाना**

नगर पालिका अधिनियम की धारा 128, भवनों एवं भूमि के वार्षिक किराया मूल्य पर गृहकर एवं जलकर संग्रह करने की शक्ति प्रदान करता है। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में देखा गया कि नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी एवं सैदपुर गृहकर एवं जलकर का संग्रह नहीं कर रहे थे। नगर पालिका परिषद बिलारी, नगर

पंचायत नरौली एवं उमरी कलां न केवल जलकर का संग्रह ही नहीं कर रहे थे बल्कि गृहकर भी वार्षिक किराया मूल्य के स्थान पर एकमुश्त आधार पर एकत्र कर रहे थे।

इन शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही राजस्व एकत्र किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गृहकर एवं जलकर संग्रह करने की कार्यवाही समय से नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

**अनुशंसा: सभी शहरी स्थानीय निकायों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्पत्ति कर अधिरोपण एवं संग्रह करने के लिये एक समान तन्त्र की व्यवस्था की जानी चाहिये।**

### **प्रेक्षागृह कर**

नगर पालिका अधिनियम की धारा 128(2)(3) प्रेक्षागृह कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है।

जाँच में यह पाया गया कि नगर पालिका परिषद नजीबाबाद द्वारा अपने नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चार प्रेक्षागृहों से ₹20 प्रति शो की दर से प्रेक्षागृह कर वसूल किया गया था। प्रेक्षागृह कर सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2015 के अन्त में तीन प्रेक्षागृहों से ₹1.80 लाख वसूली हेतु अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी चार प्रेक्षागृहों के बन्द हो जाने के कारण बकाया राशि को वसूल नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रेक्षागृह कर का समय पर संग्रह सुनिश्चित करने में विफलता के कारण नगर पालिका परिषद को ₹1.80 लाख की राजस्व हानि वहन करनी पड़ी।

### **विज्ञापन कर**

नगर पालिका अधिनियम की धारा 128 में होर्डिंगों पर विज्ञापन कर की वसूली का प्रावधान है। नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में कोई विज्ञापन कर संग्रहीत नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए न तो होर्डिंगों के लिये निविदा आमंत्रित की और न ही विभागीय वसूली सुनिश्चित की गयी। अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में होर्डिंग में विज्ञापन के लिये कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई और इसलिए नवम्बर 2014 में विभागीय वसूली का आदेश जारी किया गया और ₹29,000 संग्रहीत किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 में कुल प्राप्ति ₹95,000 की तुलना में वर्ष 2014-15 में ₹66,000 की राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद ने बताया कि कोई भी निविदा प्राप्त न होने के कारण नवम्बर 2014 में विभागीय वसूली का आदेश जारी किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वसूली का विभागीय आदेश विलम्ब से जारी होने के कारण राजस्व की हानि हुई।

### **3.1.4.2 करेत्तर राजस्व**

#### **जल-मूल्य का संग्रह**

शासनादेश<sup>5</sup> (जनवरी 1997) नगर निगम को ₹75, नगर पालिका परिषद को ₹50 एवं नगर पंचायत को ₹30 प्रति संयोजन प्रति माह की दर से जलमूल्य एकत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। नमूना जाँच की गयी 11 शहरी स्थानीय निकायों (01 नगर

<sup>5</sup> स0 1810/9-2-96-57(2)/96, नगर विकास अनुभाग-2, लखनऊ।

निगम, 05 नगर पालिका परिषदों एवं 05 नगर पंचायतों) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011-16 की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित दर से जल मूल्य अंगीकृत न किये जाने के कारण अपेक्षित माँग ₹34.11 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹12.59 करोड़ की माँग की गयी जिसके कारण ₹21.50 करोड़ की राजस्व हानि हुई (परिशिष्ट 3.1.6)।

शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी प्रमुखों द्वारा बताया गया कि यह बोर्ड के आदेशानुसार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ऐसा कोई भी अभिलेख, जिसमें बोर्ड को जलमूल्य की दरों में कमी की शक्ति प्रदान की गयी हो लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

### लाइसेन्स शुल्क का अधिरोपण

नगर निगम अधिनियम की धारा 452 एवं नगर पालिका अधिनियम की धारा 241 नगरीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों हेतु लाइसेन्स शुल्क लगाने तथा एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है। अग्रेतर शासनादेश<sup>6</sup> (दिसम्बर 1997) द्वारा 39 व्यवसायों (परिशिष्ट 3.1.2) के लिये लाइसेन्स शुल्क की दर निर्धारित की गई थी। तथापि यह पाया गया कि नमूना जाँच की गयी 23 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 शहरी स्थानीय निकायों<sup>7</sup> द्वारा अधिनियम के प्रावधानों/शासनादेश को लागू करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

उत्तर में, इन शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

### शराब की दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क का अधिरोपण

नगर निगमों मुरादाबाद एवं झांसी ने बार/बीयर की दुकान, देशी शराब की दुकान एवं विदेशी शराब की दुकान से क्रमशः ₹6000, ₹6000 एवं ₹12000 प्रति दुकान प्रतिवर्ष की दर से लाइसेन्स शुल्क संग्रहीत करने के लिए उपविधि<sup>8</sup> अनुमोदित किया। जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद एवं झांसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2011-16 की अवधि में नगर निगम मुरादाबाद में 91 से 96 शराब की दुकानें एवं नगर निगम झांसी में 102 से 111 शराब की दुकानें संचालित हो रही थीं। इन दुकानों में से नगर निगम मुरादाबाद द्वारा 38 से 40 दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क लगाया एवं एकत्र किया, किन्तु नगर निगम झांसी द्वारा किसी भी दुकान पर लाइसेन्स शुल्क नहीं लगाया गया। परिणामस्वरूप वर्ष 2011-16 की अवधि में ₹ 62.76<sup>9</sup> लाख के राजस्व की हानि हुई। (परिशिष्ट 3.1.7)

उत्तर में नगर निगम मुरादाबाद एवं झांसी के कार्यकारी प्रमुखों द्वारा भविष्य में उचित सर्वेक्षण के बाद लाइसेन्स शुल्क एकत्र करने का आश्वासन दिया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन क्षेत्रों में संचालित सभी शराब की दुकानों से लाइसेन्स शुल्क न लेने के कारण इन शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

### चिकित्सा गतिविधियों पर लाइसेन्स शुल्क

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (दिसम्बर 1997 और मई 2014<sup>10</sup>) के अनुसार चिकित्सा गतिविधियों<sup>11</sup> पर निर्धारित दरों के अनुसार लाइसेन्स शुल्क अधिरोपित किया जाना था।

<sup>6</sup> संख्या: 161 सी एम/नौ-9-97-23जे/97।

<sup>7</sup> नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद और नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी, पट्टी, नरौली, उमरीकलां, शहनपुर, झालू, मोठ, रानीपुर, कुरारा, हरिहरपुर और सैदपुर।

<sup>8</sup> जनवरी 2000 में नगर निगम, मुरादाबाद और जनवरी 1998 में नगर निगम, झांसी।

<sup>9</sup> नगर निगम मुरादाबाद ₹22.38 लाख और नगर निगम झांसी ₹40.38 लाख।

<sup>10</sup> सं 445/9-9-14-23जे/97 टी0सी0।

नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को लाइसेन्स शुल्क से छूट के सम्बन्ध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जुलाई 2006 में अस्वीकार कर दिया गया था। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा याचिका समाप्ति के आठ वर्ष बाद (मई 2014) नर्सिंग होम से लाइसेन्स शुल्क संग्रह करने का आदेश जारी किया गया। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में चिकित्सा गतिविधियों पर लाइसेन्स शुल्क लागू करने सम्बन्धी लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जनवरी 2000 में निजी अस्पतालों/क्लीनिक आदि पर लाइसेन्स शुल्क वसूल किये जाने के लिये उप-विधि अनुमोदित की गयी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद से एकत्र की गई सूचना (मई 2016) के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 397 निजी अस्पताल/क्लीनिक आदि संचालित थे लेकिन नगर निगम द्वारा मात्र 183 निजी अस्पतालों/क्लीनिक से लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जा रहा था। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा वर्ष 2014-16 की अवधि के लिए 397 निजी अस्पतालों में से अपेक्षित लाइसेन्स शुल्क ₹23.96<sup>12</sup> लाख के सापेक्ष मात्र 183 अस्पतालों/क्लीनिकों से ₹9.53 लाख एकत्र किया गया। परिणामस्वरूप ₹14.43 लाख की राजस्व हानि हुई।

नगर निगम झांसी (तब नगर पालिका परिषद) ने जनवरी 1998 में नर्सिंग होमों आदि से लाइसेन्स शुल्क नियमितीकरण, नियंत्रण तथा संग्रह करने हेतु उपविधि तैयार किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी से एकत्र की गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 में नगर निगम क्षेत्र में 526 निजी अस्पताल/क्लीनिक आदि स्थापित थे लेकिन उनसे कोई लाइसेन्स शुल्क वसूल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014-16 की अवधि में ₹19.82 लाख की राजस्व हानि हुई। (परिशिष्ट 3.1.8)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से एकत्र की गयी सूचना (मई 2016) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में 110 निजी अस्पताल/क्लीनिक स्थापित थे लेकिन नगर पालिका परिषद द्वारा शासकीय आदेश को लागू करने हेतु कोई उपविधि नहीं बनायी गयी जिसके कारण राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के विलम्बित आदेश और सभी चिकित्सीय गतिविधियों से लाइसेन्स शुल्क न लिये जाने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को भारी राजस्व क्षति उठानी पड़ी।

इन शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी प्रमुखों द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में चिकित्सीय गतिविधियों की सूची प्राप्त करके लाइसेन्स शुल्क वसूला जायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में संचालित समस्त चिकित्सा गतिविधियों से लाइसेन्स शुल्क वसूल न करने के कारण राजस्व हानि उठानी पड़ी।

**अनुशांसा: उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम और आदेशों के अनुसार, उप-विधि समय पर अनुमोदित कर एवं तदनुसार लागू किया जाना चाहिये।**

### **पार्किंग अनुबन्ध में राजस्व की हानि**

<sup>11</sup> 20 बिस्तर तक के नर्सिंग होम, 20 बिस्तर के ऊपर के नर्सिंग होम, 20 बिस्तर तक के प्रसूति केन्द्र, निजी अस्पताल, पैथालोजी केन्द्र, एक्स-रे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक और प्राइवेट क्लीनिक।

<sup>12</sup> ₹5,000 प्रतिवर्ष की दर से 52 निजी अस्पताल, ₹4,000 प्रतिवर्ष की दर से 41 डेन्टल क्लीनिक, ₹4,000 प्रतिवर्ष की दर से, 11 प्रसूति केन्द्र, ₹2,000 प्रतिवर्ष की दर 78 नर्सिंग होम, ₹1,000 प्रतिवर्ष की दर 25 पैथोलोजी लैब, ₹3,000 प्रतिवर्ष की दर से 169 निजी क्लीनिक, ₹2,000 प्रतिवर्ष की दर से एक्स-रे/डाइग्नोसिस केन्द्र।

नगर निगम झांसी के पार्किंग अनुबन्ध के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–16 की अवधि में 34 पार्किंग के अनुबन्ध<sup>13</sup> नहीं दिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप इन अनुबन्धों से कोई भी राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 के चार पार्किंग अनुबन्ध, शिकायत के आधार पर रद्द कर दिये गये थे। इन अनुबन्ध के रद्द करने के कारण अनुबंधित धनराशि ₹15.87 लाख के सापेक्ष मात्र ₹8.76 लाख प्राप्त हुए जिससे ₹7.11 लाख की राजस्व हानि हुई।

पार्किंग अनुबन्ध की शर्त के अनुसार, अनुबन्ध की पूरी राशि काम शुरू करने से पहले जमा किया जाना था। फिर भी वर्ष 2013–14 से संबंधित दो पार्किंग अनुबन्धों के सम्बन्ध में पाया गया कि नगर निगम झांसी द्वारा ₹8.20 लाख के सात उत्तर दिनांकित चेक स्वीकार किये गये थे (दिसम्बर 2014) जिसमें से ₹6.70 लाख के चार चेक नकारे गये थे जिसके कारण पार्किंग अनुबन्धों से प्राप्त होने वाली राशियों को वसूल नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अपर नगर आयुक्त द्वारा उत्तर में बताया गया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुबंधधारक को एक नोटिस जारी कर दी गयी (मई 2016) है, इस प्रकार ढुल-मुल रवैये के कारण नगर निगम झांसी को ₹6.70 लाख के राजस्व की हानि हुई।

### **किराये की दुकानों से राजस्व हानि**

नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ की लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 के अन्त में 11 बाजारों का ₹30.49 लाख का किराया बकाया था जिसमें से ₹18.26 लाख (61 प्रतिशत) संजय मार्केट से सम्बन्धित था जिससे कि वर्ष 2015–16 में कोई वसूली नहीं की गयी थी। अग्रेत्तर जाँच में पता चला कि सब्जी मंडी की 72 दुकानों का अनुबन्ध वर्ष 2002 में समाप्त हो गया था और इसके बाद उसका कोई नवीनीकरण या नया अनुबन्ध नहीं किया गया। सब्जी मंडी की दुकानों से मार्च 2013 के अन्त में ₹9.34 लाख की राशि बकाया थी।

नगर पालिका परिषद बिजनौर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में दुकानों के किराये की कुल माँग ₹42.80 लाख के सापेक्ष ₹24.92 लाख वसूल किया गया था एवं मार्च 2016 के अन्त में 14 बाजारों का ₹17.89 लाख बकाया था। वर्ष 2011–16 की अवधि में किराया वसूली मात्र 42 से 58 प्रतिशत के मध्य थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ ने बताया कि जनवरी 2014 में संजय मार्केट के लिये वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया था और सब्जी मंडी की दुकानों को नई दुकानों के निर्माण के लिये ध्वस्त किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि नगर पालिका परिषद द्वारा दुकानों का किराया समय पर न वसूल करने के कारण नगर पालिका परिषद को राजस्व की हानि का सामना करना पड़ा।

### **विविध अनुबन्धों में राजस्व की हानि**

<sup>13</sup> वर्ष 2012–13: 04, वर्ष 2013–14: 12, वर्ष 2014–15: 06, वर्ष 2015–16: 12।

नगर पालिका परिषद बिजनौर द्वारा प्रदर्शनी के लिये वर्ष 2013-14 की अवधि में ₹80.26 लाख की राशि का एक अनुबन्ध किया गया। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार अनुबन्धधारक को अनुबन्ध की राशि के चार प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क जमा करना था। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच में पाया गया कि अनुबन्धधारक द्वारा अपेक्षित स्टाम्प शुल्क नहीं जमा किया गया था, परिणामस्वरूप शासन को ₹3.21 लाख (₹80.26 लाख का चार प्रतिशत) की राजस्व की हानि हुई अतिरिक्त अनुबन्ध की शर्त का उल्लंघन भी हुआ।

इसके अतिरिक्त अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्धधारक को अनुबन्ध की स्वीकृति के पश्चात् सम्पूर्ण राशि ₹80.26 लाख जमा करना था। लेखापरीक्षा द्वारा जाँच में पाया गया कि अनुबन्धधारक द्वारा वर्ष 2013-14 की अनुबन्ध की राशि ₹80.26 लाख के सापेक्ष मात्र ₹78.76 लाख ही जमा किया गया था। इस प्रकार अनुबन्धधारक द्वारा ₹1.50 लाख कम जमा किया गया था। अनुबन्धधारक द्वारा नीलामी के समय ₹1.50 लाख का सावधि जमा प्राप्ति प्रतिभूति के रूप में जमा किया गया था जिसे अनुबन्ध की शर्त के अनुसार नीलामी पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जाना था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा न तो सावधि जमा प्राप्ति वापस किया और न ही अनुबन्ध की बकाया धनराशि ₹1.50 लाख प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किया गया था जिससे ₹1.50 लाख की राजस्व की हानि हुई।

अग्रेत्तर नगर पालिका परिषद, बिजनौर, बरूआसागर एवं नगर पंचायत, मोंट के अनुबन्ध पंजिका की जाँच में पाया गया कि प्रदर्शनी, तहबजारी, मुर्दामवेशी, होर्डिंग, तालाब आदि का वर्ष 1974-75 से 2011-12 की अवधि का ₹15.39<sup>14</sup> लाख का बकाया लेखापरीक्षा तिथि (मई 2016) तक वसूल नहीं किया गया था। चूँकि बकाया राशि बहुत पुरानी है अतः उसकी वसूली की सम्भावना क्षीण थी। इस प्रकार अनुबन्ध की राशि को समय पर संग्रहीत न किये जाने के कारण इन शहरी स्थानीय निकायों को ₹15.39 लाख राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी।

अधिकांश अधिकारी बिजनौर ने उत्तर में बताया कि प्रदर्शनी अनुबन्ध के लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिजनौर, बरूआसागर और नगर पंचायत, मोंट ने बताया कि बकाया के संग्रह के लिये प्रयास किये जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि समय पर कार्यवाही में शिथिलता के कारण इन शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व हानि का सामना करना पड़ा।

### **3.1.4.3 अन्य विविध प्रकरण**

#### **निष्क्रिय मशीनें ₹36.84 लाख**

नगर निगम मुरादाबाद की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 में जल-कल विभाग ने दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के अन्तर्गत ₹36.84 लाख व्यय करके 33 हार्स पावर के 10 पम्प एवं 50 हार्स पावर के 20 पम्प खरीदा गया। स्टाम्प पंजिका की जाँच एवं भंडार के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि सभी 30 पम्प मार्च 2016 तक निष्क्रिय पड़े रहे तथा इस अवधि में इन सभी पम्पों की वारन्टी अवधि भी समाप्त हो गई थी। यह इंगित करता है कि आवश्यकता का आकलन किये बिना पम्प क्रय किये गये थे जिससे ₹36.84 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ।

<sup>14</sup> नगर पालिका परिषद, बिजनौर ₹14.02 लाख, नगर पालिका परिषद, बरूआसागर ₹0.53 लाख और नगर पंचायत, मोंट ₹0.66 लाख

महाप्रबन्धक (जल कल विभाग) नगर निगम, मुरादाबाद ने उत्तर में बताया कि आकस्मिक परिस्थितियों के लिये पम्प क्रय किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया था और वारन्टी अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी पम्प अनुपयोगी पड़े थे।

### **भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) मानचित्रण कार्य में अलाभकारी व्यय**

नगर पालिका परिषद, सम्भल ने नगर क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के भौगोलिक सूचना तंत्र मानचित्रण के लिये एक फर्म से अनुबन्ध किया (फरवरी 2010)। अनुबन्ध के अनुसार कार्य 54 सप्ताह में पूर्ण होना था। जाँच से पता चला कि कम्पनी को सितंबर 2010 में ₹2.56 लाख एवं अगस्त 2013 में ₹1.00 लाख का भुगतान किया गया था। जी0आई0एस0 सर्वे संबन्धी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस प्रकार ₹3.56 लाख व्यय होने के पश्चात भी सम्पत्ति के मैपिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

नगर पंचायत, मोंठ के जी0आई0एस0 सर्वेक्षण सम्बन्धी अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत ने 2013-14 एवं 2014-15 में जी0आई0एस0 सर्वे, मानचित्रण एवं मानचित्रण के डिजिटलीकरण के लिये ₹19.70 लाख व्यय किया, लेकिन नगर पंचायत अभी भी पुराने सर्वेक्षण के आधार पर गृहकर एकत्र कर रहा था क्योंकि फर्म द्वारा सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी। इस प्रकार ₹19.70 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

नगर पंचायत, रानीपुर के जी0आई0एस0 सर्वेक्षण के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जी0आई0एस0 सर्वेक्षण, विलिंग साफ्टवेयर एवं नगर पंचायत रानीपुर के मैपिंग के डिजिटलीकरण के लिये ₹16.45 लाख व्यय किया गया (मई 2016)। उपरोक्त कार्यों के पूरा करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं था एवं नगर पंचायत अभी भी पुराने सर्वेक्षण के आधार पर गृहकर एकत्र कर रहा था। इस प्रकार ₹16.45 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

जनपद झांसी की नगर पालिका परिषद, बरूआसागर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली सम्पत्तियों का जी0आई0एस0 सर्वे का कार्य एक निजी फर्म को दिया गया था। जी0आई0एस0 सर्वे का कार्य पूरा हो गया था और फर्म ने मार्च 2015 में नगर पालिका परिषद के 16 मोहल्लों के 184 घरों का विवरण प्रदान किया जो गृहकर नहीं दे रहे थे। यह पाया गया कि यद्यपि विवरण उपलब्ध थे लेकिन नगर पालिका परिषद ने इन घरों के गृहकर की माँग नहीं की थी जिसके कारण प्रति वर्ष गृहकर के रूप में धनराशि ₹0.53 लाख राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार अपूर्ण जी0आई0एस0 सर्वेक्षण के कारण, नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी सम्पत्तियों की पहचान का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका एवं जी0आई0एस0 सर्वेक्षण पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

उत्तर में नगर पालिका परिषद सम्भल, नगर पंचायत मोंठ और रानीपुर के अधिशाषी अधिकारियों ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बरूआसागर ने बताया कि जी0आई0एस0 मानचित्रण के आधार पर घरों के विवरण को माँग व वसूली पंजिका में अंकित करने के उपरान्त शीघ्र ही गृहकर की वसूली का कार्य किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समय से कार्यवाही नहीं की गयी थी।

## संग्रहित राजस्व का बैंकों में विलम्ब से जमा किया जाना

नगर पालिका लेखा नियमों के नियम 3 के अनुसार नगर पालिका निधि से सम्बन्धित समस्त धनराशि तुरन्त ही उपयुक्त शीर्ष में जमा किया जायेगा।

नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी की रोकड़ बही एवं टाउन फण्ड बैंक खाता की जाँच में पाया गया कि अनुबन्धधारकों से प्राप्त प्रतिभूति जमा ₹25.58 लाख बैंक खाते में 17 से 81 दिनों की देरी से जमा किया गया। इसी प्रकार नगर पंचायत, मोंठ द्वारा ₹0.75<sup>15</sup> लाख बैंक में देरी से जमा किये गये। नगद प्राप्त धनराशि देरी से जमा करने के कारण न केवल ब्याज की हानि हुई बल्कि नगर पालिका लेखा नियमों का उल्लंघन भी हुआ। यह आंतरिक नियंत्रण की कमी एवं नगर पालिका निधि के दुरुपयोग के जोखिम को भी इंगित करता है।

उत्तर में शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों ने नगर पालिका लेखा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

## निजी निधियों का उपयोग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निजी स्रोत से प्राप्त राजस्व को बोर्ड फण्ड में जमा किया गया था परन्तु इसके उपयोग से सम्बन्धित अभिलेखों का अलग से रख-रखाव नहीं किया गया था। तथापि यह पाया गया कि दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकत्रित एवं हस्तांतरित राजस्व से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव अलग से किया गया था। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर व्यय की गयी थी। नौ चयनित शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जाँच की गयी 69 सड़कों (18 बिटुमिनस और 51 अन्य सड़को) के कार्यों की जाँच में निम्न कमियाँ परिलक्षित हुईं;

- चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सड़क पंजिका नहीं बनायी गयी थी।
- सभी 69 कार्यों में आगणन से पूर्व कार्य की स्थिति के बारे में सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी थी।
- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 375 अ में उल्लिखित है कि कोई भी कार्य बिना विस्तृत आगणन तैयार किये और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 69 कार्यों में न तो विस्तृत आगणन तैयार किया गया था और न ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।
- लोक निर्माण विभाग के शासकीय आदेश<sup>16</sup> (जनवरी 2007) के अनुसार निर्माण कार्य में असामाजिक तत्वों को रोकने के लिये विभिन्न निविदा प्रपत्र<sup>17</sup> के उपयोग का प्रावधान है। लेखापरीक्षा द्वारा कार्यों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सभी 69 कार्यों में निविदा आमन्त्रण में निर्धारित निविदा प्रपत्रों का उपयोग नहीं किया गया था।

<sup>15</sup>दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 06 जुलाई 2015 का ₹56,035 दिनांक 09 जुलाई 2015 को जमा किया गया था, दिनांक 21 अगस्त 2015 से 16 सितम्बर 2015 का ₹19,436, दिनांक 21 सितम्बर 2015 को जमा किया गया था।

<sup>16</sup>सं० : 6738/23-7-2006-176 (जी०)/06।

<sup>17</sup>लोक निर्माण विभाग टी०-1, टी०-2, टी०-3, टी०-4, टी०-5 और टी०-6।



- बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 69 कार्यों को बिना व्यापक प्रचार के अल्प कालीन निविदा द्वारा कराया गया था। इससे न केवल बेहतर प्रतिस्पर्धी दरों से शहरी स्थानीय निकायों को वंचित किया गया बल्कि पूल निविदा की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।
- शासकीय आदेश<sup>18</sup> (अगस्त 1996) आगणन में गुणवत्ता नियन्त्रण और तदनुसार गुणवत्ता परीक्षण का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा द्वारा सभी 69 कार्यों की जाँच में पाया गया कि गुणवत्ता नियन्त्रण का आगणन में न तो कोई प्रावधान किया गया और न ही कोई गुणवत्ता परीक्षण किया गया था। इसलिये नमूना जाँच किये गये 69 कार्यों की गुणवत्ता को लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- शासकीय आदेश<sup>19</sup> (मई 2009) के अनुसार कार्यदायी संस्था आवंटित कार्य के लिये ठेकेदार को आवश्यक बिटुमिन देने के लिये रिफाइनरी के लिये प्राधिकार पत्र जारी करेगा और ठेकेदार बिटुमिनस कार्य का भुगतान प्राप्त करने के लिये मूल सुपुर्द प्राप्त चालान (सी0आर0सी0) जमा करेगा। इन कार्यों के अभिलेखों में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा न तो प्राधिकार पत्र जारी किया गया था और न ही ठेकेदार द्वारा भुगतान प्राप्त करने से पहले सी0आर0सी0 प्रस्तुत किया गया था।

#### 3.1.4.4 अनुश्रवण

##### निजी निधियों का बकाया

नगर पालिका लेखा नियमावली के नियम 19 के अनुसार सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में माँग और वसूली पंजिका निर्धारण सूची के अनुसार पांच वर्ष के लिये निर्धारित फार्म में बनाया जायेगा। नमूना जाँच की गयी 21 शहरी स्थानीय निकायों (2 नगर निगमों, 9 नगर पालिका परिषदों तथा 10 नगर पंचायतों) की जाँच में पाया गया कि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा माँग एवं वसूली पंजिका का रख-रखाव समुचित रूप से नहीं किया गया था। माँग, संग्रह और बकाया की प्रविष्टियाँ पूर्ण न होने के कारण एवं योग न किये जाने के कारण गृहकर एवं जलकर की वास्तविक माँग व बकाया का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। नमूना जाँच की गयी छः शहरी स्थानीय निकायों (2 नगर पालिका परिषदों तथा 4 नगर पंचायतों) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पाया गया कि मार्च 2015 के अन्त में ₹2.01 करोड़ वसूली हेतु बकाया था। मार्च 2016 के अन्त में बकाये का सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि उपरोक्त सभी छः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2015-16 की माँग एवं वसूली पंजिका तैयार नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 शहरी स्थानीय निकायों (2 नगर निगम, 7 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत) में मार्च 2016 के अन्त तक ₹107.81 करोड़ बकाया था। नगर पालिका परिषद गाजीपुर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2013 के अन्त में गृहकर एवं जलकर का ₹1.03 करोड़ वसूली हेतु बकाया थी तथा नगर पालिका परिषद द्वारा माँग व वसूली पंजिका नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण आगे की माँग एवं बकाया का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। इस प्रकार मार्च 2016 के अन्त में निजी निधियों का ₹109.81 करोड़ वसूली हेतु बकाया था (परिशिष्ट 3.1.9)। उपरोक्त बकाया राशि मुख्य रूप से ₹103.99 करोड़ का गृहकर एवं जलकर से सम्बन्धित था (परिशिष्ट 3.1.10)।

<sup>18</sup> सं0 742/23-9-96-11 ए0/सी0/96।

<sup>19</sup> मुख्य सचिव उ0प्र0 का सं0 1408/2-3-07-62 (जनरल)/08/टी0सी0।

उत्तर में इन शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी प्रमुखों ने बताया कि वसूली हेतु प्रयास किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बकाया राशि का संग्रह समय से सुनिश्चित नहीं किया गया था।

### अशुद्ध प्रतिवेदन

शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष के बजट के साथ एक निर्धारित प्रपत्र में निदेशक, स्थानीय निकाय को अपने निजी स्रोतों की माँग, संग्रह एवं बकाया के बारे में सूचना भेजते हैं। नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों की जाँच में पाया गया कि निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजे गए माँग और बकाया की जानकारी सही नहीं थी क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिवेदित आँकड़े अपूर्ण थे तथा माँग व वसूली पंजिका पर आधारित नहीं थे। यह पाया गया कि विभाग को प्रेषित किये गये आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये आँकड़ों में नीचे दी गयी सारणी 3 के अनुसार भिन्नता थी:

सारणी 3: सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अशुद्ध प्रतिवेदन का विवरण

(₹ लाख में)

क्र० सं०	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के नाम	निदेशक स्थानीय निकाय को प्रेषित समस्त सम्पत्ति कर की बकाया राशि	लेखापरीक्षा के अनुसार सम्पत्ति कर का बकाया	
			नमूना जाँच किये गये प्रकरणों का विवरण	लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये आँकड़े/लेखापरीक्षा द्वारा गणना किये गये आँकड़े
1	नगर निगम, मुरादाबाद	90.87	समस्त सम्पत्तियाँ	9,246.68
2	नगर पालिका परिषद, सम्भल	66.30	382 व्यावसायिक एवं शासकीय भवन	254.46
3	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	0.49	03 मोहल्ला	0.73
4	नगर पालिका परिषद, नगीना	0	06 वार्ड	10.53

सारणी 3 दर्शाती है कि निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रतिवेदित सम्पत्ति कर का बकाया अशुद्ध था एवं माँग व वसूली पंजिका पर आधारित नहीं थी क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना किये गये बकाया एवं प्रतिवेदित बकाया के बीच एक व्यापक अन्तर था। यह त्रुटिपूर्ण लेखांकन एवं प्रतिवेदन प्रणाली को इंगित करता है।

### 3.1.4.5 निष्कर्ष

कर के संग्रहण के लिये समस्त शहरी स्थानीय निकायों में कोई एकरूप तन्त्र और कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। कर एवं करेतर राजस्व का संग्रह निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं था एवं निजी निधियों का संग्रहण प्रभावी एवं कुशल नहीं था क्योंकि कई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वांछित उप-विधियों को मंजूरी नहीं दी गई थी। कर के मूल्यांकन, अधिरोपण, संग्रहण एवं वसूली के लिये तन्त्र कमजोर पाया गया। अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियन्त्रण मजबूत नहीं था क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों में निजी निधियों की एक बड़ी धनराशि बकाया थी और निजी निधियों के उपयोग के लिये उचित लेखांकन नहीं था।

## लेखापरीक्षा प्रस्तर

### 3.2 नगर निगम वाराणसी में निष्फल व्यय

राँ वाटर पम्पिंग स्टेशन, वाराणसी में बिना व्यवहार्यता सुनिश्चित किए शुष्क सम्प पम्प की स्थापना और इसके अक्रियाशील हो जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.02 करोड़ का निष्फल व्यय।

पम्पिंग क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भदौनी वाराणसी में राँ वाटर पम्पिंग स्टेशन के उपयोगी आयु पूर्ण कर चुके पम्पों<sup>20</sup> को बदलने का प्रस्ताव (जुलाई 2007) किया गया था। भदौनी में तीन पम्पिंग स्टेशन थे जिसमें से दो आर्द्र सम्प पम्पिंग स्टेशन तथा एक शुष्क सम्प पम्पिंग स्टेशन था। सात आर्द्र पम्पों (चार 40 किलोमीटर प्रति मिनट तथा तीन 20 किलोमीटर प्रति मिनट) को, जो कि दो आर्द्र सम्प पम्पिंग स्टेशनों पर स्थापित थे, को तीन आर्द्र पम्पों (80 किलोलीटर प्रति मिनट) से बदलने का प्रस्ताव किया गया। शुष्क पम्पिंग स्टेशन पर स्थापित दो शुष्क पम्पों (70 किलोलीटर प्रति मिनट) को दो शुष्क पम्पों (80 किलो लीटर प्रति मिनट) से बदला जाना प्रस्तावित किया गया।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन के अन्तर्गत भदौनी इन्टेक वर्क्स हेतु कुल ₹ 7.69 करोड़ स्वीकृत किए गये थे जिसमें से ₹ 4.94 करोड़ पाँच पम्पों की आपूर्ति, बदलना और कमीशनिंग, टेस्टिंग आदि के लिए स्वीकृत थे। उत्तर प्रदेश जल निगम इन कार्यों की कार्यदायी संस्था थी।

कार्यदायी संस्था ने अन्य कार्यों<sup>21</sup> के अतिरिक्त इस कार्य को ₹ 7.69 करोड़ वाले न्यूनतम निविदादाता<sup>22</sup> को आवंटित<sup>23</sup> किया (मई 2008) जिसकी कार्य प्रारम्भ तथा पूर्णता की नियत तिथि क्रमशः जून 2008 एवं जून 2010 थी। संविदा की शर्तों के अनुसार, तीन माह की पूर्व परीक्षण अवधि के मध्य पूर्ण कार्य नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना था। तीन माह के पूर्व परीक्षण के पश्चात् निविदादाता को 12 माह की निष्पादन गारंटी की अवधि में पम्प संचालन का अनुश्रवण करना था और इस अवधि में उसे किसी भी प्रकार की खराबी को पूर्ण जिम्मेदारी से अपने व्यय पर ठीक करना था।

नगर निगम के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि पाँच पम्पों की क्रय व स्थापना जनवरी 2011 में ₹ 4.88 करोड़ के व्यय से पूर्ण की गई और इन्हें नगर निगम को तब हस्तांतरित (जून 2012) किया गया जब कि निष्पादन गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थी। अग्रेतर यह पाया गया कि पाँच में से दो शुष्क सम्प पम्प जिनकी लागत ₹ 2.02 करोड़ थी, निष्पादन गारंटी की 12 माह की अवधि में बार-बार खराब होते रहे किन्तु निष्पादन गारंटी अवधि के दौरान इनको ठीक करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह भी पाया गया कि शुष्क पम्प जुलाई 2012 से पूर्णतः अक्रियाशील हो गये थे। यद्यपि नगर निगम द्वारा निष्पादन गारंटी अवधि तथा उसके पश्चात् भी उ0प्र0

<sup>20</sup> वर्ष 1986 के पूर्व स्थापित किये गये पुराने पम्प।

<sup>21</sup> ड्राई/वेट सम्प के 5 रा वाटर पम्प की आपूर्ति, प्रतिस्थापना एवं स्थापना, परीक्षण आदि।

<sup>22</sup> मेसर्स फलोमोर प्राइवेट लिमिटेड, गुडगाँव।

<sup>23</sup> रा वाटर पम्पिंग स्टेशन के मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण के सिविल कार्य एवं अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु दो स्टेशनों की स्थापना एवं कमीशनिंग।

जल निगम के साथ यह प्रकरण बार-बार<sup>24</sup> उठाया गया फिर भी जल निगम द्वारा कमियों को ठीक नहीं किया गया।

तत्पश्चात्, चूंकि जलापूर्ति के लिए शुष्क पम्प कार्य नहीं कर रहे थे, मण्डलायुक्त द्वारा अप्रैल 2015 में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन पम्पों को मई 2015 तक क्रियाशील कर लिया जाना चाहिए और इसी क्रम में पम्प निर्माता फर्म से इनकी मरम्मत के लिए ₹ 55.49 लाख का प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

इस बीच यह पाया गया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को एक तकनीकी अध्ययन के लिए नामित किया गया, जिसके आधार पर एक सलाहकार फर्म ने यह अनुशंसा की कि इतनी उच्च लागत पर पम्पों की मरम्मत का कोई सार्थक लाभ नहीं था क्योंकि पम्प को अत्यधिक कम्पन सहन करना पड़ेगा परिणामस्वरूप कैविटेशन तथा रूकावट उत्पन्न होगी। यह भी बताया गया कि यह पम्प स्थानीय व्यवस्था की आवश्यकता के लिये उपयुक्त नहीं थे। फर्म द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि इन पम्पों को सबमर्सिबल पम्पों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध थे तथा जिनका परिचालन भी आसान था। सलाहकार फर्म द्वारा ₹ पांच करोड़ की अनुमानित लागत प्रस्तावित की गई जिसे नगर निगम ने स्वीकार कर लिया। बाद में नगर निगम वाराणसी ने यह धनराशि अमृत योजना<sup>25</sup> से व्यय करने का प्रस्ताव दिया। अग्रेतर, यह पाया गया कि पम्प अभी तक क्रय नहीं किये गये थे (फरवरी 2017)।

इंगित किये जाने पर महाप्रबंधक, जल कल विभाग नगर निगम वाराणसी ने बताया कि ये पम्प स्थापना के मात्र नौ दिन पश्चात तक कार्यशील रहे और जल निगम इनके संचालन और अनुरक्षण हेतु सहमत नहीं हुआ। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शुष्क सम्प पम्पों की तकनीकी सुगम्यता का स्वीकृति/स्थापना के पूर्व आकलन नहीं किया गया जिसके समर्थन में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की अनुशंसा भी थी कि दो शुष्क सम्प पम्पों का चयन उपयुक्त नहीं था।

अतः बिना कोई व्यवहारिता अध्ययन कराए, शुष्क सम्प पम्पों की स्थापना और निष्पादन गारंटी अवधि में उनकी मरम्मत कराने में असफलता के परिणामस्वरूप हस्तान्तरण के तुरन्त बाद पम्पों के पूर्णतः अक्रियाशील हो जाने के कारण ₹ 2.02 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

<sup>24</sup> रा वाटर पम्पिंग स्टेशन के मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण के सिविल कार्य एवं अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु दो स्टेशनों की स्थापना एवं कमिशनिंग।

<sup>25</sup> अटल मिशन रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन।

### 3.3 नगर पालिका परिषद खतौली एवं बांगरमऊ में अलाभकारी व्यय

दुकानों के निर्माण पर ₹32.60 लाख के अलाभकारी व्यय के अतिरिक्त ₹16.13 लाख की राजस्व हानि।

चयनित क्षेत्रीय विकास केन्द्रों पर आधारभूत संरचना और सेवा सुविधाएँ विकसित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रारम्भ (1979–80) की गई जिसका उद्देश्य उन कस्बों को आर्थिक विकास के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में सक्षम बना करके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना और बड़े शहरों की ओर पलायन को रोकना था।

नगर पालिका परिषद खतौली, मुजफ्फरनगर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) में पाया गया कि ₹ 33.13 लाख की प्राक्कलित लागत से 18 दुकानों (खतौली) का निर्माण प्रस्तावित (नवम्बर 2008) किया गया, जिसकी तकनीकी स्वीकृति (जुलाई 2009) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग<sup>26</sup> उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रदान की गई।

जुलाई 2009 में ही निविदाएं आमंत्रित की गईं और न्यूनतम निविदादाता को ₹ 33.13 लाख की लागत पर कार्यादेश (फरवरी 2010) निर्गत किया गया। निर्माण कार्य अप्रैल 2010 में प्रारम्भ हुआ और जनवरी 2012 में ₹ 22.82 लाख<sup>27</sup> के व्ययपरांत कार्य पूर्ण हुआ। यद्यपि चार वर्षों से अधिक समय तक ये दुकानें आवंटित नहीं हुईं परिणामस्वरूप ₹ 22.82 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

इंगित किए जाने पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खतौली ने बताया (जुलाई 2016) कि वर्तमान में दुकानें खाली पड़ी थीं और उनकी मरम्मत की आवश्यकता थी। अधिशाषी अधिकारी ने आगे बताया (सितम्बर 2016) कि सह नियोजक, संगठित विकास योजना ने दुकानों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास नहीं किया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संगठित विकास योजना के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा दिया गया जो कि वित्तीय स्वीकृति से भी स्पष्ट था। इसके अतिरिक्त सम्पत्तियों के अधिकतम उपयोग और राजस्व अर्जन का उत्तरदायी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खतौली की थी। अतः दुकानों के आवंटन में नगर पालिका परिषद खतौली के असफल रहने के कारण ₹ 22.82 लाख का अलाभकारी व्यय के अतिरिक्त ₹ 3.53 लाख<sup>28</sup> की परिहार्य राजस्व हानि (सितम्बर 2016 तक) भी हुई थी।

इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद बांगरमऊ, उन्नाव द्वारा सम्भावित क्रेताओं से प्रीमियम संग्रह करके 33 दुकानों और पाँच आवासीय भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु ₹ 38.61 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जनवरी 2009) प्रदान की गई।

<sup>26</sup> नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग<sup>26</sup> उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

<sup>27</sup> प्रथम चालू बिल ₹11.71 लाख (सितम्बर 2010), द्वितीय चालू बिल ₹11.11 लाख (मार्च 2012)

<sup>28</sup> ₹ 350.00 प्रति दुकान प्रति माह के दर से 18 दुकानों का 56 माह का किराया जो कि जनवरी 2012 से सितम्बर 2016 तक था।

नगर पालिका परिषद्, बॉगरमऊ, उन्नाव के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि उक्त हेतु निविदाएं आमंत्रित (जनवरी 2009) की गईं और न्यूनतम निविदादाता को ₹ 38.61 लाख का कार्यादेश (मार्च 2009) निर्गत किया गया, जिसकी कार्य पूर्ण करने की तिथि 60 दिनों (मई 2009) की थी। धनराशि ₹ 19.56 लाख की लागत से 30 दुकानों का निर्माण निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर लिया गया किन्तु कोई प्रीमियम संग्रह न कर पाने के कारण आवासीय भवनों का निर्माण प्रारम्भ न हो सका। नगर पालिका परिषद् ने दुकानों की नीलामी छः बार<sup>29</sup> कराई। यद्यपि छः वर्षों के पश्चात् केवल 15 दुकानें ही आवंटित हुईं एवं शेष 15 दुकानें अभी भी अप्रयुक्त पड़ी थीं। इस प्रकार दुकानों की माँग का आकलन किए बिना निर्माण करा दिए जाने से उनका आवंटन नहीं हो सका (सितम्बर 2016)। परिणामस्वरूप, उनके निर्माण पर ₹ 9.78 लाख<sup>30</sup> के अलाभकारी व्यय के अतिरिक्त ₹ 12.60 लाख<sup>31</sup> की परिहार्य राजस्व हानि (सितम्बर 2016 तक) हुई।

इंगित किए जाने पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बॉगरमऊ ने बताया (फरवरी 2016) कि भविष्य में दुकानों के निर्माण के पूर्व उनकी माँग का आकलन किया जाएगा। अतः माँग का आकलन किए बिना दुकानों का निर्माण करने से ₹ 32.60 लाख का अलाभकारी व्यय हुआ, साथ ही ₹ 16.13 लाख की राजस्व हानि भी हुई।

#### 3.4 नगर निगम इलाहाबाद में अलाभकारी व्यय

तकनीकी व्यवहार्यता का विश्लेषण किए बिना नगर निगम इलाहाबाद द्वारा लीक डिटेक्शन सिस्टम के क्रय तथा इसके संचालन हेतु प्रशिक्षण पर ₹ 1.30 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

इलाहाबाद शहर में सतत पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के दृष्टिकोण से नगर निगम इलाहाबाद द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन योजनान्तर्गत इलाहाबाद शहर जलापूर्ति योजना (भाग- I), प्रस्तावित (जुलाई 2006) की गई, जिसमें वितरण प्रणाली का पुनर्गठन एवं सशक्तीकरण, नलकूपों तथा संचित जलाशयों का प्रावधान किया गया था। लीक डिटेक्शन सिस्टम का क्रय उन घटकों में से एक था जो कि वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण के लिये आवश्यक था जिससे कि लीकेज बिन्दु के स्थान को तकनीकी व मितव्ययी ढंग से चिन्हित करके रिसाव को कम रखने की योजना बनाकर क्रियान्वित किया जा सके। इससे जल की अतिरिक्त माँग की पूर्ति भी होती क्योंकि जल की हानि कम होती, और अतिरिक्त पेयजल उत्पादन और वितरण की लागत में बचत होती। प्रस्ताव (जुलाई 2006) के अनुसार लीक डिटेक्शन सिस्टम की लागत ₹ तीन करोड़ थी।

नगर निगम के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2015) में पाया गया कि लीक डिटेक्शन सिस्टम के क्रय और इसके संचालन के लिये कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यदायी संस्था

<sup>29</sup> दिनांक 17 दिसम्बर 2011, 10 अक्टूबर 2012, 31 जनवरी 2013, 15 फरवरी 2013, 18 जून 2013 तथा 31 मई 2016।

<sup>30</sup> 15 दुकानों की निर्माण लागत ₹ 65,200 प्रति दुकान (₹ 19,56,000/30 दुकान, ₹ 65,200 प्रति दुकान)

<sup>31</sup> 10 दुकानें ₹ 700 प्रति दुकान प्रतिमाह एवं 19 दुकानें ₹ 400 प्रति दुकान प्रतिमाह किराया की दर से 84 महीनों के लिए अर्थात् मई 2009 से मई 2016 तक और 18 दुकानें (चार दुकानें ₹ 700 किराए पर और 14 दुकानें ₹ 400 किराए पर) 4 महीनों का किराया अर्थात् मई 2016 से सितम्बर 2016।

जल निगम को ₹ 2.85 करोड़ आवंटित किए गए। जल निगम ने लीक डिटेक्शन सिस्टम (जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता था) के क्रय के लिए निविदा आमंत्रित (जून 2010) की और न्यूनतम निविदादाता को ₹ 1.37 करोड़ की लागत पर स्वीकृत (जून 2013) किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित फर्म ने जल निगम को एक नये आधुनिक पुर्जे का क्रय प्रस्तावित किया (मार्च 2013) जो कि मशीन के दो सहायक पुर्जों को प्रतिस्थापित करता, जिसे निविदा समिति द्वारा उसी तिथि को बिना इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का विश्लेषण किए, स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार ₹ 1.37 करोड़ की लागत पर लीक डिटेक्शन सिस्टम की आपूर्ति (6 माह के भीतर) हेतु फर्म के साथ एक नया अनुबन्ध (दिसम्बर 2013) किया गया। जल निगम ने ₹ 1.22 करोड़ की लागत पर लीक डिटेक्शन सिस्टम प्राप्त (मार्च 2014) किया और ₹ 7.27 लाख का भुगतान (जुलाई 2014) लीक डिटेक्शन सिस्टम के संचालन का प्रशिक्षण<sup>32</sup> प्रदान करने हेतु फर्म को किया।

लेखापरीक्षा में पाया कि नया उपकरण संचालन में नहीं था। इंगित किए जाने पर (फरवरी 2017) नगर निगम ने बताया कि लीक डिटेक्शन सिस्टम केवल वार्ड-फाई क्षेत्र में ही संचालित हो सकता था, अतः इसे फर्म को वापस (जून 2015) कर दिया गया ताकि इसका साफ्टवेयर उच्चिकृत करके रेडियो फ्रिक्वेंसी पर कार्य करने योग्य बनाया जा सके, किन्तु फरवरी 2017 तक इस संबंध में प्रगति की कोई सूचना नहीं थी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि निविदा के अंतिमीकरण की अवधि में, बिना तकनीकी व्यवहार्यता का विश्लेषण किए लीक डिटेक्शन सिस्टम के घटकों को बदला गया था। परिणामस्वरूप इसके क्रय और संचालन हेतु प्रशिक्षण पर किया गया ₹ 1.30 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

### 3.5 नगर निगम आगरा और लखनऊ में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन

वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय वाहन ईंधन नीति का उल्लंघन करके नगर निगम आगरा और नगर निगम लखनऊ ने बी.एस. IV माडल वाहनों के स्थान पर बी.एस. III माडल वाहनों का ₹ 6.85 करोड़ में क्रय किया, जिस कारण वायु प्रदूषण के पर्यावरण मानकों का क्रियान्वयन विफल रहा।

एक निर्धारित समय अन्तराल में वाहन उत्सर्जन मानकों को प्राप्त करने हेतु एक खाका प्रदान करने के उद्देश्य से और प्रदूषण कम करके पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों (1999) के क्रम में तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति (एन.ए.एफ.पी.) की घोषणा अक्टूबर 2003 में की थी। इस दृष्टिकोण से, सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ने आदेश<sup>33</sup> निर्गत किया कि एक अप्रैल 2010 से 13 शहरों में संचालन हेतु केवल भारत स्टेज-IV (बी.एस. IV) उत्सर्जन मानकों वाले चार पहिया वाहनों

<sup>32</sup> दिनांक 24 मार्च 2014 से 22 अप्रैल 2014 तक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

<sup>33</sup> सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या आर टी - 11011/11/2009/एम वी एल दिनांक 28 मई 2010।

(एक अप्रैल 2010 अथवा इसके पश्चात निर्मित) के पंजीकरण की ही अनुमति होगी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रदूषण स्तर बहुत गंभीर एवं खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है, परिणामस्वरूप ताजमहल के प्रसिद्ध एवं विशिष्ट संगमरमर का रंग सफेद से पीला हो रहा है और वायु प्रदूषण द्वारा नष्ट हो रहा है। उक्त के द्रष्टिगत गंभीर कदम उठाये गये, जैसे कि ताजमहल के 500 मीटर परिक्षेत्र में वाहनों का परिचालन रोका जाना एवं उपरोक्त वर्णित 13 शहरों में आगरा को सम्मिलित किया जाना। इसके अतिरिक्त बी.एस.-III माडल वाहनों से कार्बन-मोनो आक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन आक्साइड का उत्सर्जन बी.एस.-IV माडल वाहनो की तुलना में अधिक होता है जिस कारण पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है।

नगर निगम आगरा के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2015) में पाया गया कि उपरोक्त मानकों के उल्लंघन में अधिशाषी अभियंता, नगर निगम द्वारा बी.एस.-III अथवा बी.एस.-IV वाहनों के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित (दिसम्बर 2013) की गईं। निविदाओं के विरुद्ध नगर निगम आगरा ने ₹ 6.03 करोड़ की कुल लागत से बी.एस.-III माडल के 15 वाहनों (**परिशिष्ट 3.2**) का क्रय (अक्टूबर 2014 से मार्च 2015) तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत किया। ये वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय फिरोजाबाद में नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद के अस्थाई पते पर पंजीकृत किए गए क्योंकि शासन द्वारा बी.एस.-III मानक के उत्सर्जक वाहनों का पंजीकरण आगरा में प्रतिबंधित था। ये वाहन नगर निगम आगरा क्षेत्र में संचालित थे।

इसी प्रकार, नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त मानकों के विपरीत नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु ₹ 82.25 लाख की लागत के बी.एस.-III माडल के पांच टिपर ट्रक क्रय (जुलाई 2015) किये गये थे एवं उनका पंजीकरण बाराबंकी जनपद में कराया गया था।

इंगित किये जाने पर नगर निगम आगरा ने बताया कि बी.एस.-IV माडल वाहन उपलब्ध नहीं थे, शहर को साफ रखने के द्रष्टिगत बी.एस.-III माडल वाहनों का क्रय किया गया था। नगर निगम लखनऊ ने बताया कि उनकी सस्ती दरों के कारण बी.एस.-III माडल वाहनों का क्रय किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन वाहनों का क्रय भारत सरकार की राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति के प्राविधानों का उल्लंघन था।

अतः नगर निगम आगरा और नगर निगम लखनऊ ने ₹ 6.85 करोड़ की लागत के बी.एस.-III माडल के वाहनों का क्रय करके भारत सरकार के राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति के प्रावधानों का उल्लंघन किया।



### 3.6 नगर पालिका परिषद हाथरस में राजस्व की हानि

नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा पार्किंग शुल्क संग्रह के लिए निविदा आमंत्रण तथा पार्किंग स्थलों के आवंटन में विफल रहने के कारण ₹ 1.15 करोड़ के राजस्व की हानि।

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और अधिक कार्य तथा निधियों के स्थानान्तरण एवं हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। शासकीय अनुदान पर निर्भरता कम करने के द्रष्टिगत शहरी स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली जनता से कर, किराया, शुल्क आदि के संग्रह द्वारा राजस्व अर्जित किया जाना था।

अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद हाथरस के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा वाहन स्टैण्ड के लिए छः पार्किंग स्थलों, जहाँ तांगा, टैम्पों, निजी बस आदि ठहरते थे और यात्री चढ़ते उतरते थे, का आवंटन निजी ठेकेदारों को ₹ 25.60 लाख<sup>34</sup> में वर्ष 2010-11 में किया गया था। अग्रेतर यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 में मात्र तीन पार्किंग स्थल<sup>35</sup> की नीलामी हुई जबकि शेष पार्किंग स्थलों की नीलामी नहीं की गयी। वर्ष 2012-13 में निविदा आमंत्रण द्वारा नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी किन्तु निविदा दिए जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। तत्कालीन जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निविदा द्वारा नीलामी के पूर्व सभी पार्किंग स्थलों का नजरी नक्शा से परीक्षण तथा सत्यापन करा लें। इन आदेशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी हाथरस द्वारा पाँच पार्किंग स्थलों<sup>36</sup> का सत्यापन किया गया तथा उनकी नीलामी हेतु उपयुक्तता की रिपोर्ट (अप्रैल 2012) जिलाधिकारी को सूचित की गयी। अग्रेतर, अधिशायी अधिकारी हाथरस ने नजरी नक्शा प्रस्तुत किया और नीलामी की अनुमति माँगी। नजरी नक्शा प्राप्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी ने अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद को शासनादेश (जनवरी 2009) के अनुसार उचित कार्यवाही करने का निर्देश (अगस्त 2012) दिया। यद्यपि अधिशायी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-2016 की अवधि में कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई और इस कारण इन वर्षों में पार्किंग स्थलों की नीलामी नहीं कराई गई। तथ्यात्मक रूप से नगर पालिका परिषद की निजी राजस्व वर्ष 2012-15 की अवधि में मात्र ₹ 1.74 करोड़ से ₹ 1.81 करोड़<sup>37</sup> के मध्य थी, लगातार चार वर्षों से पार्किंग शुल्क का संग्रह न किए जाने से नगर पालिका परिषद को भारी राजस्व की हानि हुयी। अतः नगर पालिका परिषद ने, न तो 2012-13 से 2015-16 की अवधि में नीलामी कराई और न ही पार्किंग शुल्क का संग्रह विभागीय स्टॉफ के माध्यम से किया।

<sup>34</sup> अलीगढ़ रोड ₹ 6,43,000, मेण्डू रोड ₹ 5,61,000, आगरा रोड ₹ 2,95,000, मुरसान रोड ₹ 6,25,000, इगलास रोड ₹ 2,05,000 एवं जलेसर रोड ₹ 2,30,850 (₹ 950/दिन के दर से 243 दिन का)।

<sup>35</sup> अलीगढ़ रोड, मुरसान रोड एवं मेण्डू रोड।

<sup>36</sup> जलेसर रोड, अलीगढ़ रोड, आगरा रोड, इगलास रोड एवं सिकन्दरारु रोड।

<sup>37</sup> वर्ष 2012-13 में ₹ 1.74 करोड़, वर्ष 2013-14 में ₹ 1.76 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 में ₹ 1.81 करोड़।

इंगित किए जाने पर अधिशाषी अधिकारी ने बताया (फरवरी 2016) कि वर्ष 2011–12 से पार्किंग शुल्क का संग्रह जिलाधिकारी के मौखिक आदेश से रोक दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नजरी नक्शा प्रस्तुत होने के पश्चात् जिलाधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी को पार्किंग शुल्क संग्रह करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। यद्यपि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया गया था।

अतः पार्किंग स्थलों की नीलामी में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ की राजस्व हानि हुई (परिशिष्ट 3.3)।

### 3.7 नगर निगम वाराणसी में राजस्व की हानि

निजी अस्पताल/नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क का निर्धारण न करने के कारण नगर निगम, वाराणसी को ₹41.50 लाख की राजस्व हानि।

म्यूनिसिपल नियमों<sup>38</sup> में यह व्यवस्था है कि निगम समय-समय पर ऐसी लाइसेंस, स्वीकृति या अनुमति के लिए शुल्क निर्धारण के उद्देश्य से उप-विधियाँ बना सकते हैं जैसा कि नगर निगम अधिनियम में प्रावधानित है। अग्रेतर, इनमें कहा गया है कि उप-विधियाँ राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए तथा क्रियान्वयन के लिए यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी हास्पिटल, नर्सिंग होम, पैथॉलाजी केन्द्र आदि से लाइसेन्स शुल्क की वसूली तथा वसूली की दरों में वृद्धि के लिए शासनादेश निर्गत किया (दिसम्बर 1997) जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा सुदृढ़ बनाना था। नर्सिंग होम और अस्पतालों पर लाइसेन्स शुल्क के आरोपण के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा संगठन के अनुरोध पर एक स्थायी आदेश<sup>39</sup> निर्गत कर नर्सिंग होम और अस्पतालों से लाइसेंस शुल्क अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थायी आदेश हटाने के लिए पुनः एक शासनादेश (मई 2014) निर्गत किया, जिसमें कहा गया कि नर्सिंग होमों को राजस्व सृजन इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और शासनादेश का प्रावधान रद्द किया गया।

नगर निगम, वाराणसी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि नगर निगम वाराणसी द्वारा निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और पैथोलाजी केन्द्रों के नियंत्रण, संचालन और लाइसेंस प्रदान करने के लिए उप-विधि बना कर गजट में प्रकाशित (मार्च 1999) की गई। वर्ष 2014–16 के मध्य वाराणसी नगर निगम के अन्तर्गत 275 निजी क्लीनिक, 139 पैथालाजी केन्द्र 76 निजी अस्पताल 80 नर्सिंग होम (20 शैय्या) 7 नर्सिंग होम (20 शैय्या से अधिक) 63 दंत चिकित्सालय, 46 प्रसूति गृह (20 शैय्या) और 50 एक्स-रे क्लीनिक संचालित थे।

<sup>38</sup> नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्रस्तर 541 (41) से 544।

<sup>39</sup> शासनादेश सं. 213/9-9-2001-23 जे/97 टी सी-2, दिनांक 24.12.2001

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासनादेश (मई 2014) के पश्चात् भी चिकित्सा अधिष्ठानों को लाइसेंस निर्गत करने के लिए कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी जिस कारण नगर निगम को वर्ष 2014-16 की अवधि में ₹ 41.50 लाख<sup>40</sup> की राजस्व हानि हुई थी (परिशिष्ट 3.4)।

इंगित किये जाने पर नगर निगम ने बताया (जून 2016) कि नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश (2001) के अनुसार लाइसेंस शुल्क का अधिरोपण तथा वसूली नहीं की। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश (दिसम्बर 2001) को अन्य शासनादेश (मई 2014) द्वारा रद्द कर दिया गया था तथा नगर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे नगर निगम वाराणसी को ₹ 41.50 लाख के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित (फरवरी 2016 से जुलाई 2016) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2017)।

इलाहाबाद  
दिनांक

**24 मई 2017**




(भाविका जोशी लाठे)

उप महालेखाकार  
जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट  
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद  
दिनांक

**24 मई 2017**



(पू के० कटारिया)

प्रधान महालेखाकार  
जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट  
उत्तर प्रदेश

<sup>40</sup> 275 निजी क्लीनिक ₹ 3,000 प्रति वर्ष, 139 पैथोलॉजी केन्द्र ₹ 1,000 प्रति वर्ष, 76 निजी अस्पताल ₹ 5,000 प्रति वर्ष, 80 नर्सिंग होम (20 बेड) ₹ 2,000 प्रति वर्ष, 7 नर्सिंग होम (20 बेड से अधिक) ₹ 5,000 प्रति वर्ष, 63 दन्त क्लीनिक ₹ 4,000 प्रति वर्ष, 46 प्रसूती गृह (20 बेड) ₹ 4,000 प्रति वर्ष तथा 50 एक्स-रे क्लीनिक ₹ 2,000 प्रतिवर्ष के दर से (गजट के अनुसार दो वर्षों का लाइसेंस शुल्क)।

**परिशिष्ट 1.1**  
**शहरी स्थानीय निकायों के कार्य**  
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ 2)

- (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित हैं।
- (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन।
- (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन।
- (iv) मार्ग एवं सेतु।
- (v) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- (vi) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- (vii) अग्नि सेवाएं।
- (viii) शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष का उन्नयन।
- (ix) विकलांगों एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा।
- (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण।
- (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन।
- (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- (xiii) सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौन्दर्य परक पक्ष का उन्नयन।
- (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- (xv) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- (xvi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- (xvii) स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- (xviii) बूचड़खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

**परिशिष्ट 1.2**  
**शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा विशेष रूप से किये गये कार्य**  
(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 1.3; पृष्ठ 2)

- i) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- ii) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- iii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- iv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- v) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- vi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- vii) मार्ग प्रकाश, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- viii) बूचड़खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

### परिशिष्ट 1.3

#### शहरी स्थानीय निकायों एवं शासकीय अभिकरणों के मध्य कार्यों का विभाजन (संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ 2)

क्र० सं०	सेवाएं	विभाग / शासकीय अभिकरण
1.	शहरी योजना शहरी नियोजन सहित	27 शहरों में शहरी विकास प्राधिकरण एवं शेष शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
2.	भू उपयोग नियामक एवं भवन निर्माण	27 शहरों में विकास प्राधिकरण, 74 शहरों में नियामक क्षेत्र अभिकरण एवं शेष शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
3.	सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक विचारों की उन्नयन	(i) सांस्कृतिक क्रियाकलाप राज्य संस्कृति विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
		(ii) शिक्षा निगम के माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा
		(iii) धार्मिक विचार शासकीय विभागों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा
4.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना	विकास प्राधिकरण, विकास परिषद्, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य शहरी विकास अभिकरण, उ.प्र. जल निगम, उ.प्र. जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा
5.	सड़कें एवं पुलें	विकास प्राधिकरणों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

### परिशिष्ट 1.4

#### शासकीय विभागों/अभिकरणों के द्वारा किये जाने वाले कार्य (संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ 2)

क्र० सं०	सेवाएं	विभाग / अभिकरण
1.	अग्नि सेवा	अग्नि शमन विभाग
2.	शहरी वानिकी	वन विभाग
3.	पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पक्ष की उन्नति	पर्यावरण विभाग
4.	मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण	राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं नियोजन विभाग
5.	विकलांगों एवं मांसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा	राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं नियोजन विभाग

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

## परिशिष्ट 1.5

### अभिलेखों का रख-रखाव, सेवा स्तर मानकों आदि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.8, 1.9, 1.11.6 एवं 1.11.7; पृष्ठ 6, 11 एवं 12)

इकाई का नाम	अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति	बैंक पास बुक से रोकड़ बही के मिलान की स्थिति	1-राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल के अनुसार लेखों का रख-रखाव 2-दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली पर वार्षिक लेखों के तैयार किये जाने की स्थिति 3-वार्षिक लेखों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता	सम्पत्ति कर परिषद की प्रद्यतन स्थिति	आग से खतरे पर प्रतिक्रिया एवं शमन योजना	लक्ष्य के विरुद्ध सेवाओं की उपलब्धियां चार सेवा स्तर मानकों के सापेक्ष 1. जलापूर्ति 2. सीवरेज 3. वर्षा जल निकासी 4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ए0सी0 / डी0सी0 बिलों पर टिप्पणियां
नगर निगम, बरेली	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. अधूरा तैयार किया 3. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.47.8 प्रतिशत 2. प्रदान नहीं किया गया 3. प्रदान नहीं किया गया 4. प्रदान नहीं किया गया	लागू नहीं
नगर निगम, मुरादाबाद	आंशिक रख-रखाव	मिलान किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. अधूरा तैयार किया 3. लागू नहीं	—	लागू नहीं	प्राप्त किया	नहीं
नगर पालिका परिषद, बिलारी, मुरादाबाद	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	3. प्राप्त किया 2. प्राप्त नहीं किया 3. प्राप्त नहीं किया 4. प्राप्त नहीं किया	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पालिका परिषद, अतर्रा, बाँदा	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	3. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नगर पालिका परिषद, संत कबीर नगर	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	1. प्राप्त किया 2. प्राप्त नहीं किया 3. प्राप्त नहीं किया 4. प्राप्त नहीं किया	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	क्रियान्वयित नहीं	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पंचायत, कुरारा हमीरपुर	आंशिक रख-रखाव	मिलान नहीं किया गया	1. नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं	क्रियान्वयित नहीं	ए0सी0बिल तैयार नहीं था
नगर पंचायत, खीरी लखीमपुर	आंशिक रख-रखाव	मिलान किया गया	1. उपार्जन आधारित लेखे 2015-16 तक नहीं तैयार किया 2. नहीं तैयार किया 3. लागू नहीं	गठित नहीं हुई	लागू नहीं		ए0सी0बिल तैयार नहीं था



## परिशिष्ट 1.6

### आंकड़ों में अन्तर का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.11.1.1; पृष्ठ 8)

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय वित्त आयोग			
वर्ष	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबन्धित वर्षों में उपलब्ध कराये गये आंकड़े	विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े	निदेशक, शहरी स्थानीय निकायों एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में अन्तर (कालम 2—कालम 3)
1	2	3	4
2011-12	517.51	517.50	0.01
2012-13	756.49	756.45	0.04
2013-14	760.01	941.88	-181.87
2014-15	821.98	640.08	181.9
2015-16	983.60	983.60	0

(₹ करोड़ में)

राज्य वित्त आयोग			
वर्ष	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबन्धित वर्षों में उपलब्ध कराये गये आंकड़े	विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े	निदेशक, शहरी स्थानीय निकायों एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों में अन्तर (कालम 2—कालम 3)
1	2	3	4
2011-12	3,354.37	3,767.51	-413.14
2012-13	3,993.98	4,158.26	-164.28
2013-14	6,160.69	4,808.60	1,352.09
2014-15	6,948.17	5,677.86	1,270.31
2015-16	5,462.43	6,099.86	-637.43

(स्रोत: निदेशक शहरी विकास विभाग एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन)



## परिशिष्ट 1.7

### निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.11.5; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी	वर्ष	लक्ष्य (₹)	प्राप्ति (₹)	कमी/आधिक्य (₹)	कमी/आधिक्य (प्रतिशत)
नगर निगम	2011-12	972.00	833.20	(-)138.8	14.28
	2012-13	1,117.80	999.84	(-)117.96	10.55
	2013-14	1,334.46	852.62	(-)481.84	36.11
	2014-15	1,613.41	964.43	(-)648.98	40.22
	2015-16	1,045.32	990.18	(-)55.14	5.27
नगर पालिका परिषद्	2011-12	311.87	198.87	(-)113.00	36.23
	2012-13	358.65	238.64	(-)120.01	33.46
	2013-14	426.63	318.73	(-)107.90	25.29
	2014-15	501.80	347.68	(-)154.12	30.71
	2015-16	381.92	368.31	(-)13.61	3.56
नगर पंचायत	2011-12	79.87	57.12	(-)22.75	28.48
	2012-13	91.85	68.54	(-)23.31	25.38
	2013-14	114.37	97.76	(-)16.61	14.52
	2014-15	133.51	101.58	(-)31.93	23.92
	2015-16	111.34	124.58	(+)13.24	--

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

## परिशिष्ट 2.1

### नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की सूची

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.5; पृष्ठ 17)

जनपद	चयनित नगर निगम	चयनित नगर पालिका परिषद	चयनित नगर पंचायतें
देवरिया	-	देवरिया	भाटपार रानी
		गौरा बरहज	रामपुर कारखाना
इटावा	-	इटावा	बकेवर
		जसवन्त नगर	लखना
कन्नौज	-	छिबरामऊ	समधन
		कन्नौज	तालग्राम
कानपुर	कानपुर	बिल्हौर	बिथूर
		घाटमपुर	शिवराजपुर
कुशीनगर	-	पडरौना	हाटा
			रामकोला
लखनऊ	लखनऊ	-	बख्शी का तालाब
			महोना
मैनपुरी	-	मैनपुरी	भोगांव
			किशनी
मिर्जापुर	-	अहरौरा	कछवा
		मिर्जापुर	
सम्भल	-	चन्दौसी	बबराला
		सम्भल	नरौली
सुलतानपुर	-	सुलतानपुर	दोस्तपुर
			कादीपुर
<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

## परिशिष्ट 2.2

राज्य में मार्च 2016 तक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.6.2; पृष्ठ 18)

(₹करोड़ में)

क्र0 सं0	नगरीय स्थानीय निकायों का नाम	योजना का नाम	वित्तीय स्थिति			क्षमता (टी पी डी)	भौतिक प्रगति (%)	टिप्पणी
			स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
<b>परिचालित</b>								
1	नगर निगम, इलाहाबाद	यू.आई. एण्ड जी.	30.41	30.41	29.51	600	90	कन्वेंशनर ने अनुबंध को समाप्त कर दिया और नगर निगम द्वारा चयनित दूसरी संस्था के द्वारा प्लाण्ट संचालित किया जा रहा था।
2	नगर पालिका परिषद, बाराबंकी	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	5.37	5.24	5.24	30	100	परियोजना 30 सितम्बर 2012 को पूर्ण की गयी।
3	नगर पालिका परिषद, इटावा	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	5.82	5.42	5.42	75	100	परियोजना 31 अक्टूबर 2012 को पूर्ण की गयी।
4	नगर पालिका परिषद, कन्नौज	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	4.62	4.57	4.57	25	100	परियोजना मार्च 2011 को पूर्ण की गयी।
5	नगर पालिका परिषद, मैनपुरी	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	4.28	3.74	3.74	30	100	परियोजना 31 अक्टूबर 2012 को पूर्ण की गयी।
6	नगर पालिका परिषद, मुजफ्फर नगर	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	6.58	5.8	5.8	120	100	परियोजना अक्टूबर 2011 को पूर्ण की गयी।
7	नगर पालिका परिषद, रायबरेली	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	8.78	7.37	7.37	70	100	परियोजना अगस्त 2011 को पूर्ण की गयी।
<b>आंशिक रूप से संचालित</b>								
8	नगर निगम, अलीगढ़	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	16.07	16.06	14.17	220	100	परियोजना जुलाई 2012 में पूर्ण हो गयी। कन्वेंशनर मेसर्स ए2जेड द्वारा संचालन बन्द किया जा चुका था।
9	नगर निगम, लखनऊ	यू.आई. एण्ड जी.	42.93	42.93	38.88	1300	88	अगस्त 2015 में प्रसंस्करण संयंत्र कमिसंड किया जा चुका था, परियोजना मार्च 2016 तक पूर्ण हो जाना संभावित था।
<b>पूर्ण परन्तु संचालित नहीं</b>								
10	नगर निगम, बरेली	अनुपलब्ध	13.86	13.86	13.86	300	100	कुछ महीने परिचालन के पश्चात माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार-पत्र प्राप्त किये जाने तक संयंत्र का परिचालन बन्द करने का आदेश दिया गया।
11	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	9.38	9.38	9.38	55	100	कन्वेंशनर मेसर्स ए2जेड द्वारा 12 से 18 माहों तक संयंत्र परिचालित करने के उपरान्त परिचालन बन्द कर दिया गया।
12	नगर निगम, कानपुर	यू.आई. एण्ड जी.	56.24	56.24	56.02	1500	100	कन्वेंशनर मेसर्स ए2जेड द्वारा लगभग तीन वर्षों तक संयंत्र परिचालित करने के उपरान्त फरवरी 2014 से परिचालन बन्द कर दिया गया।

13	नगर पालिका परिषद, मथुरा	यू.आई. एण्ड जी.	9.91	9.91	9.9	180	100	कन्शेसनर द्वारा लगभग दो वर्षों तक संयंत्र परिचालित करने के उपरान्त परिचालन बन्द कर दिया गया। कन्शेसन अनुबन्ध समाप्त किया जा चुका था।
14	नगर निगम, मुरादाबाद	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	13.16	12.24	12.24	280	100	परियोजना जुलाई 2013 में पूर्ण हुई। कन्शेसनर मेसर्स ए2जेड द्वारा लगभग दो वर्षों तक संयंत्र परिचालित करने के उपरान्त परिचालन बन्द कर दिया गया।
<b>निर्माणाधीन</b>								
15	नगर निगम, आगरा	यू.आई. एण्ड जी.	30.84	30.84	22.34	750	90	विवाद के कारण कार्य बाधित था, अनुबन्ध समाप्त किया जा चुका था और नगर निगम द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित गयी थी।
16	नगर पालिका परिषद, बदायूँ	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	5.78	5.78	4.51	55	70	कन्शेसनर मेसर्स ए2जेड द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका था।
17	नगर पालिका परिषद, बलिया	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	6.82	6.82	4.1	40	70	कन्शेसनर मेसर्स ए2जेड द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका था।
18	नगर निगम, गाजियाबाद	अनुपलब्ध	13.52	12.76	6.61	300	50	निजी पार्टियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के स्थल की उपयुक्तता पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी।
19	नगर निगम, झांसी	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	12.16	12.15	6.08	200	62	कन्शेसनर मेसर्स यूपी अपशिष्ट प्रसंस्करण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका था। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जा चुका था। नगर निगम द्वारा पुनः निविदा प्रक्रिया प्रगति पर थी।
20	नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	11.01	11.01	6.46	100	70	मेसर्स ए2जेड और मेसर्स एकार्ड हाइड्रो एयर (उप ठेकेदार) के मध्य विवाद होने के कारण कार्य बाधित था।
21	नगर पालिका परिषद, सम्भल	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	6.55	6.55	3.22	75	65	नगरीय स्थानीय निकाय को सम्पर्क मार्ग बनाना था। मेसर्स ए2जेड और मेसर्स एकार्ड हाइड्रो एयर (उप ठेकेदार) के मध्य विवाद होने के कारण कार्य बाधित था।
22	नगर निगम, वाराणसी	यू.आई. एण्ड जी.	48.68	40.16	35.15	600	80	कन्शेसनर मेसर्स ए2जेड की चूक के कारण नगर निगम ने कन्शेसन अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया जिसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया था।
23	नगर निगम, गोरखपुर	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	15.63	7.82	2.83	280	3	कन्शेसनर मेसर्स गोरखपुर वेस्ट प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका था। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जा चुका था।

24	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	12.2	6.1	1.34	80	20	मेसर्स ए2जेड और मेसर्स एकार्ड हाइड्रो एयर (उप ठेकेदार) के मध्य विवाद होने के कारण कार्य बाधित था।
25	नगर निगम, मेरठ	यू.आई. एण्ड जी.	22.59	16.95	10.97	600	18	कन्वेंशनर मेसर्स ए2जेड ने कन्वेंशन अनुबंध समाप्त कर दिया था। परिणामस्वरूप कन्वेंशनर की चूक के कारण नगर निगम ने भी कन्वेंशन अनुबंध समाप्त कर दिया था।
26	नगर पालिका परिषद, पिलखुआ	सेटलाइट टाउन कार्यक्रम	8.98	4.49	4.44	45	28	निर्माणाधीन। भारत सरकार द्वारा तीसरी किश्त ₹ 179.54 लाख 2 मार्च 2016 को अवमुक्त किया जा चुका था।
<b>अप्रारम्भ</b>								
27	नगर पालिका परिषद, बस्ती	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	5.86	2.93	0.49	40	5	भूमि जलभराव वाली थी और प्रथम दृष्टया ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं थी।
28	नगर पालिका परिषद, भदोही	राज्य सेक्टर	17.35	6.90	0	70		भूमि विवाद होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा बाउन्ड्रीवाल का कार्य बाधित कर दिया था।
29	नगर निगम, फिरोजाबाद	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	7.14	3.57	1.53	130	15	जनवरी 2016 में राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक भूमि क़य की अनुमति प्रदान की गयी। परियोजना वर्ष 2016-17 में पूर्ण होना संभावित है।
30	नगर पालिका परिषद, लोनी	यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी.	11.81	5.91	1.21	120	10	कृषकों के विरोध के कारण भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सका। संग्रहण और परिवहन उपकरण क़य किये जा चुके थे।
31	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	राज्य सेक्टर	17.27	6.90	0	60		मूल भूमि संरक्षित वन के समीप होने के कारण उपयुक्त नहीं थी। वैकल्पिक भूमि चिन्हित की जा रही थी।
32	नगर पालिका परिषद, रामपुर	अनुपलब्ध	23.69	0	0	150		राज्य सेक्टर के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृत थी, लेकिन माननीय उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अवशिष्ट से उर्जा की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप परियोजना स्वीकृत किया गया। अगस्त 2015 में कार्य सौंपने का पत्र निर्गत किया गया।
<b>योग</b>			<b>505.30</b>	<b>410.81</b>	<b>327.39</b>			

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

## परिशिष्ट 2.3

मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को सौंपी गयी परियोजनाओं का विवरण (मार्च 2016)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 2.7.2; पृष्ठ 22)

क्र० सं०	नगरीय स्थानीय निकायों का नाम	योजना का नाम	व्यय (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
<b>प्रारम्भ नहीं हुई परियोजनायें (4)</b>				
1	नगर निगम, फिरोजाबाद	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	1.53	भूमि विवाद।
2	नगर पालिका परिषद, लोनी	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	1.21	कृषकों द्वारा विरोध के कारण भूमि पर कब्जा नहीं लिया जा सका।
3	नगर पालिका परिषद, बस्ती	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0.49	भूमि जलभराव वाली थी और प्रथम दृष्टया टोस अवशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं थी।
4	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	1.34	मेसर्स ए2जेड और मेसर्स एकार्ड हाइड्रो एयर (उप ठेकेदार) के मध्य विवाद होने के कारण कार्य बाधित था।
<b>कुल व्यय</b>			<b>4.57</b>	
<b>प्रोजेक्ट जो सबलेट एवं पूर्ण हुई (3)</b>				
1	नगर निगम, कानपुर	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	56.02	कन्शेसनर द्वारा लगभग तीन वर्षों तक संयंत्र परिचालित करने के उपरान्त फरवरी 2014 से परिचालन बन्द कर दिया गया।
2	नगर निगम, मुरादाबाद	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	12.24	परियोजना पूर्ण थी लेकिन कन्शेसनर ने संयंत्र परिचालन बन्द कर दिया था।
3	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	09.38	परियोजना पूर्ण थी लेकिन कन्शेसनर ने 12 से 18 माहों तक संयंत्र परिचालित करने के उपरान्त परिचालन बन्द कर दिया।
<b>कुल व्यय</b>			<b>77.64</b>	
<b>प्रोजेक्ट जो सबलेट हुईं लेकिन अपूर्ण थीं (6)</b>				
1	नगर पालिका परिषद, बदायूँ	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	4.51	सबलेट। कन्शेसनर मेसर्स ए2जेड द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका था।
2	नगर पालिका परिषद, बलिया	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	4.10	सबलेट। कन्शेसनर मेसर्स ए2जेड द्वारा निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका था।
3	नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	6.46	सबलेट। कन्शेसनर और उप ठेकेदार के मध्य विवाद होने के कारण कार्य बाधित था।
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	3.22	सबलेट। कन्शेसनर और उप ठेकेदार के मध्य विवाद होने के कारण कार्य बाधित था।
5	नगर निगम, अलीगढ़	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	14.17	परियोजना जुलाई 2012 में पूर्ण हो गयी। कन्शेसनर द्वारा परिचालन बन्द किया जा चुका था।
6	नगर निगम, वाराणसी	यू.आई. एण्ड जी.	35.15	नगर निगम ने कन्शेसन अनुबन्ध समाप्त कर दिया।
<b>कुल व्यय</b>			<b>67.61</b>	
<b>कन्शेसनेयर द्वारा पूर्ण की गयीं लेकिन परिचालित नहीं थीं (1)</b>				
1	नगर निगम, मेरठ	यू.आई. एण्ड जी.	10.97	मेसर्स ए2जेड ने कन्शेसन अनुबन्ध समाप्त कर दिया।
<b>अपूर्ण एवं परित्यक्त परियोजनाओं पर कुल व्यय 156.22</b>				
<b>कन्शेसनेयर द्वारा पूर्ण की गयीं और परिचालित थीं (1)</b>				
1	नगर पालिका परिषद, मुजफ्फर नगर	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	5.80	परियोजना पूर्ण थी और परिचालित थी।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

## परिशिष्ट 2.4

### नगर निगम, कानपुर में प्रसंस्करण संयंत्र पर गैर प्रबंधित कचरे की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर सं०. 2.8.5.3; पृष्ठ 34)

(हजार मी० टन में)

वर्ष	जनित कचरों की मात्रा	संग्रहीत कचरों की मात्रा	असंग्रहीत कचरों की मात्रा (कॉलम 2- कॉलम 3)	प्रसंस्कृत कचरों की मात्रा	गैर प्रबंधित कचरों की मात्रा	
					संयंत्र स्थल पर (कॉलम 3 - कॉलम 5)	योग (कॉलम 4+ कॉलम 6)
1	2	3	4	5	6	7
2010-11 (10/2010 से)	282.10	155.73	126.37	161.03	(-)5.30 <sup>1</sup>	121.07
2011-12	565.75	425.11	140.64	254.66	170.45	311.09
2012-13	565.75	331.24	234.51	276.22	55.02	289.53
2013-14	565.75	320.41	245.34	114.90	205.51	450.85
2014-15	565.75	498.40	67.35	-	498.40	565.75
2015-16	565.75	489.60	76.15	-	489.60	565.75
<b>योग</b>	<b>3,110.85</b>	<b>2,220.49</b>	<b>890.36</b>	<b>806.81</b>	<b>1,413.68</b>	<b>2,304.04</b>

(स्रोत: नगर निगम, कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

## परिशिष्ट 2.5

### दण्ड का अनारोपण

(संदर्भ: प्रस्तर सं०. 2.8.6.4; पृष्ठ 39)

अवधि (दिनों में)	अवधि में ए.आई. डब्ल्यू. की वांछित आपूर्ति (मी०टन में)	वास्तव में आपूर्ति कचरा (मी०टन में)	कम आपूर्ति किये गये कचरे की मात्रा (मी०टन में) (कॉलम 2- 3)	परिवहन की दर प्रति मी० टन	दण्ड की धनराशि (टिपिंग शुल्क की भुगतान योग्य धनराशि का 50 प्रतिशत) (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
मई 2012 से अप्रैल 2013 365 दिन	4,38,000	2,66,642.63	1,71,357.38	456	390.69
मई 2013 से अप्रैल 2014 365 दिन	4,38,000	2,24,403.18	2,13,596.82	456	487.00
मई 2014 से जनवरी 2015 306 दिन	3,67,200	1,11,794.57	2,55,405.43	456	582.32
<b>योग</b>	<b>12,43,200</b>	<b>6,02,840.38</b>	<b>6,40,359.63</b>		<b>1,460.01</b>

(स्रोत: नगर निगम, कानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

<sup>1</sup> प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के प्रारम्भ (अक्टूबर 2010) से पूर्व संयंत्र स्थल पर एकत्र कचरा।

## परिशिष्ट 2.6

### प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.9.3; पृष्ठ 42)

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के प्रस्तर सं.	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 की अनुसूची-3 में लैण्डफिल साइट की विशेषतायें
19 एवं 20	कूड़े को शीघ्र अथवा प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में न्यूनतम 10 सेमी0 मिट्टी से ढका जायेगा और मानसून के पहले लैण्डफिल को 40-65 सेमी0 मोटी मिट्टी मध्यवर्ती परत से ढका जायेगा और ढलाव के बहाव को रोका जायेगा।
22	लीचेट की न्यूनतम उत्पादकता के लिए नाले के पानी के बहाव को प्रत्यावर्तित करना, सतही पानी को प्रदूषण से बचाना और धँसान की स्थिति को रोकने के लिए गैरपारगम्य परत प्रणाली का निर्माण और एक लीचेट संग्रहण प्रणाली बनाया जायेगा।
23	लैण्डफिल निर्माण के पूर्व उस क्षेत्र के भूमिगत जल की गुणवत्ता के लिए एक आधारभूत आंकड़ों का संग्रहण किया जायेगा और भविष्य के संदर्भ के लिए अभिलेख में रखा जायेगा। लैण्डफिल साइट के 50 मीटर की परिधि में भूमिगत जल की गुणवत्ता का आवधिक अनुश्रवण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि भूमिगत जल एक स्वीकार्य सीमा से अधिक दूषित न हो, इसको वर्ष के विभिन्न मौसमों यथा-गर्मी, बरसात और बरसात के बाद की अवधि में भी ढका जायेगा।
25 एवं 26	लैण्डफिल साइट में लैण्डफिल गैस का संग्रहण सुविधा का व्यवहार्यता के अनुसार सीधे थर्मल में अथवा विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग किया जायेगा। अन्यथा लैण्डफिल गैस जला दी जायेगी और वातावरण में सीधे छोड़ने अथवा विधि विरुद्ध दोहन की अनुमति नहीं होगी। लैण्डफिल साइट पर व्यापक हवा की गुणवत्ता और आस पास का अनुश्रवण किया जायेगा।

(स्रोत: नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली)

## परिशिष्ट 2.7

### नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली 2000 में खाद की गुणवत्ता के लिए उल्लिखित विशिष्टियाँ

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.9.5; पृष्ठ 43)

क्र० सं०	विशेषतायें	सान्द्रता अधिक नहीं (मि०ग्रा०/कि०ग्रा० सूखे आधार पर, केवल पी०एच० मूल्य और सी०एन० अनुपात)
1	आर्सेनिक	10.00
2	कैडमियम	5.00
3	क्रोमियम	50.00
4	कॉपर	300.00
5	लेड	100.00
6	मरकरी	0.15
7	निकिल	50.00
8	जिंक	1000.00
9	सी०/एन० अनुपात	20-40
10	पी०एच०	5.5 - 8.5

(स्रोत: नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली)





### परिशिष्ट 3.1.1

चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची  
(08 जनपद, 2 नगर निगम, 10 नगर पालिका परिषद, 11 नगर पंचायत)  
(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.1; पृष्ठ 45)

जनपद	नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
झांसी	झांसी	बरूआ सागर	मोट, रानीपुर
सन्त कबीर नगर		खलीलाबाद	हरिहरपुर
हमीरपुर		हमीरपुर	कुरारा
बिजनौर		बिजनौर, नजीबाबाद, नगीना	झालू, सहनपुर
मुरादाबाद	मुरादाबाद	बिलारी	उमरीकलाँ
प्रतापगढ़		प्रतापगढ़	पटटी, प्रतापगढ़ सिटी
गाजीपुर		गाजीपुर	सैदपुर
सम्भल		सम्भल	नरौली

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

### परिशिष्ट 3.1.2

लाइसेन्स शुल्क के 39 मदों की सूची  
(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या 3.1.3.1 एवं 3.1.4.2; पृष्ठ 46 एवं 51)

क्र० सं०	मद का नाम	क्र० सं०	मद का नाम
1.	होटल, लाजिंग, गेस्ट हाउस तथा बारात घर	21.	ठेला ठेली
2.	तीन सितारा होटल	22.	हाथ ठेला
3.	पांच सितारा होटल	23.	बैलगाड़ी/भैसागाड़ी
4.	नर्सिंग होम 20 शैय्या तक	24.	ट्राली
5.	नर्सिंग होम 20 शैय्या से ऊपर	25.	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड
6.	प्रसूति गृह 20 शैय्या तक	26.	बिमा कम्पनी, प्रति शाखा
7.	प्रसूति गृह 20 शैय्या से ऊपर	27.	पशुवध शाला
8.	प्राइवेट अस्पताल	28.	हड्डी खाल गोदाम
9.	पैथोलोजी सेन्टर	29.	बार/बीयर
10.	एक्सरे क्लीनिक	30.	आइस फैक्ट्री
11.	डेन्टल क्लीनिक	31.	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)
12.	प्राइवेट क्लीनिक	32.	देशी शराब (प्रति दुकान)
13.	आटो रिक्शा दो सीटर	33.	विदेशी शराब (प्रति दुकान)
14.	आटो रिक्शा सात सीटर	34.	भैंसा मांस की दुकान
15.	आटो रिक्शा चार सीटर	35.	बकरा मांस की दुकान
16.	मिनी बस	36.	मांस प्रति पशु
17.	बस	37.	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना
18.	तांगा	38.	छोटे जानवरों की प्रतिदिन खुराकी
19.	रिक्शा किराये पर	39.	बड़े जानवरों की प्रतिदिन खुराकी
20.	रिक्शा निजी		

(स्रोत: शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 1997)

### परिशिष्ट 3.1.3

#### नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.2; पृष्ठ 46)

(₹ लाख में)

2011-12							
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ			शासकीय अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष निजी निधियों का प्रतिशत
		कर	करेक्टर	योग			
1	नगर निगम, मुरादाबाद	1,621.45	731.64	2,353.09	6,650.85	9,003.94	26.13
2	नगर निगम, झांसी	869.55	255.05	1,124.60	3,748.10	4,872.70	23.08
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	171.88	114.68	286.56	787.04	1,073.6	26.69
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	143.60	16.06	159.66	1,455.21	1,614.87	9.89
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	27.68	11.46	39.14	263.80	273.53	14.31
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	177.27	100.98	278.25	588.10	866.35	32.12
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	161.81	29.05	190.86	593.64	784.50	24.33
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	111.51	52.66	164.17	719.58	883.75	18.58
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	49.63	91.78	141.41	209.44	350.85	40.30
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	14.81	27.41	42.22	357.41	399.63	10.56
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	85.97	98.84	184.81	935.81	1,120.62	16.49
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	111.36	61.77	173.13	553.13	726.26	23.84
13	नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी	6.67	5.50	12.17	140.34	152.51	7.98
14	नगर पंचायत, पट्टी	13.23	0.98	14.21	80.88	95.09	14.94
15	नगर पंचायत, नरौली	5.44	6.93	12.37	160.08	172.45	7.17
16	नगर पंचायत, उमरीकला	0.92	3.79	4.71	151.78	156.49	3.01
17	नगर पंचायत, झालू	5.54	8.86	14.40	183.92	198.32	7.26
18	नगर पंचायत, सहनपुर	9.43	10.88	20.31	153.64	173.95	11.68
19	नगर पंचायत, मोठ	4.55	17.23	21.78	187.46	209.24	10.41
20	नगर पंचायत, रानीपुर	2.34	4.58	6.92	200.27	207.19	3.34
21	नगर पंचायत, कुरारा	2.87	29.15	32.02	231.48	263.50	12.15
22	नगर पंचायत, सैदपुर	9.13	30.32	39.45	209.83	249.28	15.83
23	नगर पंचायत, हरिहरपुर	0.18	7.32	7.50	104.75	112.25	6.68
	<b>योग</b>	<b>3,606.82</b>	<b>1,716.92</b>	<b>5,323.74</b>	<b>18,637.13</b>	<b>23,960.87</b>	<b>22.22</b>
2012-13							
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ			शासकीय अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष निजी निधियों का प्रतिशत
		कर	करेक्टर	योग			
1	नगर निगम, मुरादाबाद	1,620.14	346.31	1,966.45	7,995.08	9,961.53	19.74
2	नगर निगम, झांसी	824.62	238.06	1,062.68	5,056.32	6,128.00	17.34
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	120.29	36.14	156.43	1,014.65	1,171.08	13.36

4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	195.64	19.28	214.92	3,261.39	3,476.31	6.18
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	67.70	17.04	84.74	352.19	436.93	19.39
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	199.22	85.46	284.68	765.77	1,050.45	27.10
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	195.19	40.85	236.04	731.28	967.32	24.40
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	140.13	41.25	181.38	874.67	1,056.05	17.18
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	4.28	78.26	82.54	277.29	359.83	22.94
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	24.85	19.77	44.62	450.36	494.98	9.01
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	116.50	95.61	212.11	1,634.36	1,846.47	11.49
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	108.01	44.44	152.45	697.17	849.62	17.94
13	नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी	0.89	15.42	16.31	181.90	198.21	8.23
14	नगर पंचायत, पट्टी	7.32	1.51	8.83	108.11	116.94	7.55
15	नगर पंचायत, नरौली	4.45	41.41	45.86	270.68	316.54	14.49
16	नगर पंचायत, उमरीकला	10.25	15.43	25.68	170.65	196.33	13.08
17	नगर पंचायत, झालू	7.10	8.83	15.93	205.32	221.25	7.20
18	नगर पंचायत, सहनपुर	11.14	9.98	21.12	238.09	259.21	8.15
19	नगर पंचायत, मोंठ	7.66	1.12	8.78	218.68	227.46	3.86
20	नगर पंचायत, रानीपुर	2.46	7.67	10.13	269.01	279.14	3.63
21	नगर पंचायत, कुरारा	11.23	27.58	38.81	212.97	251.78	15.41
22	नगर पंचायत, सैदपुर	8.17	33.33	41.50	291.29	332.79	12.47
23	नगर पंचायत, हरिहरपुर	0.79	4.44	5.23	595.43	600.66	0.87
<b>योग</b>		<b>3,688.03</b>	<b>1,229.19</b>	<b>4,917.22</b>	<b>25,872.66</b>	<b>30,789.88</b>	<b>15.97</b>

**2013-14**

क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ			शासकीय अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष निजी निधियों का प्रतिशत
		कर	करेत्तर	योग			
1	नगर निगम, मुरादाबाद	2,683.95	2,180.58	4,864.53	12,318.58	17,183.11	28.31
2	नगर निगम, झांसी	1,090.31	321.45	1,411.76	8,149.11	9,560.87	14.77
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	170.88	39.15	210.03	1,940.65	2,150.68	9.77
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	103.80	43.81	147.61	3,017.33	3,164.94	4.66
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	80.16	100.95	181.11	565.82	746.93	24.25
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	286.68	284.52	571.20	1,344.67	1,915.87	29.81
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	201.92	33.04	234.96	1,190.28	1,425.24	16.49
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	123.68	211.42	335.10	1,510.97	1,846.07	18.15
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	79.15	141.71	220.86	552.32	773.18	28.57
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	12.93	81.06	93.99	795.74	889.73	10.56
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	250.55	68.58	319.13	1,995.78	2,314.91	13.79
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	147.49	74.27	221.76	1,272.10	1,493.86	14.84

13	नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी	7.53	24.44	31.97	314.35	346.32	9.23
14	नगर पंचायत, पट्टी	8.86	0.44	9.30	169.70	179	5.20
15	नगर पंचायत, नरौली	4.67	14.68	19.35	352.24	371.59	5.21
16	नगर पंचायत, उमरीकला	10.17	21.94	32.64	476.44	509.08	6.31
17	नगर पंचायत, झालू	12.72	9.19	21.91	768.72	790.63	2.77
18	नगर पंचायत, सहनपुर	12.77	10.59	23.36	735.57	758.93	3.08
19	नगर पंचायत, मोंठ	16.5	0.91	17.41	323.94	341.35	5.10
20	नगर पंचायत, रानीपुर	3.52	9.74	13.26	448.65	461.91	2.87
21	नगर पंचायत, कुरारा	4.20	43.43	47.63	372.78	420.41	11.33
22	नगर पंचायत, सैदपुर	14.88	30.93	45.81	801.77	847.58	5.40
23	नगर पंचायत, हरिहरपुर	0.32	12.75	13.07	1,085.18	1,098.25	1.19
<b>योग</b>		<b>5,327.64</b>	<b>3,759.58</b>	<b>9,087.22</b>	<b>40,502.69</b>	<b>49,589.91</b>	<b>18.32</b>

**2014-15**

क्रम सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	निजी स्रोतों से प्राप्तियां			शासकीय अनुदान	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष निजी निधियों का प्रतिशत
		कर	करेक्टर	योग			
1	नगर निगम, मुरादाबाद	2,797.83	455.19	3,253.02	12,022.96	15,275.98	21.30
2	नगर निगम, झांसी	1,248.60	401.34	1,649.94	8,069.64	9,719.58	16.98
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	106.75	38.51	145.26	1,753.55	1,898.81	7.65
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	251.61	113.47	365.08	3,129.34	3,494.42	10.45
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	103.75	35.62	139.37	768.62	907.99	15.35
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	66.93	325.59	392.52	1,893.30	2,285.82	17.17
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	180.38	48.81	229.19	2,201.60	2,430.79	9.43
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	119.99	84.69	204.68	1,690.24	1,894.92	10.80
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	30.71	78.85	109.56	638.64	748.2	14.64
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	25.85	46.83	72.68	757.49	830.17	8.75
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	54.80	51.19	105.99	2,051.99	2,157.98	4.91
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	354.54	77.39	431.93	2,768.45	3,200.38	13.50
13	नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी	9.21	3.24	12.45	279.99	292.44	4.26
14	नगर पंचायत, पट्टी	1.26	3.31	4.57	136.25	140.82	3.25
15	नगर पंचायत, नरौली	4.40	14.44	18.84	346.86	365.70	5.15
16	नगर पंचायत, उमरीकला	10.01	32.61	42.62	500.26	542.88	7.85
17	नगर पंचायत, झालू	11.19	9.93	21.12	1,260.65	1,281.77	1.65
18	नगर पंचायत, सहनपुर	17.53	11.47	29.0	938.49	967.49	3.00
19	नगर पंचायत, मोंठ	15.72	1.24	16.96	384.70	401.66	4.22
20	नगर पंचायत, रानीपुर	3.29	7.03	10.32	459.87	470.19	2.19
21	नगर पंचायत, कुरारा	2.58	31.01	33.59	423.26	456.85	7.35
22	नगर पंचायत, सैदपुर	2.67	51.39	54.06	731.48	785.54	6.88
23	नगर पंचायत, हरिहरपुर	0.02	17.35	17.37	2,411.25	2,428.62	0.72
<b>योग</b>		<b>5,419.62</b>	<b>1,940.5</b>	<b>7,360.12</b>	<b>45,618.88</b>	<b>52,979.00</b>	<b>13.89</b>

2015-16							
क्रम सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ			शासकीय अनुदान	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के सापेक्ष निजी निधियों का प्रतिशत
		कर	करेक्टर	योग			
1	नगर निगम, मुरादाबाद	2,673.24	716.75	3,389.99	12,556.09	15,946.08	21.26
2	नगर निगम, झांसी	1,837.69	817.14	2,654.83	14,412.96	17,067.79	15.55
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	241.63	52.52	294.15	1,710.59	2,004.74	14.67
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	220.62	112.36	332.98	2,961.42	3,294.4	10.11
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	128.21	57.37	185.58	1,072.86	1,258.44	14.75
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	269.48	319.10	588.58	2,293.23	2,881.81	20.42
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	237.92	123.58	361.50	3,301.45	3,662.95	9.87
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	163.96	57.44	221.39	2,088.81	2,310.21	9.58
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	21.74	82.97	104.71	910.66	1,015.37	10.31
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	20.50	101.73	122.23	618.03	740.26	16.51
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	94.83	68.14	162.97	1,745.25	1,908.22	8.54
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	87.07	95.57	182.64	3,456.33	3,638.97	5.02
13	नगर पंचायत, प्रतापगढ़ सिटी	12.35	6.78	19.13	393.98	413.11	4.63
14	नगर पंचायत, पट्टी	18.36	5.11	23.47	279.32	302.79	7.75
15	नगर पंचायत, नरौली	5.96	4.03	9.99	287.37	297.36	3.36
16	नगर पंचायत, उमरीकला	2.04	11.21	13.25	376.22	389.47	3.40
17	नगर पंचायत, झालू	14.61	25.37	39.98	814.06	854.04	4.68
18	नगर पंचायत, सहनपुर	15.99	16.48	32.47	567.04	599.51	5.42
19	नगर पंचायत, मोंठ	9.71	7.03	16.74	257.97	274.71	6.09
20	नगर पंचायत, रानीपुर	1.95	10.13	12.08	406.63	418.71	2.89
21	नगर पंचायत, कुरारा	4.00	38.27	42.27	355.49	397.76	10.63
22	नगर पंचायत, सैदपुर	9.96	50.94	60.90	646.46	707.36	8.61
23	नगर पंचायत, हरिहरपुर	1.11	4.27	5.38	1,627.27	1,632.65	0.33
	<b>योग</b>	<b>6,092.93</b>	<b>2,784.29</b>	<b>8,877.22</b>	<b>53,139.49</b>	<b>62,016.71</b>	<b>14.31</b>

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों से एकत्रित सूचना)

### परिशिष्ट 3.1.4

नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में बजट प्रावधान के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.3.3; पृष्ठ 47)

(₹ लाख में)

2011-12				
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	कमी / आधिक्य
1	नगर निगम, मुरादाबाद	4,758.69	2,353.09	2,405.60
2	नगर निगम, झांसी	2,315.41	1,124.6	1,190.81
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	198.50	159.67	38.83
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	54.98	39.14	15.84
5	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	293.27	278.25	15.02
6	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	287.25	164.17	123.08
7	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	157.16	141.41	15.75
8	नगर पंचायत, नरौली	17.99	12.37	5.62
9	नगर पंचायत, झालू	17.20	14.40	2.80
10	नगर पंचायत, सहनपुर	24.66	20.34	4.32
11	नगर पंचायत, मोठ	29.22	21.78	7.44
<b>योग</b>		<b>8,154.33</b>	<b>4,329.22</b>	<b>3,825.11</b>
2012-13				
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	कमी / आधिक्य
1	नगर निगम, मुरादाबाद	3,423.10	1,966.45	1,456.65
2	नगर निगम, झांसी	2,614.70	1,062.68	1,552.02
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	287.80	156.43	131.37
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	217.80	214.92	2.88
5	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	355.49	284.68	70.81
6	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	312.25	181.38	130.87
7	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	135.46	82.54	52.92
8	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	176.85	152.45	24.40
9	नगर पंचायत, झालू	17.20	15.93	1.27
10	नगर पंचायत, सहनपुर	31.99	21.12	10.87
11	नगर पंचायत, मोठ	28.26	8.78	19.48
12	नगर पंचायत, सैदपुर	131.20	41.50	89.70
<b>योग</b>		<b>7,732.1</b>	<b>4,188.86</b>	<b>3,543.24</b>
2013-14				
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	कमी / आधिक्य
1	नगर निगम, झांसी	3,544.10	1,411.76	2,132.34
2	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	287.52	210.02	77.50
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	302.25	147.62	154.63
4	नगर पालिका परिषद, नगीना	242.65	234.96	7.69

5	नगर पंचायत, नरौली	27.00	19.35	7.65
6	नगर पंचायत, झालू	23.80	21.91	1.89
7	नगर पंचायत, सहनपुर	46.40	23.36	23.04
8	नगर पंचायत, सैदपुर	83.70	45.81	37.89
<b>योग</b>		<b>4,557.42</b>	<b>2,114.79</b>	<b>2,442.63</b>
<b>2014-15</b>				
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	कमी / आधिक्य
1	नगर निगम, मुरादाबाद	4,790.26	3,253.02	1,537.24
2	नगर निगम, झांसी	3,844.70	1,649.94	2,194.76
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	300.02	145.26	154.76
4	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	625.35	392.56	232.79
5	नगर पालिका परिषद, नगीना	287.24	229.19	58.05
6	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	364.50	204.68	159.82
7	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	134.01	109.56	24.45
8	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	186.28	105.99	80.29
9	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	946.00	431.93	514.07
10	नगर पंचायत, नरौली	31.38	18.83	12.55
11	नगर पंचायत, झालू	41.51	21.12	20.39
12	नगर पंचायत, सहनपुर	48.45	29.0	19.45
13	नगर पंचायत, कुरारा	55.64	33.59	22.05
14	नगर पंचायत, सैदपुर	78.85	54.06	24.79
<b>योग</b>		<b>11,734.19</b>	<b>6,678.73</b>	<b>5,055.46</b>
<b>2015-16</b>				
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति	कमी / आधिक्य
1	नगर निगम, मुरादाबाद	5,190.93	3,389.99	1,800.94
2	नगर निगम, झांसी	3,866.05	2,654.83	1,211.22
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	339.49	294.15	45.34
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	390.91	332.98	57.93
5	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	1,087.92	588.58	499.34
6	नगर पालिका परिषद, नगीना	364.08	361.50	2.58
7	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	380.00	221.41	158.59
8	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	137.60	104.71	32.89
9	नगर पंचायत, नरौली	36.20	9.99	26.21
10	नगर पंचायत, झालू	46.01	39.98	6.03
11	नगर पंचायत, सहनपुर	50.85	32.47	18.38
12	नगर पंचायत, कुरारा	56.74	42.27	14.47
13	नगर पंचायत, सैदपुर	82.05	60.90	21.15
<b>योग</b>		<b>12,028.83</b>	<b>8,133.76</b>	<b>3,895.07</b>

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों से एकत्रित सूचना)



### परिशिष्ट 3.1.5

#### शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्तियों की वार्षिक किराया मूल्य में कमी किये जाने से राजस्व हानि

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	प्रकरणों की संख्या	पुराना वार्षिक किराया मूल्य	पुनरीक्षित वार्षिक किराया मूल्य	सीमित वार्षिक किराया मूल्य	सम्पत्ति कर की हानि
1	नगर निगम, मुरादाबाद	02	130.21	81.22	48.99	6.82
2	नगर निगम, झांसी	20	235.39	51.00	184.39	18.44
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	25 वार्ड	349.00	95.44	253.56	43.10
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	128	459.00	97.11	361.89	57.92
5	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	03	24.43	5.75	18.68	3.55
6	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	5/725	17.88	9.80	8.08	0.65
7	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, (सन्त कबीर नगर)	5/1251	46.15	9.61	36.54	3.96
8	नगर पंचायत, पट्टी	4/628	16.14	4.34	11.80	0.61
9	नगर पंचायत, कुरारा	11/1843	4.97	3.49	1.48	0.14
योग			1,283.17	357.76	925.41	135.19

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के कर निर्धारण पंजिका)

### परिशिष्ट 3.1.6

#### जल मूल्य के अन्तर्गत राजस्व की हानि

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.2; पृष्ठ 51)

2011-12							
क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जल संयोजनों की संख्या	शासन द्वारा प्रति जल संयोजन प्रति माह निर्धारित जल मूल्य की दर	प्रति वर्ष वसूली हेतु अपेक्षित जल मूल्य की राशि (₹)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही प्रति संयोजन मासिक जल मूल्य की दर (₹)	मांग की गई जल मूल्य की राशि प्रति वर्ष (₹)	कम दर लागू किये जाने से राजस्व की हानि (₹)
1	नगर निगम, मुरादाबाद	59,460	75	5,35,14,000	30	2,14,05,600	3,21,08,400
2	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	8,971	50	53,82,600	शून्य	0	53,82,600
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	6,749	50	40,49,400	15	12,14,820	28,34,580
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	3,000	50	18,00,000	17	6,12,000	11,88,000
5	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	453	50	2,71,800	30	1,63,080	1,08,720
6	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, (सन्त कबीर नगर)	1,262	50	7,57,200	17	2,57,448	4,99,752
7	नगर पंचायत, नरौली	1,001	30	3,60,360	12	1,44,144	2,16,216
8	नगर पंचायत, उमरीकला	803	30	2,89,080	20	1,92,720	96,360
9	नगर पंचायत, झालू	1,521	30	5,47,560	21	3,83,292	1,64,268
10	नगर पंचायत, सहनपुर	2,084	30	7,50,240	25	6,25,200	1,25,040
11	नगर पंचायत, हरिहरपुर	123	30	44,280	20	29,520	14,760
<b>योग</b>				<b>6,77,66,520</b>		<b>2,50,27,824</b>	<b>4,27,38,696</b>
2012-13							
क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जल संयोजनों की संख्या	शासन द्वारा प्रति जल संयोजन प्रति माह निर्धारित जल मूल्य की दर	प्रति वर्ष वसूली हेतु अपेक्षित जल मूल्य की राशि (₹)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही प्रति संयोजन मासिक जल मूल्य की दर (₹)	मांग की गई जल मूल्य की राशि प्रति वर्ष (₹)	कम दर लागू किये जाने से राजस्व की हानि (₹)
1	नगर निगम, मुरादाबाद	59,886	75	5,38,97,400	30	2,15,58,960	3,23,38,440
2	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	9,077	50	54,46,200	शून्य	0	54,46,200
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	6,759	50	40,55,400	15	1,21,66,20	28,38,780
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	3,197	50	19,18,200	17	6,52,188	12,66,012

5	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	488	50	2,92,800	30	1,75,680	1,17,120
6	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, (सन्त कबीर नगर)	1,302	50	7,81,200	25	3,90,600	3,90,600
7	नगर पंचायत, नरौली	1,084	30	3,90,240	12	1,56,096	2,34,144
8	नगर पंचायत, झालू	1,564	30	5,63,040	21	3,94,128	1,68,912
9	नगर पंचायत, सहनपुर	2,181	30	7,85,160	25	6,54,300	1,30,860
10	नगर पंचायत, हरिहरपुर	126	30	4,53,600	20	30,240	15,120
<b>योग</b>				<b>6,81,75,000</b>		<b>2,52,28,812</b>	<b>4,29,46,188</b>

**2013-14**

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जल संयोजनों की संख्या	शासन द्वारा प्रति जल संयोजन प्रति माह निर्धारित जल मूल्य की दर	प्रति वर्ष वसूली हेतु अपेक्षित जल मूल्य की राशि (₹)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही प्रति संयोजन मासिक जल मूल्य की दर (₹)	मांग की गई जल मूल्य की राशि प्रति वर्ष (₹)	कम दर लागू किये जाने से राजस्व की हानि (₹)
1	नगर निगम, मुरादाबाद	59,383	75	5,34,44,700	30	2,13,77,880	3,20,66,820
2	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	9,159	50	54,95,400	शून्य	0	54,95,400
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	7,818	50	46,90,800	15	14,07,240	32,83,560
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	3,560	50	21,36,000	17	7,26,240	14,09,760
5	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, (सन्त कबीर नगर)	1,323	50	7,93,800	25	3,96,900	3,96,900
6	नगर पंचायत, नरौली	1,192	30	4,29,120	12	1,71,648	2,57,472
7	नगर पंचायत, झालू	1,625	30	5,85,000	21	4,09,500	1,75,500
8	नगर पंचायत, हरिहरपुर	126	30	45,360	20	30,240	15,120
<b>योग</b>				<b>6,76,20,180</b>		<b>2,45,19,648</b>	<b>4,31,00,532</b>

**2014-15**

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जल संयोजनों की संख्या	शासन द्वारा प्रति जल संयोजन प्रति माह निर्धारित जल मूल्य की दर	प्रति वर्ष वसूली हेतु अपेक्षित जल मूल्य की राशि (₹)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही प्रति संयोजन मासिक जल मूल्य की दर (₹)	मांग की गई जल मूल्य की राशि प्रति वर्ष (₹)	कम दर लागू किये जाने से राजस्व की हानि (₹)
1	नगर निगम, मुरादाबाद	60,357	75	5,43,21,300	30	2,17,28,520	3,25,92,780
2	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	9,342	50	56,05,200	शून्य	0	56,05,200
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	7,909	50	47,45,400	15	14,23,620	33,21,780
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	3,900	50	23,40,000	17	7,95,600	15,44,400

5	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, (सन्त कबीर नगर)	1,326	50	6,95,600	25(अगस्त 2014 तक)	5,29,850	1,65,750
6	नगर पंचायत, नरौली	1,270	30	4,57,200	12	1,82,880	2,74,320
7	नगर पंचायत, हरिहरपुर	131	30	47,160	20	31,440	15,720
<b>योग</b>				<b>6,82,11,860</b>		<b>2,46,91,910</b>	<b>4,35,19,950</b>
<b>2015-16</b>							
क्रम सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जल संयोजनों की संख्या	शासन द्वारा प्रति जल संयोजन प्रति माह निर्धारित जल मूल्य की दर	प्रति वर्ष वसूली हेतु अपेक्षित जल मूल्य की राशि (₹)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही प्रति संयोजन मासिक जल मूल्य की दर (₹)	मांग की गई जल मूल्य की राशि प्रति वर्ष (₹)	कम दर लागू किये जाने से राजस्व की हानि (₹)
1	नगर निगम, मुरादाबाद	61,789	75	5,56,10,100	30	2,22,44,040	3,33,66,060
2	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	9,437	50	56,62,200	शून्य	0	56,62,200
3	नगर पालिका परिषद, सम्भल	7,909	50	47,45,400	15 (सितम्बर तक)	30,84,510	16,60,890
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	4,562	50	27,37,200	17	9,30,648	18,06,552
5	नगर पंचायत, नरौली	1,313	30	4,72,680	12	1,89,072	2,83,608
6	नगर पंचायत, हरिहरपुर	136	30	48,960	20	32,640	16,320
<b>योग</b>				<b>6,92,76,540</b>		<b>2,64,80,910</b>	<b>4,27,95,630</b>

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी स्थानीय निकायों के जल मूल्य के अभिलेख)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2011-16 के दौरान जल मूल्य के हानि का सार			
वर्ष	एकत्र की जाने वाली जल मूल्य की राशि (₹)	मांग की गई जल मूल्य की धनराशि (₹)	कम दर लगाये जाने से राजस्व की हानि (₹)
2011-12	6.78	2.50	4.27
2012-13	6.82	2.52	4.29
2013-14	6.76	2.45	4.31
2014-15	6.82	2.47	4.35
2015-16	6.93	2.65	4.28
<b>योग</b>	<b>34.11</b>	<b>12.59</b>	<b>21.50</b>

### परिशिष्ट 3.1.7

#### (अ) नगर निगम, मुरादाबाद में शराब की दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क न लगाये जाने से राजस्व हानि

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.2; पृष्ठ 51)

वर्ष	शराब की दुकानों की श्रेणी	जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार दुकानों की संख्या	नगर निगम द्वारा निर्गत लाइसेन्सों की संख्या	दुकानों की संख्या जिनके लाइसेन्स नहीं निर्गत किये गये	प्रति दुकान लाइसेन्स शुल्क की दर प्रति वर्ष (₹)	राजस्व की हानि (₹)
2011-12	देशी	29	11	18	6,000	1,08,000
	विदेशी	31	13	18	12,000	2,16,000
	बीयर बार	31	14	17	6,000	1,02,000
2012-13	देशी	30	11	19	6,000	1,14,000
	विदेशी	33	13	20	12,000	2,40,000
	बीयर बार	31	16	15	6,000	90,000
2013-14	देशी	30	11	19	6,000	1,14,000
	विदेशी	33	13	20	12,000	2,40,000
	बीयर बार	33	16	17	6,000	1,02,000
2014-15	देशी	30	11	19	6,000	1,14,000
	विदेशी	33	13	20	12,000	2,40,000
	बीयर बार	33	16	17	6,000	1,02,000
2015-16	देशी	30	11	19	6,000	1,14,000
	विदेशी	33	13	20	12,000	2,40,000
	बीयर बार	33	16	17	6,000	1,02,000
<b>योग</b>						<b>22,38,000</b>

#### (ब) नगर निगम, झांसी में शराब की दुकानों पर लाइसेन्स शुल्क न लगाये जाने से राजस्व हानि

वर्ष	बीयर बार की दुकान			देशी शराब की दुकान			विदेशी शराब की दुकान		
	संख्या	दर	धनराशि	संख्या	दर	धनराशि	संख्या	दर	धनराशि
2011-12	25	₹ 6,000	1,50,000	54	₹ 6,000	3,24,000	23	₹ 12,000	2,76,000
2012-13	26	प्रति दुकान	1,56,000	59	प्रति दुकान	3,54,000	26	प्रति दुकान	3,12,000
2013-14	26		1,56,000	59		3,54,000	26		3,12,000
2014-15	26		1,56,000	59		3,54,000	26		3,12,000
2015-16	26		1,56,000	59		3,54,000	26		3,12,000
<b>योग</b>				<b>7,74,000</b>					<b>17,40,000</b>
<b>कुल हानि 7,74,000+17,40,000+15,24,000 = ₹ 40,38,000</b>									

(स्रोत: जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद और झांसी से एकत्रित सूचना और नगर निगम मुरादाबाद और झांसी के अभिलेख)

### परिशिष्ट 3.1.8

चिकित्सीय गतिविधियों पर लाइसेन्स शुल्क न लागू किये जाने से  
नगर निगम झांसी को राजस्व की हानि

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.2; पृष्ठ 52)

2014-15							
क्र० सं०	चिकित्सीय गतिविधियों की श्रेणी	लाइसेन्स शुल्क की दर प्रति वर्ष (₹)	वसूल की जाने वाली लाइसेन्स शुल्क की राशि		वास्तव में वसूल की गई लाइसेन्स शुल्क		वास्तविक हानि (₹)
			संख्या (मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार)	धनराशि (₹)	संख्या (नगर निगम के अनुसार)	धनराशि (₹)	
1	नर्सिंग होम 20 शैय्या से ऊपर	2,000	69	1,38,000	51	1,02,000	36,000
2	नर्सिंग होम 20 शैय्या तक	5,000	25	1,25,000	10	50,000	75,000
3	प्रसूति केन्द्र 20 शैय्या तक	4,000	4	16,000	-	-	16,000
4	प्राइवेट अस्पताल	5,000	82	4,10,000	-	-	4,10,000
5	पैथोलाजी केन्द्र	1,000	90	90,000	-	-	90,000
6	एक्सरे क्लीनिक	2,000	25	50,000	-	-	50,000
7	डेंटल क्लीनिक	2,000	64	1,28,000	-	-	1,28,000
8	प्राइवेट क्लीनिक	1,000	125	1,25,000	6	6,000	1,19,000
<b>योग</b>							<b>9,24,000</b>
2015-16							
क्र० सं०	चिकित्सीय गतिविधियों की श्रेणी	लाइसेन्स शुल्क की दर (₹)	वसूल की जाने वाली लाइसेन्स शुल्क की राशि		वास्तव में वसूल की गई लाइसेन्स शुल्क		वास्तविक हानि (₹)
			संख्या (मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार)	धनराशि (₹)	संख्या (नगर निगम के अनुसार)	धनराशि (₹)	
1	नर्सिंग होम 20 शैय्या से ऊपर	2,000	69	1,38,000	28	56,000	82,000
2	नर्सिंग होम 20 शैय्या तक	5,000	25	1,25,000	03	15,000	1,10,000
3	प्रसूति केन्द्र 20 शैय्या तक	4,000	4	16,000	-	-	16,000
4	प्राइवेट अस्पताल	5,000	85	4,25,000	-	-	4,25,000
5	पैथोलाजी केन्द्र	1,000	41	41,000	-	-	41,000
6	एक्सरे क्लीनिक	2,000	27	54,000	-	-	54,000
7	डेंटल क्लीनिक	2,000	60	1,20,000	-	-	1,20,000
8	नर्सिंग होम 20 शैय्या से ऊपर	1,000	215	2,15,000	5	5,000	2,10,000
<b>योग</b>							<b>10,58,000</b>

(स्रोत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी से प्राप्त सूचना एवं नगर निगम झांसी के अभिलेख)

### परिशिष्ट 3.1.9

## नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों में निजी स्रोतों की बकाया धनराशि

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.4; पृष्ठ 57)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	बकाया मांग	चालू मांग	कुल मांग	वसूली	बकाया
1	नगर निगम, मुरादाबाद	8,369.99	3,254.82	11,624.81	1,819.44	9,805.37
2	नगर निगम, झांसी	486.57	1,799.82	2,286.39	2,029.22	257.17
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	359.45	81.38	440.83	90.26	350.57
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	51.57	120.95	172.52	103.59	68.93*
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	14.38	21.00	35.38	11.8	23.6
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	45.49	76.12	121.61	5.66	115.95*
7	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	0.68	221.39	222.07	221.39	0.68
8	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	7.14	16.13	23.28	19.65	3.63
9	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	40.22	123.64	163.86	122.23	41.63
10	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	64.02	33.11	97.13	18.92	180.93#
11	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	1.13	26.37	27.50	19.43	8.07
12	नगर पंचायत, पट्टी	2.85	1.33	4.18	0.76	3.42
13	नगर पंचायत, नरौली	15.73	2.75	18.48	2.83	15.65
14	नगर पंचायत, उमरीकला	19.93	5.25	25.18	2.43	22.75
15	नगर पंचायत, झालू	19.79	16.05	35.84	12.8	23.04
16	नगर पंचायत, सहनपुर	25.34	20.32	45.66	25.76	19.9
17	नगर पंचायत, मोंठ	3.93	13.57	17.50	13.06	4.44*
18	नगर पंचायत, रानीपुर	4.38	12.81	17.19	12.08	5.11*
19	नगर पंचायत, कुरारा	2.98	2.19	5.17	2.98	2.19*
20	नगर पंचायत, सैदपुर	22.93	26.01	48.93	24.59	24.24
21	नगर पंचायत, हरिहरपुर	3.57	3.01	6.58	2.53	4.05*
<b>योग</b>						<b>10,981.32</b>

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों से एकत्र की गई सूचना)

# वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 को सम्मिलित करते हुये ₹102.72 लाख की राशि गृहकर एवं जलकर की बकाया है, तब से मांग एवं वसूली पंजिका नहीं बनायी गयी।

\*31.03.2015 को बकाया = ₹200.67 लाख

31.03.2016 को बकाया = ₹10780.62 लाख

## परिशिष्ट 3.1.10

### गृहकर और जलकर का बकाया

(सन्दर्भ: प्रस्तर संख्या 3.1.4.4; पृष्ठ 57)

(₹ लाख में)

2011-12							
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	गृहकर			जलकर		
		मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
1	नगर निगम, मुरादाबाद	3,517.65	578.64	2,939.04	2,831.64	328.10	2,503.54
2	नगर निगम, झांसी	848.98	404.93	444.05	शून्य	शून्य	शून्य
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	126.98	14.48	112.50	277.00	28.99	248.08
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	8.07	3.12	4.95	शून्य	शून्य	शून्य
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	43.24	35.46	7.74	56.12	52.60	10.62
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	45.43	41.04	4.93	82.27	80.77	1.50
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	11.75	11.67	0.8	27.98	27.57	0.41
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	6.04	3.19	2.85	शून्य	शून्य	शून्य
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	56.59	14.81	41.78	शून्य	शून्य	शून्य
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	36.21	14.99	21.23	69.60	29.89	39.71
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	5.05	4.08	0.97	शून्य	शून्य	शून्य
13	नगर पंचायत, पट्टी	3.17	1.09	2.08	शून्य	शून्य	शून्य
14	नगर पंचायत, नरौली	9.51	0.44	9.08	शून्य	शून्य	शून्य
15	नगर पंचायत, उमरीकला	9.10	9.20	8.18	शून्य	शून्य	शून्य
16	नगर पंचायत, झालू	4.66	3.34	1.32	शून्य	शून्य	शून्य
17	नगर पंचायत, सहनपुर	4.38	1.88	2.50	शून्य	शून्य	शून्य
18	नगर पंचायत, रानीपुर	8.19	2.34	5.85	शून्य	शून्य	शून्य
19	नगर पंचायत, कुरारा	3.22	1.16	2.26	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>		<b>4,748.22</b>	<b>1,145.86</b>	<b>3,612.11</b>	<b>3,344.61</b>	<b>547.92</b>	<b>2,803.86</b>
2012-13							
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	गृहकर			जलकर		
		मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
1	नगर निगम, मुरादाबाद	4,543.86	644.41	3,899.45	3,622.46	384.45	3,238.01
2	नगर निगम, झांसी	991.18	452.41	538.77	शून्य	शून्य	शून्य
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	132.98	27.60	105.38	266.39	51.29	215.10
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	80.31	33.59	46.72	33.65	27.02	6.63
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	6.21	3.12	3.09	शून्य	शून्य	शून्य
6	नगर पालिका परिषद,	49.84	45.24	4.60	66.13	56.12	10.01



	बिजनौर						
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	47.04	47.85	0.09	84.02	82.35	1.67
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	15.72	15.64	0.08	35.49	35.08	0.41
9	नगर पालिका परिषद, बरुआसागर	5.77	4.28	1.49	शून्य	शून्य	शून्य
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	61.76	24.85	36.91	शून्य	शून्य	शून्य
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	38.11	23.41	14.70	76.52	49.43	27.09
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	5.05	4.60	0.45	शून्य	शून्य	शून्य
13	नगर पंचायत, पट्टी	3.41	1.01	2.40	शून्य	शून्य	शून्य
14	नगर पंचायत, नरौली	9.84	1.75	8.09	शून्य	शून्य	शून्य
15	नगर पंचायत, उमरीकला	10.42	1.36	9.06	शून्य	शून्य	शून्य
16	नगर पंचायत, झालू	5.32	2.85	2.47	शून्य	शून्य	शून्य
17	नगर पंचायत, सहनपुर	7.08	3.44	3.64	4.51	2.03	2.48
18	नगर पंचायत, मोंठ	5.99	2.89	3.10	शून्य	शून्य	शून्य
19	नगर पंचायत, रानीपुर	8.44	2.46	5.98	शून्य	शून्य	शून्य
20	नगर पंचायत, कुरारा	3.24	1.70	1.53	शून्य	शून्य	शून्य
	<b>योग</b>	<b>6,031.57</b>	<b>1,344.46</b>	<b>4,688</b>	<b>4,189.17</b>	<b>687.77</b>	<b>3,501.4</b>
<b>2013-14</b>							
क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	गृहकर			जलकर		
		मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
1	नगर निगम, मुरादाबाद	5,276.11	851.43	4,424.68	4,204.77	480.77	3,724.00
2	नगर निगम, झांसी	991.18	516.05	475.13	शून्य	शून्य	शून्य
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	131.61	30.10	101.51	303.04	56.26	246.78
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	6.19	3.15	3.04	शून्य	शून्य	शून्य
5	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	45.36	45.17	0.19	59.86	74.89	15.03
6	नगर पालिका परिषद, नगीना	53.92	53.90	0.02	84.02	84.01	0.01
7	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	16.17	16.09	0.08	35.69	35.28	0.41
8	नगर पालिका परिषद, बरुआसागर	8.82	5.54	3.28	शून्य	शून्य	शून्य
9	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	56.89	12.93	43.16	शून्य	शून्य	शून्य
10	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	अनुपलब्ध	18.12	अनुपलब्ध	शून्य	186.86	शून्य
11	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	10.10	9.22	0.88	शून्य	शून्य	शून्य
12	नगर पंचायत, पट्टी	3.73	1.40	2.33	शून्य	शून्य	शून्य
13	नगर पंचायत, नरौली	8.85	1.01	7.84	शून्य	शून्य	शून्य

14	नगर पंचायत, उमरीकला	11.34	3.36	7.98	शून्य	शून्य	शून्य
15	नगर पंचायत, झालू	6.54	4.07	2.47	4.07	4.07	शून्य
16	नगर पंचायत, सहनपुर	8.24	3.69	4.55	7.06	3.05	4.01
17	नगर पंचायत, मोंठ	5.49	1.76	3.73	शून्य	शून्य	शून्य
18	नगर पंचायत, रानीपुर	8.57	3.53	5.04	शून्य	शून्य	शून्य
19	नगर पंचायत, कुरारा	2.88	1.27	1.61	शून्य	शून्य	शून्य
20	नगर पंचायत, हरिहरपुर	0.57	0.32	0.25	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>		<b>6,652.56</b>	<b>1,582.11</b>	<b>5,087.77</b>	<b>4,698.51</b>	<b>925.19</b>	<b>3,990.24</b>

**2014-15**

क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	गृहकर			जलकर		
		मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
1	नगर निगम, मुरादाबाद	6,101.62	1,147.29	4,954.33	4,808.54	516.19	4,292.35
2	नगर निगम, झांसी	1,330.12	864.33	465.79	शून्य	शून्य	शून्य
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	126.01	29.78	96.23	289.92	56.48	233.44
4	नगर पालिका परिषद, सम्भल	117.20	56.64	60.56	54.40	44.42	9.98
5	नगर पालिका परिषद, बिलारी	6.00	3.69	2.31	शून्य	शून्य	शून्य
6	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	52.51	11.24	41.27	115	18.55	96.40
7	नगर पालिका परिषद, नगीना	53.96	53.96	0	90.01	90.01	0
8	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	23.34	23.26	0.08	49.74	49.33	0.41
9	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	10.61	7.48	3.12	शून्य	शून्य	शून्य
10	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	63.94	25.85	38.09	शून्य	शून्य	शून्य
11	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	अनुपलब्ध	27.77	अनुपलब्ध	शून्य	26.90	शून्य
12	नगर पालिका परिषद, सन्त कबीर नगर	20.00	14.81	5.19	शून्य	शून्य	शून्य
13	नगर पंचायत, पट्टी	3.65	0.80	2.85	शून्य	शून्य	शून्य
14	नगर पंचायत, नरौली	8.72	0.45	8.26	शून्य	शून्य	शून्य
15	नगर पंचायत, उमरीकला	10.22	1.01	9.21	शून्य	शून्य	शून्य
16	नगर पंचायत, झालू	7.82	4.07	3.75	5.35	4.07	1.28
17	नगर पंचायत, सहनपुर	9.21	3.77	5.44	8.64	3.35	5.29
18	नगर पंचायत, मोंठ	6.52	2.27	4.25	शून्य	शून्य	शून्य
19	नगर पंचायत, रानीपुर	6.63	3.29	4.34	शून्य	शून्य	शून्य
20	नगर पंचायत, हरिहरपुर	0.25	0.02	0.23	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>		<b>7,958.33</b>	<b>2,281.78</b>	<b>5,705.3</b>	<b>5,421.6</b>	<b>809.3</b>	<b>4,639.15</b>

**2015-16**

क्र० सं०	नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों के नाम	गृहकर			जलकर		
		मांग	वसूली	बकाया	मांग	वसूली	बकाया
1	नगर निगम, मुरादाबाद	6,429.84	1,163.63	5,266.21	5,065.01	568.30	4,496.71

2	नगर निगम, झांसी	1,320.78	1,121.59	199.19	शून्य	शून्य	शून्य
3	नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़	126.21	22.07	104.14	286.63	48.63	238.00
4	नगर पालिका परिषद, बिलारी	11.96	3.07	8.89	शून्य	शून्य	शून्य
5	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	56.38	56.38	0	98.48	98.48	0
6	नगर पालिका परिषद, नगीना	53.94	53.94	0	90.0	90.0	0
7	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद	26.81	26.73	0.08	56.86	56.45	0.41
8	नगर पालिका परिषद, बरूआसागर	9.15	6.62	2.53	शून्य	शून्य	शून्य
9	नगर पालिका परिषद, हमीरपुर	59.48	20.50	38.98	शून्य	शून्य	शून्य
10	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	अनुपलब्ध	32.80	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	44.75	अनुपलब्ध
11	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य	शून्य
12	नगर पंचायत, पट्टी	4.18	0.76	3.42	शून्य	शून्य	शून्य
13	नगर पंचायत, नरौली	9.14	0.93	8.21	शून्य	शून्य	शून्य
14	नगर पंचायत, उमरीकला	11.44	1.36	10.08	शून्य	शून्य	शून्य
15	नगर पंचायत, झालू	9.10	4.83	4.27	6.63	4.83	1.80
16	नगर पंचायत, सहनपुर	10.14	4.64	5.50	9.99	4.64	5.35
17	नगर पंचायत, मोठ	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य	शून्य
18	नगर पंचायत, रानीपुर	6.93	1.95	4.98	शून्य	शून्य	शून्य
19	नगर पंचायत, हरिहरपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>		<b>8,145.48</b>	<b>2,521.80</b>	<b>5,656.48</b>	<b>5,613.6</b>	<b>916.08</b>	<b>4,742.27</b>
<b>कुल गृहकर और जलकर बकाया = 5,656.48+4,742.27=10,398.75</b>							

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकायों से एकत्र सूचना)

## परिशिष्ट 3.2

### क्रय वाहनों का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.5; पृष्ठ 64)

क्र० सं०	वाहनों के प्रकार	बी.एस.-III / बी.एस.-IV	भुगतान का दिनांक	फर्म को भुगतान (₹)	वाउचर संख्या	फर्म का नाम
1.	आयसर 20.16 टिपर बाडी 10 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	19.10.2014	40,67,600	8171,8172	मे० अमर आटो स्पेयर आगरा
2.	आयसर 10.95 टिपर बाडी 06 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	19.10.2014	29,78,000	8173,8174	टेक्नीक फैब्रिकेशन प्राइवेट लि० मोहाली (पीबी)
3.	मड पम्प		15.06.2012	10,00,000		अमर आटो स्पेयर आगरा
4.	आयसर 20.16 टिपर 10 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III		26,60,000		प्रेम आटो इण्टरप्राइजेज
5.	फैब्रिक्रेटर टिपर		27.06.2014	12,92,000	3331	अमर आटो स्पेयर आगरा
6.	महिन्द्रा ट्रैक्टर		19.10.2014	15,87,143	8178	शरद मोटर्स आगरा
7.	आयसर 20.16 टिपर बाडी 10 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	03.01.2015	80,35,000	12050 से 12053	अमर आटो स्पेयर आगरा
8.	आयसर 20.16 टिपर बाडी 10 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	23.03.2015	40,00,000	13558	अमर आटो स्पेयर आगरा
9.	आयसर 10.95 टिपर बाडी 06 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	02.09.2014	29,78,000		टेक्नीक फैब्रिकेशन प्राइवेट लि० मोहाली (पीबी)
10.	आयसर 10.95 टिपर बाडी 06 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	23.03.2015	29,15,000	13555	ब्लैक बेरी दिल्ली
11.	आयसर 10.95 टिपर बाडी 06 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	31.03.2015	29,30,000	14042,43	ब्लैक बेरी दिल्ली
12.	आयसर 10.95 टिपर बाडी 06 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	02.09.2014	29,78,000	6050	टेक्नीक फैब्रिकेशन प्राइवेट लि० मोहाली (पीबी)
13.	आयसर 20.16 टिपर बाडी 10 घन मीटर क्षमता	बी.एस.-III	19.10.2014	40,67,600	81,768,170	अमर आटो स्पेयर आगरा
14.	ओपन लोडर		23.03.2015	85,41,000	13557	टाइम फरीदाबाद
15.	ओपन लोडर		23.03.2015	1,02,97,000	13556	टाइम फरीदाबाद
			<b>योग</b>	<b>6,03,26,343</b>		

(स्रोत: नगर निगम, आगरा)

### परिशिष्ट 3.3

#### पार्किंग स्थलों से राजस्व हानि (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.6; पृष्ठ 66)

क्र० सं०	स्थलों का नाम जहां पर पार्किंग शुल्क का संग्रह नहीं किया गया	अवधि जबकि अनुबंध / संग्रह नहीं किया गया	वर्ष 2010-11 की अवधि में पार्किंग स्थलों से आय (₹)	वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में पार्किंग स्थलों से अपेक्षित आय (₹)
1	अलीगढ़ रोड	2012-13 से 2015-16 (4 वर्ष)	6,43,000	25,72,000
2	मेंडू रोड	2012-13 से 2015-16 (4 वर्ष)	5,61,000	22,44,000
3	मुरसान रोड	2012-13 से 2015-16 (4 वर्ष)	6,25,000	25,00,000
4	आगरा रोड	2011-12 से 2015-16 (5 वर्ष)	2,95,000	14,75,000
5	इगलास रोड	2011-12 से 2015-16 (5 वर्ष)	2,05,000	10,25,000
6	जलेसर रोड	2011-12 से 2015-16 (5 वर्ष)	3,46,750 <sup>1</sup>	17,33,750
योग				1,15,49,750

(स्रोत: नगर पालिका परिषद, हाथरस)

### परिशिष्ट 3.4

#### वर्ष 2014-16 में वसूली योग्य लाइसेंस शुल्क (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.7; पृष्ठ 67)

क्र० सं०	विवरण	वार्षिक अनुज्ञा शुल्क दर	संख्या	वार्षिक धनराशि ₹ में
1	निजी क्लीनिक	3,000	275	8,25,000.00
2	पैथालाजी केन्द्र	1,000	139	1,39,000.00
3	निजी अस्पताल	5,000	76	3,80,000.00
4	नर्सिंग होम (20 शय्या)	2,000	80	1,60,000.00
5	नर्सिंग होम (20 शय्या से अधिक)	5,000	07	35,000.00
6	दन्त क्लीनिक	4,000	63	2,52,000.00
7	प्रसूति गृह (20 शय्या)	4,000	46	1,84,000.00
8	प्रसूति गृह (20 शय्या से अधिक)	5,000	शून्य	शून्य
9	एक्स रे क्लीनिक	2,000	50	1,00,000.00
योग				20,75,000.00
महायोग (2014-16)				41,50,000.00

(स्रोत: नगर निगम, वाराणसी)

<sup>1</sup>एक वर्ष में प्राप्त धनराशि ₹ 3,46,750 (365 दिन ₹ 950/दिन)